Tuesday, 26 November, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-97
Fumigated
On [illegible]
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12, मंगलवार, 26 नवम्बर, 1968/5 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 12, Tuesday, November 26, 1968/Agrahayana 5, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
331. ईराक के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Iraq ..	193—194
332. इसरायल के साथ व्यापार	Trade with Israel ..	194—197
334. बाढ़ के कारण रेल सेवाओं में गड़बड़ी	Disruption of Train Services on account of Floods ..	198—199
335. रेलवे खान पान विभाग	Railway Catering Department ..	199—203
336. कलकत्ता में गोलाकार (सर्कुलर) रेलवे	Circular Railway in Calcutta ..	203—206
337. रेल के माल डिब्बे बनाने की क्षमता	Railway wagon Manufacturing Capacity ..	206—209
अ० सू० प्र० संख्या		
S.N.Q. No.		
5. चेनपुर (जिला रांची) में आदिवासियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाना	Police Firing on Adivasis at Chenpur (District Ranchi) ..	209—217
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
333. बिजली की दरों को कम करने के लिये राज्यों को राजसहायता	Subsidies given to states to reduce Power Rates ..	217
338. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	218
339. छोटी तथा अलाभप्रद रेलवे लाइनों का बन्द किया जाना	Closure of N. G. and Uneconomic Railway Lines ..	219

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
340. राजनैतिक दलों को दान पर रोक लगाने के लिये विधान बनाना	Legislation to ban Donations to Political Parties	.. 219—220
341. राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against officers of State Trading Corporation	.. 220
342. बेलाडिला लौह अयस्क खान का कार्य	Working of Bailadila Iron Ore Mines	.. 220—221
343. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	221
344. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची	Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi	.. 221—223
345. रेलवे कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ	Recognised Unions of Railway Employees..	223
346. मनुभाई शाह सूती कपड़ा पुनर्गठन समिति	Manubhai Shah Textile Reorganisation Committee	.. 224—226
347. बोकारो स्टील प्लान्ट	Bokaro Steel Plant	.. 226
348. हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Himachal Pradesh	.. 226—227
349. गुना माकसी रेल लाइन	Guna Maksi Rail Link	.. 227—228
350. रेलवे सुरक्षा दल	Railway Protection Force	228
351. राजनैतिक दलों को चन्दा देना	Donations to Political Parties	.. 228—229
352. मैसूर में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योग	New Industries to be set up in Mysore	.. 229
353. रूस को माल डिब्बे निर्यात करने के लिये बैंकों का सार्थसंघ	Consortium of Banks for Export of Rail Wagons to USSR	.. 229—230
354. भारत नेपाल व्यापार करार	Indo-Nepal Trade Agreements	.. 230—231
355. लाइट एवं मीटर रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Light and M. G. Lines into B. G.	.. 231
356. पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Jute Industry	.. 231—232
357. छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries	232
358. दुर्गापुर प्राजेक्ट को हानि	Loses to Durgapur Project	.. 232—233

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
359. महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के कारखाने	Public Sector Plants in Maharashtra	233
360. रूस द्वारा भारत को उर्वरक का निर्यात	Export of Fertilizers by USSR to India ..	233—234
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2067. कपास का रक्षित भंडार स्थापित करने सम्बन्धी समिति	Committee for creating a Buffer Stock of Raw Cotton ..	234
2068. कपास का आयात	Import of Cotton ..	234—235
2069. कृषि मूल्य आयोग द्वारा निश्चित की गई कपास की कीमतें	Prices of Raw Cotton fixed by the Agricultural Prices Commission ..	235
2070. चावल का निर्यात	Export of Rice ..	235
2071. लाइसेंसों की मंजूरी	Grant of Licences ..	235—236
2072. राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये निर्यात	Exports and Imports Undertaken by STC ..	236
2073. सीमेंट कारखानों का बन्द होना	Closure of Cement Factories ..	236
2074. फिल्मों का आयात और निर्यात	Import and Export of Films ..	237
2075. फिल्म निर्माताओं की कच्ची फिल्मों का आवंटन	Allotment of Raw Films in Film Producers ..	237
2076. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रिक्त पदों का आरक्षण	Reservation of Vacancies for S. C. and S. T.	238
2077. रेलवे कर्मचारियों को प्रसादत: पेंशन	Ex-gratia Pension to Railway Employees ..	238
2078. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारियों के लिये पदोन्नति	Reservation in Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees	238

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2079. पारादीप पत्तन से जापान को लोह अयस्क	Shipment of Iron Ore to Japan through Paradeep Port ..	238—239
2080. भारत जर्मन संयुक्त उपक्रम	Indo German Joint Ventures ..	239
2081. उत्तर प्रदेश में नये उद्योग	New Imdustries in U. P. ..	239—240
2082. कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा द्वारा जापान को अपनी हाल की यात्रा के दौरान भारत के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में चर्चा	Discussions by Shri Nijalingappa Congress President on Industrial Development of India during his visit to Japan ..	240
2084. राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा भूमि पर कब्जा	Occupation of Land by Pakistanis on Rajasthan Border ..	240
2085. कनाडा को एल्यूमीनियम का निर्यात	Export of Aluminium to Canada ..	241
2086. हैवी इलक्ट्रीकल्स भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal ..	241—242
2087. पश्चिमी रेलवे के कोटा डिवीजन में छंटनी	Retrenchment in Kotah Division on the Western Railway ..	242
2088. बाढ़ के कारण बम्बई को जाने वाली रेलवे लाइनों पर टूट-फूट	Breaches on Railway Line to Bombay due to Floods ..	242—243
2089. विदेशियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences in Foreigners ..	243
2090. राजनीतिक दलों को चन्दा	Donations to Political Parties ..	243—244
2091. राजनीतिक दलों को चन्दा	Donations to Political Parties ..	244
2092. बिहार में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Bihar	244
2093. स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा नियमानुसार काम करना	Work-to-Rule by S. Ms. and A. Sms. ..	244—245
2094. औद्योगिक कारखानों द्वारा निर्यात सम्बन्धी वचन	Export Commitments by Industrial Units ..	245
2095. दस्तकारी और हथकरघा बोर्ड के बारे में समिति	Committee on Handicrafts and Handloom Boards ..	245—246

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2096.	लघु उद्योग	Small Scale Industries	246
2097.	तीन पहियों वाली छोटी कार का निर्माण	Manufacturing of Three wheeled Mini Car..	246—247
2098.	मैंगनीज अयस्क खनन उद्योग	Manganese Ore Mining Industry ..	247—248
2099.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में ताला बन्दी	Lock out in Durgapur Steel Plant	248
2100.	रेलों में चोरियों की घटनायें	Thefts on Railways ..	248—249
2101.	कनाडा की एक फर्म के सहयोग से परामर्शदात्री सेवा	Consultancy Service in Collaboration with a Canadian Firm ..	250
2102.	साहिब गंज लूप लाइन पर केबिन	Cabins on Sahibganj Loop Line	250
2103.	फोटो तैयार करने के यंत्र का निर्माण	Manufacture of Photo Processing Equipment ..	250—251
2104.	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक कारखाने	Industrial Units in Andhra Pradesh ..	251
2105.	मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की मिश्रित धातु इस्पात परियोजना द्वारा कार्य का आरम्भ	Commissioning of the Alloy Steel Project of the Mysore Iron and Steel Works ..	251—252
2106.	नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के लिये खनन मशीनरी का आयात	Import of Mining Machinery for Neyveli Lignite Corporation Ltd. ..	252
2107.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का भारी मशीनरी औजार संयंत्र	Heavy Machines Tools Plant of H. E. C., Ranchi ..	252—253
2108.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	Heavy Machine Building Plant of H. E. C., Ranchi ..	253—254
2109.	दिल्ली में रेलवे लाइनों पर उपरि पुल	Overbridge on Railway lines in Delhi	254
2110.	रेलवे के माल बुक करने के कार्यालयों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार	Bribery and Corruption in Railway Goods Booking Offices ..	254—255

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2111.	निर्यात और आयात लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन	Violation of Export/Import Licences ..	255
2112.	लाल गढ़ जंक्शन पर अस्पताल की इमारत	Hospital Buildings at Lalgarh Junction ..	255—256
2113.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम	National Textile Croporation ..	256
2114.	टायरों की कमी	Shortage of Tyres ..	256—257
2115.	कच्चे पटसन की कमी	Shortage of Raw Jute ..	257—258
2116.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची के चेयरमैन को भत्तों का भुगतान	Payment of Allowances to Chairman Heavy Engineering Corporation, Ltd., Ranchi ..	258—259
2117.	कांगड़ा घाटी रेलवे	Kangra Valley Railway ..	260
2118.	राजेन्द्र पुल पर हाल्ट स्टेशन	Halts at Rajendra Bridge ..	260
2119.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	260—263
2120.	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल को उपसमिति के व्यापार परम्पराओं पर सुझाव	Suggestions of Sub-committee of Federation of India Chambers of Commerce and Industry on Trade practices ..	263—264
2121.	संयुक्त संयंत्र समिति	Joint Plant Committee ..	264
2122.	साकरी (दरभंगा) रेलवे स्टेशन	Sakri (Darbhanga) Railway Station ..	264—265
2123.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd. ..	265—266
2124.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Limited, Bhopal ..	266—268
2125.	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड	Hindstan Copper Limited ..	268—269
2126.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड	Hindustan Steel Works Construction, Limited ..	269
2127.	हीरा मिल कम्पनी (पब्लिक) लिमिटेड उज्जैन	Hira Mill Company (Public) Ltd., Ujjain..	269—270
2128.	पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर जलपान गृह	Restaurants on N. E. Railway Stations ..	270

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2129. उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in U. P. ..	270
2130. पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली का लगाया जाना	Electrification of Railway Stations on North Eastern Railway ..	271
2131. रेलवे पासों से प्रथम श्रेणी में यात्रा	Travel by first class on Railway passes ..	271—272
2132. सूती कपड़ा मिलों की बेकार कतरनों आदि का जापान को निर्यात	Export of cotton Mill waste to Japan	272
2133. औद्योगिक लाइसेंस देना	Grant of Industrial Licences ..	272—273
2134. काश्मीर में एच० एम० टी० की घड़ियों का उत्पादन	Production of H. M. T. Watches in Kashmir ..	273—274
2135. टाटा, बिड़ला तथा अन्य की अस्तियां	Assets of Tatas, Birlas and others ..	274—275
2136. ओवेशन इन्टरनेशनल	Ovation International	275
2137. कम्पनियों द्वारा लोगों को चन्दे	Donations by Companies to Individuals ..	275—277
2138. मध्यम दर्जे तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए लाइसेंस	Licences for medium and large scale Industries ..	277
2139. चाय का निर्यात	Export of Tea ..	278
2140. भारतीय 'ग्रे' कपड़े का निर्यात	Export of Indian Grey Cloth ..	278
2141 समुद्री उत्पाद और समुद्री खाद्य पदार्थों का सर्वेक्षण	Survey of Marine Products and Sea Foods..	279
2142. मध्य प्रदेश में सरकारी नियं-त्रणाधीन उद्योग	Government controlled industries Madhya Pradesh ..	279—280
2143. कीरीबुरू तथा बेलाडिला परियोजनाओं को हानि	Loss to Kiriburu and Bailadilla Products ..	280—281
2144. रूस को रेलवे माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Rail Wagons to USSR ..	281
2145. डीजल और विद्युत चालित इंजन	Diesel and Electric Engines ..	281—282

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2146. भारतीय रेलों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Indian Railways ..	282
2147. प्रथम श्रेणी के डिब्बों में दो शटर के केबिन बनाया जाना	Manufacture of Cabins with two shuters in First Class Compartments ..	282—283
2148. रेल गाड़ियों से माल चोरी	Theft of Goods from Trains	283
2149. दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Railway Employees in Delhi ..	283—284
2150. उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना	Delicensing of Industries	284
2151. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा से अयस्कों का निर्यात	Export of Ores from Orissa by MMTC ..	284—285
2152. प्रशुल्क आयोग पुनर्विलोकन समिति	Tariff Commission Review Committee ..	285—286
2153. विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration ..	286—287
2154. सहायक निर्माण कार्य निरीक्षक	Assistant Inspectors of Works ..	287—288
2155. प्राग को प्रतिनिधि मंडल	Delegation to Prague ..	288—289
2156. कामोत्तेजक अश्लील साहित्य के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Pornographic Literature..	289
2157. पूर्वी यूरोप के देशों से व्यापार	Trade with East European Countries ..	289—290
2158. भिलाई इस्पात परियोजना के लिये बिजली	Power for Bhilai Steel Project ..	290
2159. कच्चे माल का आयात	Import of Raw Material ..	291
2160. लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति	Licensing Policy ..	291—292
2161. कुक्कुट टीकों के लिये हिमीकरण शुष्कन मशीनें (फ्रीज ड्राइंग मशीनें)	Freeze Drying Machines for poultry vaccine	292
2162. ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन	Report of British Steel Corporation Experts Team ..	292—293
2163. रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा निवृति	Retirement of Railway Accounts Staff	293

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2164.	वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Railway Staff on Seniority-cum-Suitability Basis ..	293—294
2165.	पंजाब मेल पर पायदान पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु	Death of Persons While Travelling on Foot Board of Punjab Mail ..	294
2166.	रेलवे सुरक्षा विशेष बल में जवानों की भर्ती	Recruitment of Jawans in Railway Protection Special Force ..	294—295
2167.	पटना में एक संसद सदस्य के निजी मकान में रेलवे का टेलीफोन	Railway Telephone at the Private Residence of an M. P. in Patna ..	295—296
2168.	कपास तथा कच्ची पटसन के लिये समर्थन मूल्य	Price support for raw cotton and raw Jute..	296
2169.	रेलवे विभागीय भोजन व्यवस्था द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की जांच	Checking of articles cooked in Railway Departmental Kitchens ..	296—297
2170.	बीकानेर डिवीजन में फाटक का बन्द किया जाना	Closing down of level crossings in Bikaner Division ..	297
2171.	रेलवे लाइन के पास भूमि पर खेती	Cultivation of land along Railway Line ..	297
2172.	विदेशी सहयोग संबंधी करार	Foreign Collaboration Agreements ..	298
2173.	निर्यातकों के साथ सार्थ संघ	Exporters consortiums ..	298
2174.	पाकिस्तान द्वारा भारतीय आस्तियों की बिक्री	Sale of Indian assets by Pakistan ..	298—299
2175.	कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry ..	299
2176.	दुर्गापुर में जस्ता चढ़ाने का कारखाना	Galvanising Plant at Durgapur ..	299—300
2177.	सिलाई की मशीनों का निर्यात	Export of Sewing Machines ..	300
2178.	निर्यात के लिये प्रोत्साहन	Export Incentives ..	300—301
2179.	विदेशों में भारतीय व्यापार आयुक्त तथा वाणिज्यिक सहचारी	Indian Trade Commissioners and Commercial Attaches Abroad ..	301
2180.	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिये पत्तनों में बर्थ प्राप्त करने में विलम्ब	Delays in getting Berth at Ports for Goods meant for exports ..	302

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2181.	भारत में वायदा सौदा प्रणाली	Forward Markets Systems in India	302
2182.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि	Losses to Hindustan Steel Ltd. ..	303—304
2183.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals Ltd.	304
2184.	चाय पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Tea ..	305
2185.	दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार	Trade with South Vietnam	305
2186.	पूर्व रेलवे के रेलवे कर्मचारियों के लिये जाड़ों की वर्दियां	Winter Uniforms for Railway Employees of Eastern Railway ..	306
2187.	श्रीलंका को प्याज का निर्यात	Export of onions to Ceylon ..	306
2188.	पोलैंड से सल्फर (गन्धक) का आयात	Import of sulphur from Poland	307
2189.	मैसर्स बैनेट कालमैन एण्ड कम्पनी	M/s Benacit Caleman and Co. ..	307—308
2190.	राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption charges against State Trading Corporation Officers ..	308
2191.	आन्ध्र प्रदेश में हीरों के निक्षेप	Diamond deposits in Andhra Pradesh ..	308—309
2192.	अग्निगुंडाला में तांबे के निक्षेप	Copper deposits in Agnigundala ..	309—310
2193.	मैंगनीज की खानों में श्रमिकों की छंटनी	Retrenchment of labourers in Manganese Mines ..	310
2194.	छोटी कार परियोजना	Small Car Project ..	311
2195.	भारत तथा श्रीलंका के संयुक्त उपक्रम	Joint ventures between India and Ceylon ..	311—313
2196.	बैरियम कैमिकल्स लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	Barium Chemicals Ltd., Andhra Pradesh ..	313

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2197. रूदरामपुर कालोनी में रेलवे स्टेशन	Railway Station at Rudrampur Colony ..	313
2198. मद्रास में बन्द हुई कपड़ा मिलें	Closed Textile Mills in Madras ..	314—315
2199. मद्रास के कपड़ा मिलों के श्रमिकों की मजदूरी में कमी	Reduction in Wages of Textile Workers in Madras ..	315
2200. राज्यों में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production in States	315
2201. भारत दर्शन यात्रा	Bharat Darshan Tour	316
2202. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग में लाना	Import substitution in public sector Undertakings ..	316—317
2203. सुगन्ध सामग्री	Manufacture of Refinery Materials ..	318
2204. सुगन्धि तथा प्रसाधन सामग्री उद्योग	Perfumery and Cosmetic Industries ..	318—319
2205. क्षेत्रीय रेलों में कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी	Senior and Junior Scale Officers on Zonal Railways ..	319
2206. उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति	Industrial Policy of U. P. ..	320—321
2207. पूर्वी रेलवे के स्टेशनों पर कैन्टीनें	Canteens at Station on Eastern Railway ..	321
2208. निजी कम्पनियों द्वारा चलाई जाने वाली लाइट रेलवे	Light Railways run by Private Companies..	321—322
2209. फतवा इस्लामपुर लाइट रेलवे लाइन के पार की भूमि	Land across Fatwa—Islampur Light Railway Line ..	322
2210. कोयला खानों के लिये क्षेप्य-भरण के लिये रेत	Sand for Stowing for Collieries ..	322—323
2211. योजना के अन्त तक कोयले और इस्पात की आवश्यकता का निर्धारण	Assessment of Coal and Steel Requirements towards the end of the 4th Plan ..	323
2212. विदेशों में भारतीय मिशनों में खनिज सहचारी	Mineral Attaches in Indian Missions Abroad ..	323—324

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2213. बीड़ी फैक्टरियों का बन्द होना	Closure of Beedi Factories	324
2214. अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिये भू-मार्ग	Land Routes for Trade with Afghanistan ..	324—325
2215. ए० सी० सी० वाइकर्स वेवकाक फैक्टरी	A. C. C. Vickers Babcock Factory	325
2216. चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त करना	Abolition of export duty on Tea ..	325—326
2217. अखबारी कागज का उत्पादन	Production of News print ..	326
2218. झांसी के निकट दुर्घटना	Accident near Jhansi ..	326—327
2219. ग्वालियर भिंड लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ी में भीड़ भाड़	Overcrowding in Trains running on Gwalior Bhind line ..	327
2220. रेलवे इंजनों यात्री डिब्बों तथा माल डिब्बों का निर्माण	Manufacture of Railway Engines, coaches and wagons ..	327—328
2221. गाय आदि की चर्बी तथा खालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Bovine Fat and Hides ..	328
2222. सूडान को चाय का निर्यात	Export of Tea to Sudan	328
2223. उच्च दाम वाले सिलिन्डरों का आयात	Import of High Pressure Cylinders	329
2224. फिल्मों का निर्यात	Export of Films ..	329—330
2225. रूस तथा अरब देशों में भारतीय फिल्मों का दिखाया जाना	Exhibition of Indian Films in USSR and Arab countries ..	330
2226. कपड़े का स्टाक इकट्ठा होना	Accumulation of Stocks of cloth	331
2227. इस्पात कारखानों के लिये कोयले की कमी	Shortage of coal for steel Factories ..	332
2228. डब्ल्यू०डी०एम०का प्रशिक्षण	Training of W. D. M. ..	332—333
2229. स्टेशनों पर विश्रामालयों का किराया	Rent of retiring rooms at stations ..	333
2230. ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार	Improvement of village Economy	333

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
2231. दिल्ली और बीकानेर डिवीजनों में सहायक स्टेशन मास्टरों का स्थायीकरण	Confirmation of Assistant Station Masters in Delhi and Bikaner Divisions ..	333—344
2232. चौथी पंचवर्षीय योजना में एल्यूमोनियम की आवश्यकता	Requirements of Aluminium in Fourth Five Year Plan ..	334—335
2233. कम्पनी कानून में संशोधन	Amendment of the Company Law ..	335—336
2234. खानों से लौह अयस्क निकालना	Exploitation of Iron Ore	336
2235. दुर्गापुर इस्पात कारखाने का महा प्रबन्धक	General Manager of Durgapur Steel Plant..	336—337
2236. सरकारी कोटे से स्कूटरों का बुक करना	Booking of Scooters from Govt. Quota ..	337
2237. लम्ब्रेटा स्कूटरों का बुक करना	Bookings for Lambratta Scooters ..	337—338
2238. वेस्पा स्कूटरों की कोटि का स्तर	Quality of Vespa Scooters ..	338—339
2239. दिल्ली में स्कूटरों का बुक करना	Booking of Scooters in Delhi	339
2240. बिलेटों की सप्लाई	Supply of Billets ..	339—340
2241. ओलवक्कोड डिवीजन केरल में कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Employees in Olavakkot Division (Kerala) ..	340
2242. राज्य व्यापार निगम द्वारा भारत का निर्यात और आयात	India's Exports and Imports handled by the STC. ..	340—341
2243. वाणिज्य मंत्रालय में अधिकारियों का तबादला	Transfer of Officers in Commerce Ministry ..	341
2244. फलों से लदे डिब्बों को तेज चलने वाली रेलगाड़ियों से भेजना	Despatch of fruit wagons by fast trains	342
2245. बेलगांव और शाहपुर को मिलाने वाला उपरिपुल	Overbridge connecting Belgaum and Shahpur ..	342—343
2246. पश्चिम रेलवे के लोको शैड में लोको फोरमैन का पद	Post of loco Foremen in Loco Shed of Western Railway ..	343

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2247. किऊल स्टेशन पर विश्राम-कक्ष	Rest Room at Kiul	343
2248. पांडू मालीगांव कार्यालय	Pandu Maligaon Headquarters Office ..	344
2249. मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई	Supply of raw jute to Mills	344
2250. फिल्म उत्पादकों की कच्ची फिल्मों का आवंटन	Allotment of Raw Films to Film Producers..	344—345
2251. इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन	Indian Motion Picture Export Corporation ..	345—346
2252. मैसूर और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन	Railway Track between Mysore and Chamarajanagar	346
2253. त्रिपुरा और कचार के चाय बागान	Tea Plantation of Tripura and Cachar ..	346—347
2254. अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity ..	347
2255. कोयला खनन पट्टों को रद्द करना	Cancellation of coal mining leases ..	347—348
2257. फलों तथा सब्जियों के निर्यात के लिये निगम	Corporation for Export of Fruits and Vegetables ..	348—349
2258. सकरी और पंडोल तथा घोघरडीहा और निर्मली स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन	Halts between Sakri Pandaul and Ghogardiha Nirmali Station ..	349
2259. बाघों का निर्यात	Export of Tigers	349
2260. उत्पादन प्रदान नीति	Production Oriented Policy	350
2261. पश्चिमी दीनापुर को मिलाने वाली रेलवे लाइनें	Railway Lines Connecting West Dinapur ..	350—351
2262. आसाम में औद्योगिक परियोजनायें	Industrial projects in Assam ..	351
2263. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कार्यों की जांच	Enquiry into the Affairs of British India Corporation ..	351—352
2264. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	352

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2265. इस्पात ट्यूब निर्माण उद्योग	Steel Tube Manufacturing Industry ..	352—353
2266. बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	Bombay Company (P) Ltd., Bombay	353
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	353—357
चीनी के कारखानों द्वारा कार्य आरम्भ न करना	Non-working of Sugar Factories ..	353—357
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी	Re. Question of Privilege Arrest of Shri Madhu Limaye ..	357—359
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table	360
वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1968-69	360
भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविधिक संकल्प अस्वीकृत	Statutory Resolution re. Indian Railways (Amendment) Ordinance-Negatived ..	360
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	Indian Railways (Amendment) Bill ..	360—373
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	360
श्री एस० कुण्डू	Shri S. Kundu ..	361—363
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal ..	363
श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narayan Singh ..	363—364
श्री काशीनाथ पांडे	Shri K. N. Pandey ..	364—366
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen ..	366
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	366
श्री शिंकरे	Shri Shinkre ..	367—368
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha ..	368—372
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes ..	372—373
खंड 2	Clause 2	368
मूंगफली का उत्पादन कम हो जाने और उसके मूल्य गिर जाने के बारे में चर्चा	Discussion re. fall in production and prices of Groundnuts ..	375—383
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu ..	375—376

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री रा० की अमीन	Shri R. K. Amin	.. 376—377
श्री एम० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	.. 377—378
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	378
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 378—379
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	379
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah	.. 379—380
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 380
श्री राजशेखरन	Shri Rajasekharan	.. 380—381
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	381
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	.. 381—383

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 26 नवम्बर, 1968/5 अग्रहायण, 1890 (शक)
Tuesday, November 26, 1968/Agrahayana 5, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ईराक के साथ व्यापार करार

+

*331 **श्री नि० रं० लास्कर** — **श्री विश्वनाथ राय**
श्री रा० बरुआ — **श्री न० कु० सांघी**
श्री बे० कृ० दासचौधरी — **श्री रा० रा० सिंह देव**
श्री हरदयाल देवगुण

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा ईराक ने अभी हाल में नई दिल्ली में एक व्यापार करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस करार के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार के कहां तक बढ़ने की संभावना है; और

(ग) इस व्यापार करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) अक्तूबर 1967 से सितम्बर 1968 की पूर्व अवधि की तुलना में 2.34 करोड़ रु० की वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) जो व्यवस्था की गई है उसकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि इस अवधि में हम 45 लाख पौंड स्टर्लिंग मूल्य का माल निर्यात करेंगे और 22 लाख पौंड स्टर्लिंग मूल्य का माल आयात करेंगे । ईराक जिस माल का आयात करेगा उसमें चाय, लोहा तथा इस्पात, भवन निर्माण का लोहे का सामान तथा बिजली एवं इंजीनियरी का माल . शामिल होंगे जबकि ईराक से हम मुख्यत: खजूरों का ही आयात करेंगे ।

श्री नि० रं० लास्कर : इराक के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा के दौरान क्या कोई ऐसा सुझाव दिया गया है कि हमारे देश की कोई गैर सरकारी कम्पनी उस देश की गैर सरकारी कम्पनियों के साथ सहयोग करे और यदि हां तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

श्री दिनेश सिंह : व्यापार समझौते से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर भी हम इराक में ऐसे संयुक्त सहयोग का स्वागत करेंगे ।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या उस देश को हमारी चाय का निर्यात घट रहा है; यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : चाय का निर्यात घटने की बजाय बढ़ रहा है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या उस देश को माल के निर्यात करने से हमारे देश में उसकी कीमत बढ़ जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : जितना निर्यात हमारा बढ़ेगा उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और मूल्य घटने की सम्भावना बढ़ जायेगी ।

श्री मनुभाई पटेल : प्राय: हमारा आयात निर्यात की तुलना में अधिक रहता है । ऐसी क्या कार्यवाही की गयी है जिससे इराक के साथ हमारा निर्यात आयात के मुकाबले अधिक रहे ?

श्री दिनेश सिंह : शायद माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं सुना । आयात और निर्यात का अनुपात 1 : 2 है ।

Trade with Israel

+

*332. **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Shri S. S. Kothari :

Will the Minister of Commerce be pleased to state .

(a) whether there is any restriction on trade with Israel ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, Israel is a country, which is doing miracles in agricultural and industrial sectors with the result that their exports have considerably increased. Now the balance of trade is in their favour. I think if we adopt their technique, we will achieve better results in these sectors. In view of all this may I know whether our Government intend to establish a Trade consulate in Israel on lines of Trade consulate of Israel in India. Whether our Government have talked about this with Israeli Government, if so, the details thereof ?

Shri Dinesh Singh : Sir, I have had no occasion to have such talks with them....

श्री कंवरलाल गुप्त : हमें आप पर दया आती है ।

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार से इसराइल ने कोई भी चामत्कारिक काम नहीं किया है । वहां प्रति व्यक्ति अधिक पूंजी लगायी गयी है जिसका परिणाम अच्छा निकला है । यदि हमारे पास प्रति व्यक्ति अधिक पूंजी लगाने के लिये अपेक्षित धन होता तो हम उनसे भी अधिक लाभ कमा सकते थे ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं इसराइल में ट्रेड कौंसलेट को स्थापित करने के बारे में जानकारी चाहता हूं ।

Shri Dinesh Singh : We donot feel it necessary to open a trade consulate in Israel.

Shri Kanwar Lal Gupla : This Government is adopting unfriendly attitude towards Irael on account of political reasons i. e. friendly relations with U. A. R. Further, may I know the figures of trade which our Government had during last two years with Israel, and the steps Government is taking to enhance trade relations with Israel particularly in the view of increasing collaboration activites with U. S. A., U. S. S. R., Iran and others ?

Shri Dinesh Singh : How can a Government be in isolation with politics ? I am a Minister of Commerce in a political Government. As far as the figures relating to trade are concerned, I am prepared to give them yearwise :—

year	Imports	Exports
	(in Lakhs of Rupees)	
1962-63	5.67	4.35
1963-64	9.45	3.29
1964-65	44.70	11.12
1965-66	11.16	6.96
1966-67	20.18	6.81

Shri Kanwar Lal Gupta : I asked about the steps to enhance the trade.

Shri Dinesh Singh : It is for the businessmen of our country to do so. I said there is no bar on it.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि इसराइल सरकार ने कृषि, सिंचाई, दुग्धशाला और मुर्गी-पालन के क्षेत्र में उर्वरक और तकनीकी जानकारी आदि की सहायता भारत

सरकार को देने के लिये समय-समय पर पेशकश की है और क्या उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान को उर्वरा भूमि में बदलने के लिये भी अपनी सेवाओं की पेशकश की है; यदि हां तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार अरब देशों से राजनीतिक कारणों के आधार पर डरती है ?

श्री दिनेश सिंह : इतने प्रश्नों का मैं एक साथ उत्तर कैसे दे सकता हूं। यदि माननीय सदस्य कोई एक प्रश्न पूछें, तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसराइल ने भारत को ऐसी क्या सहायता दी है जिससे व्यापार के विकास में वृद्धि हुई हो।

श्री दिनेश सिंह : व्यापार क्षेत्र में ऐसे पेशकश की जानकारी मुझे नहीं है।

Shri Shashi Bhushan : May I know whether it is a fact that Israeli goods on large scale is indirectly pouring into India through some foreign trading companies ?

Shri Dinesh Singh : I have no information about it.

श्री स्वैल : इसराइल से क्या-क्या वस्तुएं आयात की जाती हैं और उस देश को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ?

श्री दिनेश सिंह : यह एक लम्बी सूची है। मैं उसमें से कुछ वस्तुओं के नाम पढ़ देता हूं। इसराइल को हम कुछ फल और सब्जियां, मसाले, तम्बाकू, तम्बाकू से बनी वस्तुएं भेजते हैं और चीनी, काफी, खलमाइका, जूट आदि एक-एक बार वहां भेजा है। इसराइल से ब्रोमाइन, वनस्पति तेल, अलुमिनियम आरगेनिक कम्पाऊंड्स, सूती धागे, रेशमी धागे, और कुछ मोटर गाड़ियों एवं मोटर साइकिलों के पुर्जों आदि का निर्यात किया जाता है।

श्री अनन्तराव पाटिल : जहां तक किसी देश के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने का मामला है हमारी सरकार को इसराइल के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने में क्या आपत्ति है जबकि उसने जर्मनी लोकतंत्रात्मक गणराज्य से व्यापार सम्बन्ध बना रखे हैं।

श्री दिनेश सिंह : मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य मेरे से इसके उत्तर में क्या कहलाना चाहते हैं। जो मुझे कहना था, मैं पहले ही कह चुका हूं। इसराइल के साथ निर्यात-आयात सम्बन्ध स्थापित करने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री रा० की० अमीन : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और इसराइल के साथ बढ़ते हुए व्यापार सम्बन्धों को सरकार बुरा नहीं मानेगी। इसी सन्दर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार इजराइल सरकार के साथ ऐसा समझौता करेगी जिससे उसके साथ रुपये की मुद्रा में व्यापार हो सके ?

श्री दिनेश सिंह : ऐसे समझौते की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस देश से नियमों के अनुसार आयात-निर्यात में वस्तुओं का मुक्त आदान-प्रदान किया जा सकता है ।

Shri Y. S. Kushwah : May I know whether Government of India ever tried to get some military aid from Israel on the same lines they are receiving from the U. S. A. and U. S. S. R.

Shri Dinesh Singh : I cannot answer this question. But as far as I know Israel is itself purchasing military equipments from other countries.

श्री हेम बरुआ : इजराइल और भारत के बीच व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इसराइल को कोई व्यापार शिष्टमंडल भेजा है जिससे व्यापार में वृद्धि की सम्भावनाओं का पता लगाया जाता ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं, हम इस बात की आवश्यकता नहीं समझते ।

श्री रा० कृ० सिंह : अपने देश के हित और राजनीति पर ध्यान देते हुए क्या अरब देशों से व्यापार करना हमारे हित में है अथवा इसराइल से ।

श्री दिनेश सिंह : अरब देशों के साथ हमारा व्यापार 100 करोड़ रुपये तक है । दोनों देशों के साथ व्यापार में कोई तुलना नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच नहीं है कि भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले इसराइल को मान्यता दी थी ? इसराइल ने कृषि, उर्वरक और छोटे हथियारों के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है । हमारे देश में उर्वरक की आवश्यकता पर ध्यान रखते हुए क्या सरकार इसराइल से उर्वरक के क्षेत्र में विकास के लिये सहायता मांगेगी ? क्या भारत सरकार स्वचालित राइफलें जैसे छोटे हथियारों को उससे लेना पसन्द करेगी ? अब चूंकि रूस की नीति में परिवर्तन आ गया है और अरब देशों की नीति में भी परिवर्तन आने की पूरी सम्भावना है तो इस परिवर्तित परिस्थिति में भी क्या सरकार इसराइल के साथ अपने सम्बन्धों पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : यद्यपि माननीय सदस्य मुझे तो राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक साथ न मिलाने की सलाह देते हैं परन्तु उनके सारे तर्क राजनीति पर आधारित हैं । जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने बताया है कि इसराइल के पास उर्वरक अधिक मात्रा में उपलब्ध है और वहां से भारत में सस्ते दामों पर उर्वरक मंगाया जा सकता है । जहां तक छोटे हथियारों का सम्बन्ध है, हम अपने देश में ही ऐसी राइफलें बना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Disruption of Train Services on account of Floods

*334. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the train services were disrupted on account of floods between June and October, 1968 in Rajasthan and Gujarat ; and

(b) if so, the loss to railway property suffered on this account ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 132 लाख रुपये ।

Shri Onkar Lal Berwa : Are these figures both for Gujarat and Bengal ? Is this loss of Rs. 132 lakhs on account of travelling or sabotage ?

श्री परिमल घोष : सेवाओं की गड़बड़ी के कारण हुई हानि का अभी ठीक से अनुमान नहीं लगाया गया है परन्तु जो आंकड़े मैंने दिये हैं वे रेल पटरी के टूट जाने के कारण रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि दर्शाते हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Train services were dislocated and the trains passed through circuitous routes for which the passengers had to pay at double rates. Has this also been included in it ? What was the reason for charging double rate ?

श्री परिमल घोष : यह डबल किराया लेने का प्रश्न नहीं है । रेल पटरी के टूट जाने के कारण यात्रियों को चक्करदार रास्ते से ले जाना पड़ा । यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध की गई और उन अतिरिक्त मीलों के लिये उनसे मीलों के आधार पर किराया लिया गया ।

श्री मनुभाई पटेल : गत बाढ़ के दौरान दक्षिण गुजरात में रेल सेवा में बहुत गड़बड़ हो गई थी । परन्तु इसका कारण केवल बाढ़ ही नहीं था । प्रत्येक वर्ष यह गड़बड़ी होती रहती है । क्या इसका कारण गलत आयोजन है ? क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और रेल सेवा प्रति वर्ष ठप्प न हो इस उद्देश्य से अपनी आयोजन नीति में परिवर्तन करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : इस वर्ष विशेषकर गुजरात में बाढ़ से अधिक हानि हुई है । गत 30 वर्षों में बाढ़ के कारण इतनी अधिक हानि नहीं हुई थी । नर्मदा की सभी सहायक नदियां और अन्य नदियां मिल गई और सब जगह पानी ही पानी दिखाई देने लगा । साधारण स्थिति में जल निकासी व्यवस्था पर्याप्त है । परन्तु असाधारण स्थिति में कोई आयोजन नहीं कर सकता । इन पुलों तथा पुलियों को दोबारा बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा । हम अतिरिक्त खम्भे जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं ताकि जलमार्ग सुदृढ़ हो सके और बाढ़ को काबू में किया जा सके ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : देश के सभी भागों में असाधारण बाढ़ों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार उन रेलवे लाइनों, पुलों और पुलियों जो टूट जाती हैं के स्थान में परिवर्तन करने के लिये कोई उपाय करेगी ताकि भविष्य में गाड़ियों को मोड़ने की तथा अन्य कठिनाइयां पेश न आएं ?

श्री परिमल घोष : प्रत्येक रेलवे बांध में जो साधारण जलमार्ग बनाए गये हैं वे साधारण बाढ़ के लिये पर्याप्त हैं। इस वर्ष असाधारण बाढ़ आई है। हमें कुछ भागों का पुनर्विलोकन करना पड़ेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि जलमार्ग वास्तव में पर्याप्त हैं अथवा नहीं। इस समय जो परीक्षा की जा रही है यदि उससे पता लगा कि कुछ जगहों में सुधार की आवश्यकता है तो वहां पर आवश्यक सुधार किये जायेंगे।

Shri Meetha Lal Meena : What loss has been caused to the railways due to heavy floods in Sawai-Madhopur area of Kotah Division during the last rains ? To avoid damage to bridges and railway track in future, do Government propose to find out any permanent solution of it and if so, the details thereof ?

श्री चे० मु० मुनाचा : उस क्षेत्र में जिसमें उस क्षेत्र की एक अन्य शाखा लाइन भी शामिल है लगभग 13-20 लाख रुपये की हानि हुई है। यह बाढ़ अप्रत्याशित थी। घग्गर नदी में किसी कारण अब बाढ़ आ रही है। सिंचाई मंत्रालय इस पर अलग से विचार कर रहा है। उनके सुझावों के अनुसार रेलवे लाइनों के लिये जो भी आवश्यक होगा किया जायेगा।

Shri Meetha Lal Meena : The Hon. Minister perhaps does not know that river ghaggar is not there. Due to heavy rains great damage is caused there. I wanted to know what permanent solution the Government have in view.

Shri C. M. Poonacha : The Hon. Member asked about Rajasthan.

Shri Meetha Lal Meena : I wanted to know about the Kotah division.

श्री रंगा : इन चीजों का निरन्तर अनुसंधान करने के लिये रेलवे का अपना अनुसंधान अनुभाग है। जैसा कि गुजरात, उड़ीसा तथा राजस्थान के माननीय सदस्यों ने कहा है यह बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है और यह कोई नई चीज नहीं है। रेलवे सम्पत्ति की क्षति भी कोई नई चीज नहीं है। पुल तथा पुलिया भी पर्याप्त नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय यह प्रयत्न करेंगे कि यह अनुसंधान अनुभाग सिंचाई मंत्रालय के अनुसंधान अनुभाग से मिलकर काम करे ताकि रेलवे लाइनों के बारे में जो भी परिवर्तन किये जायें वे ऐसे हों जिससे रेल सेवाओं में प्रति वर्ष गड़बड़ी न हो।

श्री चे० मु० पुनाचा : इस सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

रेलवे खान पान विभाग

*335. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि रेलवे खान पान विभाग द्वारा दी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं की किस्म घटिया हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) रेलवे के खान-पान विभाग की यूनिटों द्वारा दिये जाने वाले भोजन की किस्म के बारे में कभी-कभी शिकायतें आती हैं, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हाल में या पिछले कुछ वर्षों के दौरान भोजन की किस्म घटिया हो गयी है ?

(ख) रेल प्रशासन जनता को दिये जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार करने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : अच्छी किस्म के सामान की खरीद और सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली पर्यवेक्षण रखना, भोजन तैयार करने के लिये समुचित पाकविधि निर्धारित करना, दक्ष रसोइयों को नियुक्त करना, खान-पान व्यवस्था के कर्मचारियों को बम्बई के केटरिंग टेक्नालोजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन इन्स्टीट्यूट, औरंगाबाद, रांची और पुरी के विभागीय होटलों और अन्य चुने हुए विभागीय खान-पान यूनिटों में प्रशिक्षण देना और अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा खान-पान यूनिटों की अचानक जांच करना ।

Shri Yajna Datt Sharma : The Hon. Minister is aware that after taking over the catering work by the Government the standard of meals being served to the passengers has deteriorated and the service also has become irresponsible and careless. Such complaints are being sent frequently. In such circumstances I want to know the loss at which this Catering Department is running ? Private caterers were rendering better service.

श्री परिमल घोष : निजी ठेकेदारों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों को ध्यान में रखकर विभागीय भोजन व्यवस्था चालू की गई थी । हालांकि इसका रेलवे के काम से कोई सम्बन्ध नहीं था फिर भी जनता की बढ़िया सेवा के उद्देश्य से रेलवे ने विभागीय भोजन व्यवस्था शुरू की । जहां तक माननीय सदस्य की शिकायत का सम्बन्ध है, विभिन्न प्रकार के लोगों तथा बहुत बड़ी संख्या के लिये भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति के स्वाद में अन्तर होता है । कुछ शिकायतें तो प्राप्त होती रहती हैं परन्तु वे मुख्यतया भोजन की किस्म के बारे में होती हैं । परन्तु रेलवे का उस पर सीधा नियंत्रण नहीं है क्योंकि चावल, गेहूं आदि हमें असैनिक प्राधिकरणों से प्राप्त होता है । फिर भी हम भोजन के स्तर में सुधार करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Yajna Datt Sharma : A parliamentary committee went into the working of the catering department. I want to know whether the Railways have tried to implement their suggestions and if so, whether there have been good results thereof ?

श्री परिमल घोष : हाल में चार संसद सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी । उन्होंने विभागीय भोजन व्यवस्था तथा ठेकेदारों द्वारा भोजन व्यवस्था के बारे में जांच की थी और कुछ सुझाव दिये थे । रेलवे बोर्ड ने कुछ सुझावों को स्वीकार किया है और उन्हे धीरे-धीरे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

विभागीय भोजन व्यवस्था से काफी समय से हमें हानि हो रही थी परन्तु गत वर्ष पासा पलट गया है। हमें गत वर्ष थोड़ा मुनाफा हुआ और इस वर्ष अधिक मुनाफा होने की संभावना है।

Shri Mrityunjay Prasad : Has the railways stopped the practice of serving food in **thalis** on certain trains for ever ? Even liquid food is being served in packets.

श्री परिमल घोष : प्रयोग के रूप में हमने कुछ जोनों में कागज के डिब्बों में खाना परोसना शुरू किया है। दक्षिण रेलवे पर सांभर भात तथा दही भात कागज के डिब्बों में दिया जाता है और यह बहुत लोक प्रिय रहा है। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को गीले डिब्बे में खाने को मिला। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होने पायेगा।

श्री क० लकप्पा : रेलवे में खराब भोजन व्यवस्था के बारे में शिकायत कांग्रेस शासन के आने के बाद से ही शुरू हो गई थी। चूंकि इस बारे में अनेक शिकायतें हैं और जो भोजन दिया जाता है उसमें तिलचट्टे भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने कहा है कि एक समिति बनाई गई है, क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो क्या उस पर आंशिक या पूर्ण अमल हुआ है ?

श्री परिमल घोष : समिति पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है जो कि सभा-पटल पर रख दी गई है।

श्रीमती सावित्री श्याम : खाद्य पदार्थों की किस्म में खराबी को रोकने के लिये क्या सरकार का विचार रेलवे कैन्टीनों में खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाने का है ? (.....**व्यवधान**)

श्री परिमल घोष : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीया सदस्या ने बड़ा ठीक सुझाव दिया है। हम इसकी जांच करेंगे।

श्री स० मो बनर्जी : क्या सरकार को मालूम है कि रेलवे विभाग द्वारा चलाई जा रही संसद भवन की कैन्टीन में शाकाहारी तथा अशाकाहारी खाद्य-वस्तुओं की किस्म रेल यात्रियों को दी जा रही खाद्य-वस्तुओं की किस्म से अधिक अच्छी है तथा यात्रियों और यहां खाना खाने वालों को यह बात बड़ी अनुभव होती है। क्या वह यह प्रयत्न करेंगे कि रेलवे में दी जाने वाली खाद्य-वस्तुओं की किस्म में सुधार करके उसे उन्हें यहां संसत्सदस्यों को दी जाने वाली वस्तुओं जैसा बनाया जाये ?

श्री परिमल घोष : चलती गाड़ी में भोजन देने तथा एक स्थायी स्थान पर भोजन देने दोनों में समानता लाने में कुछ कठिनाइयां होती हैं। माननीय सदस्य ने संसद-भवन सें सेवित भोजन का जिक्र किया है.....

श्री स० मो० बनर्जी : भेदभाव का.....

श्री परिमल घोष : कोई भेदभाव नहीं है । संसद भवन में उपलब्ध भोजन अधिक महंगा है तथा इस अन्तर के लिये संसद कार्य विभाग उपदान देता है । इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रयत्न करते हैं कि संसत्सदस्यों को पेट भर मिले ।

श्री पीलु मोडी : वे यहां पर भी उसका स्तर कम क्यों नहीं कर देते ? फिर समस्या ही नहीं रहेगी ।

श्री तिरुमल राव : इस दृष्टि से कि **साम्बर** और **रसम** द्रविड़ संस्कृति के प्रतीक हैं उन्होंने दक्षिण भारतीय भोजन से **रसम** को क्यों हटा दिया है ?

श्री परिमल घोष : यह पहले ही पुनः आरम्भ किया जा चुका है ।

Shri Om Prakash Tyagi : Previously, the private contractors in Railways earned lakhs of rupees but the Government catering Department is now suffering loss in it execpt a bit profit recently, although the means are the same. I want to know the reesons for the loss to Government.

श्री परिमल घोष : प्रथम तो विभागीय भोजनालय अब घाटे में नहीं चल रहा है ।

Shri Om Prakash Tyagi : It has been in loss till now.

श्री परिमल घोष : विभागीय भोजन गाड़ी के भोजनालय तथा एक स्थायी कमरे में भोजनालय की लागत में अन्तर होता है । भोजन गाड़ी की सेवा में निश्चय ही अधिक लागत आती है । अधिकतम भोजन गाड़ियां विभागीय भोजनालय द्वारा चलाई जाती हैं ठेकेदारों द्वारा नहीं । दूसरी बात यह है कि विभागीय भोजनालय के खाद्य-पदार्थ और कर्मचारियों पर ठेकेदारों की अपेक्षा निश्चय ही अधिक लागत आती है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मंत्री महोदय के इस कथन से मैं सहमत नहीं कि चलती गाड़ी में भोजनालय सेवा पर कुछ कठिनाई आती है । मैं विमान सेवा का उदाहरण पेश करूँगा । विमान सेवा में बड़ा सुन्दर भोजन सेवित किया जाता है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री श्रीधरन : इण्डियन एयर लाइन्स में सबसे गन्दा भोजन दिया जाता है ।

एक माननीय सदस्य : वह एकदम बेकार होता है ।

अध्यक्ष महोदय : हम उनके प्रश्न को तदनुसार संशोधित कर देंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : उन्होंने एयर इण्डिया के भोजन का स्वाद नहीं चखा है । मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे एयर इण्डिया के भोजन का स्वाद लें जो कि संसार के सबसे सुन्दर भोजनों में से है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस समय रेलवे भोजन की बात कर रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं चाहता हूँ कि रेलवे एयर इण्डिया के स्तर तक आये । क्या यह सच है कि संसत्सदस्य एक रुपये में आश्चर्यजनक भोजन चाहते हैं ?

श्री क० लकप्पा : कैसा आश्चर्यजनक भोजन ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : वे एक रुपये में 10 चीजें मांगते हैं । यह सम्भव नहीं है । हमें दो श्रेणियां रखनी चाहिये एक तो जो सस्ता चाहते हैं, दूसरे जो अधिक पैसे खर्च कर सकते हैं । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय संसत्सदस्यों और अन्य रेल यात्रियों के लिये सस्ते और मूल्यवान् भोजन का प्रबन्ध करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री परिमल घोष : हमारे यहां भोजन देने की दो प्रणालियां हैं, एक तो थाली में नियमित भोजन है तथा दूसरे, कोई भी माननीय सदस्य पृथक वस्तु को पृथक दाम देकर खरीद सकता है ।

श्री गाडिलिंगन गौड : जो कुछ हम यहां कह रहे हैं मंत्री महोदय उसमें विश्वास नहीं रखते । वह तो अपने अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी पर ही विश्वास करते हैं । दिनांक 23 दिसम्बर को जब मैं अदोनी से मद्रास की यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ एक रेलवे अधिकारी भी यात्रा कर रहे थे । उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें चाय के बर्तन में एक कोकरोच मिला । अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या वह इन नाम धारी कैन्टीनों की आकस्मिक जांच करेंगे ?

श्री परिमल घोष : मैं ऐसा करूंगा ।

कलकत्ता में गोलाकार (सर्कुलर) रेलवे

+

*336. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री समर गुह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में गोलाकार रेलवे से सम्बन्धित रिपोर्ट पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) अभी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Shri Beni Shanker Sharma : Those who fortunately or unfortunately got an opportunity to travel in calcutta's sub-urban trains, they know that it is like getting a rebirth to reach their offices. Not only in the compartments, but also on the foot-boards as well as in the engine people get crowded like goats and sheep. This problem is there since 1947. A committee headed by Sir Padam Ji Geenwala was constituted in 1947, and that committee had given certain recommendations. After that a few more committees were also constituted. The Planning Commission also formed a committee whose report is still awaited. So, in view of the difficulties in traffic system in Calcutta, will the Hon. Minister promise to start circular railway line in calcutta at the earliest ?

श्री परिमल घोष : आयोजना आयोग के अधीन महानगर परिवहन दल ने न केवल कलकत्ता का बल्कि बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे महानगरों के बारे में भी अध्ययन किया है । इस महानगर परिवहन दल ने रेलवे के साथ समन्वय से कार्य किया तथा हमने उसे कर्मचारियों की आवश्यक सहायता दी है तथा उसके सुझाव पर एक प्राथमिक इन्जीनियरिंग सर्वेक्षण भी कराया था जिसका अन्तरिम प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है । इस प्रस्ताव के आर्थिक पहलू पर विचार करने हेतु हमारे पास अभी अन्तिम रिपोर्ट नहीं आई है । जो योजना हमें प्राप्त हुई है उससे एक कार्य-प्रणाली का पता मिलता है जहां से यह उप-नगरीय लाईन आरम्भ की जा सकती है तथा समाप्त की जा सकती है और कि इस पर किन आवश्यक स्थानों पर इसका रुकाव होगा । यह रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है और इस मामले में हमें अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

Shri Beni Shankar Sharma : Will the Hon. Minister state the difficulties experienced in regard to implementing the recommendations of the various committees constituted in between 1947 to 1968 ; and whether these difficulties were financial or technical ones ? If those were financial, I would like to say that I fail to understand why money is not available for the interests of these lakhs of people whereas you can find money for the big hotels and other such plans which enrich only one or two hundred people ?

Secondly, when Shri B. C. Roy was the Chief Minister there was a proposal to construct an underground railway in Calcutta. May I know whether the Railways have examined the feasibility of starting an underground railway in Calcutta and whether they have consulted the experts in this connection ; if so, what was their reply ?

श्री परिमल घोष : गोलाकार रेलवे के बारे में पहले ही स्थिति बता चुका हूं और मैंने यह भी कहा है कि हमें अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । जहां तक भूमिगत रेलवे का सम्बन्ध है, इस पर भी आयोजना आयोग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है । और उन्होंने भी रेलवे से अनुरोध किया है कि क्या रेलवे सर्वे का कार्य कर सकते हैं तथा हमने भी यह स्वीकार करके, यद्यपि अन्तिम रूप से नहीं, परन्तु यह संकेत किया है कि केवल कलकत्ता में ही नहीं बल्कि अन्य महानगरों में भी सर्वे कार्य हेतु अमुक धनराशि खर्च कर सकेंगे । मामला बहुत जल्दी ही हाथ में ले लिया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस दृष्टि से कि गोलाकार रेलवे का यह मामला वर्ष 1947 से विचाराधीन है और समय-समय पर अनेक समितियों और अधिकारियों पर इसकी जिम्मेवारियाँ डाली गई थीं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि कलकत्ता के लोगों को अब यह विश्वास हो गया है यह एक बस छलावा है और यह योजना कभी सफल न होगी। मैं जानना चाहूंगा कि, जबकि उनके पूर्ववर्ती तीन चार अन्य मंत्री भी यह कह चुके हैं कि इस पर अध्ययन किया जा रहा है और एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो क्या यह कभी अन्तिम रूप भी पायेगी तथा हमारे जीवन में कम से कम चौथी योजना में तो यह स्थान पायेगी ?

श्री परिमल घोष : यह सच है कि महानगरों में परिवहन की समस्या इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि हमारे उपनगरीय क्षेत्रों में भी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार की किसी व्यवस्था का होना अब निश्चित हो गया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस बारे में अनेक समितियां, विचार विमर्श और रिपोर्ट बनी हैं। इस बारे में उन्हें मैं अनावश्यक रूप से बहकाना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : यह एक आवश्यक बहकावा है..... **(व्यवधान)**

श्री परिमल घोष : मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम स्थिति के बारे में पूरी तरह सजग हैं और आयोजना आयोग से सम्पर्क बनाये हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इस बारे में निश्चय ही कुछ होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह हमें बता सकते हैं कि यह चौथी योजना की अवधि में हो जायेगा ?

श्री परिमल घोष : मामला विचाराधीन है तथा इसकी सम्भावना है। फिर यह मामला आयोजना आयोग के पास है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि मंत्री महोदय ने सदन से बाहर एक वक्तव्य दिया था कि कलकत्ता की गोलाकार रेलवे योजना एक सच्चाई है और वह तैयार होने वाली है। यदि उन्होंने कहा है तो फिर इस वक्तव्य के क्या कारण हैं ? यदि उन्होंने नहीं कहा है तो फिर यहां सदन को इन बातों से बहकाने का वह क्यों प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री परिमल घोष : मैं नहीं जानता। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है। मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था और मैंने वही उत्तर दिया था जो मैंने यहां कहा है। इस मामले पर आयोजना आयोग द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि गोलाकार रेलवे लाइन बनाई जा रही है।

Shri Ram Gopal Shalwale : In view of the fact that more railway accidents occur in Calcutta, Bombay and Delhi, I would like to know whether the Railway Department would try to construct under ground railway line in Calcutta, Bombay and Delhi, as it is there in London ?

रेल के माल डिब्बे बनाने की क्षमता

*337. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयंत्रों और मशीनों के अधिकतम उपयोग द्वारा इस समय भारत में रेल के माल डिब्बे बनाने की क्षमता कितनी है;

(ख) कितनी क्षमता का वास्तविक उपयोग किया जा रहा है और कितनी क्षमता बेकार पड़ी है;

(ग) क्या भारत से रेल के माल डिब्बे के लिये रूस के क्रयादेशों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) अब तक हुए अधिकतम उत्पादन के आधार पर इस समय देश में चौपहियों के हिसाब से निजी क्षेत्र में 27,500 और रेलवे कारखानों में 3,500 माल डिब्बे बनाने की क्षमता है ।

(ख) पिछले वर्ष के वास्तविक उत्पादन और बकाया आर्डरों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष क्षमता के अनुरूप आर्डर देने का प्रयास किया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Shri George Fernandes : For several years there has been a complaint against the Railways that there has been much difficulty in transportation of goods owring to the non-availability of wagons as per requirements whereas commerce Ministy is discussing with Russia regarding the sale of several thousand of wagons to her every year. I donot know when these discussions will conclude and when will we receive orders. I want to know that as the Railways are not getting wagons in India even for their own requirements, why are they not initiating action to enhance the present capacity of 3500 wagons in their workshop and also utilise the machinery lying unused ?

श्री परिमल घोष : सामान्य रूप से रेल-डिब्बों की कोई कमी नहीं है । मैं मानता हूं कि किसी समय किसी विशेष प्रकार के डिब्बों की कमी हो सकती है । वह भी डिब्बों की कमी के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण अनुभव होती है ।

माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त वर्कशाप की क्षमता के बारे में मैं कहूंगा कि रेलवे वर्कशाप ही मूलत: डिब्बों का निर्माण नहीं करती । यह तो मुख्यत: मरम्मत आदि का कार्य करती हैं

परन्तु प्रोत्साहन तथा अन्य बातों की योजना के परिणामस्वरूप क्षमता बढ़ा दी गई है तथा अतिरिक्त कर्मचारियों को कार्य पर लगाने हेतु हम कभी-कभी यथा-सम्भव सीमा तक अब डिब्बों का निर्माण भी करते हैं। परन्तु ज्योंही वर्कशाप में मरम्मत का काम अधिक आ जाता है, डिब्बों के निर्माण का कार्य रोक दिया जाता है क्योंकि ये वर्कशाप मूलतः मरम्मत के लिये हैं। हमारे पास वहां डिब्बों के निर्माण की क्षमता बढ़ाने का कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र में काफी क्षमता है। अतः हम इसे आवश्यक नहीं समझते कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इस क्षमता को बढ़ाया जाये।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, Sir, the reply of the Hon. Minister is not convincing. We are manufacturing 3500 wagons in railway workshops. I do not understand why the capacity is not increased and this work is not taken over by Government from the private sector ?

What is the price paid by you to the private sector for their wagons and what is the cost of production of wagons manufactured by you ? Since more wagons are to be sold to Russia in next two years, more wagons would be needed. You have accepted that there is shortage of wagons to-day. In which sector the capacity is proposed to be increased to meet the sale order of wagons by Russia ?

श्री परिमल घोष : वर्कशाप में क्षमता के बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं। रूस के संभावित क्रयादेश के कारण भावी क्रयादेश के बारे में माल डिब्बों की हमारी खरीद कम की जाने वाली है। हमारे द्वारा अधिक मालडिब्बे खरीदे जाने की कोई संभावना है। इसलिए गैर-सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है, इसलिए यदि हमें रूस से क्रयादेश प्राप्त होता है, तो गेर-सरकारी क्षेत्र में विद्यमान क्षमता के लिये कोई कठिनाई नहीं होगी। वे इस मांग को बिना किसी कठिनाई के पूरा कर सकते हैं।

Shri George Fernandes : What about the price ?

श्री परिमल घोष : दोनों मूल्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, माल डिब्बों के वास्तविक मूल्य मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री के उत्तर भ्रांतिकारक हैं, वे कहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में 27,500 की क्षमता है और सरकारी क्षेत्र में 3,500 की अर्थात् कुल क्षमता 31,000 है। साथ ही वे यह कहते हैं कि भविष्य में उनकी संभावित मांग कम होगी और इसी क्षमता से वे रूस की मांग भी पूरी कर सकेंगे, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आगामी पांच वर्षों में रेलवे मंत्रालय की मांग कितनी होने का अनुमान है और यदि वर्तमान बातचीत सफल होती है, तो भारत से मालडिब्बों की सप्लाई की रूस की मांग कितनी होगी और क्या उस स्थिति में क्या अतिरिक्त क्षमता इस मांग को पूरी कर सकेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : यह पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में यातायात में संभावित वृद्धि पर निर्भर करता है और किये गये कुछ अध्ययनों के आधार पर इस अवधि में यातायात में लगभग 26 करोड़ टन की वृद्धि होने का अनुमान है। यह अनुमान मात्र है। जहां तक माल डिब्बों की क्षमता का सम्बन्ध है, हमारी वर्तमान क्षमता 22.5 करोड़ टन है और शेष धीरे-धीरे बढ़ाई जायेगी। हमारे अध्ययन और माल डिब्बों की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों तथा अपनी वर्कशापों को निर्माण के लिये क्रयादेश दिये जायेंगे, इसका हमें अध्ययन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष हमें यह निर्धारण करना होगा कि हमें कितने मालडिब्बों का क्रयादेश देना होगा। इस बीच हम स्वयं अन्य देशों को माल डिब्बे निर्यात करने के लिये क्षमता का उपयोग करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। रूस तथा अन्य देशों के क्रयादेश इस समय विचाराधीन हैं। देश में विद्यमान क्षमता का निर्यात के प्रयोजन के लिये उचित उपयोग किया जायेगा।

जहां तक हमारी अपनी क्षमता का सम्बन्ध है, जब भी यातायात की मांग बढ़ेगी, हम अवश्य ही निर्माताओं को क्रयादेश देंगे और गैर-सरकारी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करेंगे। जैसाकि मेरे सहयोगी ने बताया, वर्कशापों में हमारी अपनी क्षमता मरम्मत, साधारण और बीच-बीच में ओवरहाल करने के लिये है। जहां कहीं भी अतिरिक्त क्षमता होगी वह भी, रूसी क्रयादेश को पूरा करने के लिये भी, माल डिब्बों का निर्माण करने के लिये उपयोग की जायेगी।

Shri Randhir Singh : There are serious difficulties at home. Wagons are not available for the goods trains, traders do not get wagons for despatch of their goods and yet we are thinking of entering into deals with Russia and other countries. In view of the difficulties being faced by the people, is there any scheme of first meeting the internal requirements and making the administration efficient before thinking of exports ?

श्री चे० मु० पुनाचा : देश में यातायात की आवश्यकता पूरी करने की हमारी क्षमता है। इसके अतिरिक्त जितना भी संभव हो हमें देश के हित में और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये निर्यात करना चाहिए। हमें इस पहलू को भी अधिक महत्व देना चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल : गाड़ियों में भीड़ होती है और इसका कारण डिब्बों की कमी बताया जाता है। फिर हमें माल यातायात में भारी हानि हुई है क्योंकि डिब्बे उपलब्ध नहीं होते। क्या हानि को पूरा करने तथा भीड़भाड़ को कम करने के लिये अधिक डिब्बों का प्रयोग आवश्यक नहीं है ? क्या अधिक डिब्बों का निर्माण करना संभव नहीं है ताकि हम उनका निर्यात कर सकें और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that it is in the interest of the advancement and prosperity of the country to undergo some hardship in the country and to export goods abroad so as to earn foreign exchange for the country ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हमारा भी दृष्टिकोण यही है ।

श्री लोबो प्रभु : दो वर्ष पहले रेलवे ने इस आधार पर कि उनके पास बहुत से फालतू डिब्बे हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र को क्रयादेश देने से इन्कार कर दिया था अथवा केवल आधी संख्या का क्रयादेश दिया था । इसके बाद मन्दी आ गई और आपको माल डिब्बों के अग्रिम क्रयादेश की समस्या का सामना करना पड़ा । मैं जानना चाहता हूं कि तब से स्थिति किस प्रकार बदल गई है क्योंकि न तो माल यातायात और न ही यात्री यातायात बढ़ा है ? स्थिति किस प्रकार बदल गई है कि आप 27,000 डिब्बों का क्रयादेश देने की स्थिति में हो गये हैं ?

श्री परिमल घोष : माननीय सदस्य ने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया है । गत वर्ष हमारी आवश्यकता 10,000 माल डिब्बों की थी । केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के माल डिब्बों के निर्माताओं को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये हमने लगभग 16,000 माल डिब्बों का क्रयादेश दिया । यद्यपि हमारी सामान्य आवश्यकता लगभग 10,000 माल डिब्बे है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के डिब्बे पर्याप्त संख्या में हैं । इसीलिए मैंने कहा है कि रूसी क्रयादेश प्राप्त हो जाने पर भी उसे पूरा करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता होगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक रूसी क्रयादेश का सम्बन्ध है, क्या यह सच नहीं है कि रूस जिस किस्म के डिब्बे सप्लाई करने के लिये हमें कहा है, उनका निर्माण कुछ विशिष्ट प्रकार की सामग्री जैसे उच्च तनाव इस्पात के प्रयोग से विशेष निर्माण प्रक्रिया द्वारा करना होगा ? मंत्री महोदय ने कहा कि अतिरिक्त क्षमता की कोई आवश्यकता नहीं होगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिना किसी परिवर्धन के वर्तमान वर्कशापों में इन विशिष्ट आवश्यकताओं की भी व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री परिमल घोष : इस विशेष प्रकार के मालडिब्बों के निर्माण के लिये अतिरिक्त मशीनें लगाये जाने के लिये प्रार्थना की जा सकती है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Police Firing on Adivasis at Chenpur (District Ranchi)

S. N.Q. No.5. Shri S. M. Joshi: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Police opened fire on Advasis in the Chenpur area of District Ranchi on the 27th October, 1968;

(b) whether the order for firing was issued by the Magistrate present there;

(c) the name and age of each of the persons killed and of those injured as a result of the said firing;

(d) whether a lathi charge was made and tear gas shells burst before the firing and, if not, the reasons therefor;

(e) whether the Police carried out the task of removing the dead-bodies of the persons killed and taking the iujured ones to the hospital and, if so, how long after the firing; and

(f) whether Government propose to hold a judicial enquiry into the said firing and, if so, when ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)

(क) से (च). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 27 अक्तूबर, 1968 को रात के लगभग 9.10 बजे से 9.30 बजे तक उपद्रवी भीड़ को, जो कि वेनपुर पुलिस थाने पर आक्रमण कर रही थी, तितर-बितर करने के लिए पुलिस को वेनपुर में गोली चलानी पड़ी थी । उसी दिन लगभग 11 बजे पूर्वाह्न में जांच के अधीन एक मामले में तीन अभियुक्त वेनपुर में गिरफ्तार किये गये थे । बिरसा सेवा दल के नाम से एक संगठन के अनुयायियों ने इन गिरफ्तारियों पर आपत्ति की जिससे आशंका थी कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति बल द्वारा छुड़ा न लिये जायं । चूंकि स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी अत: वेनपुर के पांच मील के घेरे में प्रदर्शन निकालने तथा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन एक आदेश जारी किया गया । बाद में, उसी दिन शाम को कुछ व्यक्तियों को, जिनमें कुछ घातक हथियार लिये हुए थे, वेनपुर बाजार क्षेत्र में लगभग 100 ग्रामवासियों की एक भीड़ को उकसाते देखा गया । गैर कानूनी भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश दिया गया किन्तु भीड़ उपद्रवी हो गयी और उसने पुलिस दल पर पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये । तदनुसार भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी प्रहार करना पड़ा । और सात व्यक्ति भी हिरासत में ले लिये गये । उसी समय गांव के एक दूसरे क्षेत्र में स्थानीय बस अड्डे के समीप लगभग 600-700 व्यक्तियों ने गैर कानूनी जमाव किया । भीड़ को तितर-बितर करने के लिये ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट का समझाना तथा निदेश निरर्थक सिद्ध हुआ और इस भीड़ ने पुलिस दल पर पथराव आरम्भ कर दिया और दूसरी भीड़ में, जो कि इस बीच पुलिस थाने के निकट एकत्रित हो गई थी, मिलने के लिए एक जलूस बनाया । अन्धेरा होते ही थाने के पास खड़ी भीड़ ने स्टेशन हाउस पर पथराव शुरू कर दिया । रात के लगभग 9 बजे मजिस्ट्रेट तथा पुलिस दल ने भीड़ से बन्दूक की गोलियां चलने की आवाज सुनी । मजिस्ट्रेट ने जमाव को पुन: अवैध घोषित किया तथा उसे तितर-बितर होने का आदेश दिया । इस चेतावनी का भी कि इसके परिणाम गम्भीर होंगे, कोई प्रभाव न पड़ा । पथराव जारी रहा तथा मजिस्ट्रेट और पुलिस दल के कुछ व्यक्ति घायल हुए । दूसरी चेतावनी का भी कि यदि अवैध जमाव नहीं हटेगा तो गोली चलाई जायेगी, कोई लाभ नहीं हुआ । जीवन तथा सम्पत्ति को होने वाले गम्भीर खतरे को देखते हुए तथा यह विचार करते हुए कि अन्धकार में लाठी प्रहार व अश्रु गैस का कोई प्रभाव नहीं होगा, मजिस्ट्रेट ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया ।

2. गोली चलने से मरने वाले व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. सेमुअल कुजूर — 17 वर्षीय

2. मिलानी टोपो — 21 वर्षीय

3. जमा टोपो — 20 वर्षीय

3. तेरह घायल व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :

(1) कुमारी अंगीला टिर्की (2) कुमारी हेलीमा लक्रा (3) कुमारी कथेरीना टिग्गा (4) कुमारी बिबियाना टिर्की (5) कुमारी एनश्थीसिया बरूला (6) कुमारी एम्युनिया बैक (7) कुमारी मनीका बरूला (8) विलियम कुजूर (9) रामगोपाल प्रसाद (10) जयनाथ टोपो (11) विलियम टिग्गा (12) कन्दरू तथा (13) मार्शल टिग्गा ।
उनकी आयु रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है ।

4. गोली चलने के बाद, भीड़ शवों तथा घायल व्यक्तियों को उठाकर ले गई । 3 शव तथा 11 घायल व्यक्ति बाद में एक स्थानीय कोनबेंट में पाये गये । तीन शवों की गुम्ला हस्पताल में शव परीक्षा की गई । हस्पताल में एक घायल व्यक्ति को भी दाखिल किया गया ।

5. रांची के उप-आयुक्त तथा पुलिस अधीक्षक ने पहले से ही घटना-क्रम की जांच की थी तथा उनका मत है कि शक्ति का प्रयोग न्यायोचित था तथा शक्ति का कम से कम प्रयोग किया गया । घटना से सम्बन्धित मामले स्थापित कर लिये गये हैं तथा वे न्यायाधीन हैं । मामले की कोई न्यायिक जांच कराने का प्रस्ताव नहीं है ।

Shri S. M. Joshi: It is a very serious matter. The contents of the Statement made available to us clearly shows that the Government's information is never correct. Central Government is more responsible since President's Rule is there. It is clearly written in it that :

".....formed itself into a procession to join another crowd which had meanwhile collected near the police station. As it became darker, the crowd near the police station started pelting stones on the station House. At about 9 p. m. the Magistrate and the police party heard two gun shots from the crowd. The Magistrate again declared the assembly unlawful and commended it to disperse. Warning that grave consequences would follow, also had no effect. Pelting of stones continued and the Magistrate and some members of the police party were injured. Another warning that firing would be resorted to if the unlawful assembly did not disperse also proved to be of no avail. Apprehending serious and imminent danger to life and property and holding the view that lathi-charge or tear gassing in the prevailing darkness would be of no effect, the Magistrate ordered the police to open fire.

This clearly shows that they did not use lathis or tear-gas first, but straight away ordered firing. When the people have asked the Magistrate why he did not use tear-gas cell he replied that the police did not have tear gas cells ; and when asked about the use of lathis, he replied that he did not think it necessary to use lathis. Thus he ordered for opening fire straight away.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उन्होंने अश्रु गैस तथा लाठियों का प्रयोग न करके बन्दूकों का प्रयोग क्यों किया ? अब उन्हें उत्तर देने दें ।

Shri S. M. Joshi: Another thing in this connection the age of the persons killed has been wrongly stated. Three teen-aged girls and one boy are involved and eight women have been injured. If the people threw stones, I would like to know from the Hon. Minister how many policemen were injured by this act of stoning? Further, it is said that the firing was not necessary; then what are the reasons?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने वे तथ्य दे दिये हैं जो मुझे मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह झगड़ा कुछ पहले से चला आ रहा था। दिन भर झगड़ा बढ़ता रहा तथा दिन भर ही अनेक बार वे लोगों को तितर-बितर करने तथा स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयत्न करते रहे। यह सब कुछ अकस्मात् ही नहीं हुआ। अन्ततः वे पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। जब स्थिति ऐसी हो गई तो मौके पर तैनात अधिकारियों ने एक फैसला तो लेना था। यह बात वास्तव में विचार करने वाली है कि उसने अश्रु गैस अथवा लाठी चार्ज का प्रयोग क्यों नहीं किया—मैं यह नहीं कहता कि इस पर बहस न हो—परन्तु वह समय उसके निर्णय के लिये था और उसने यह ठीक न समझा कि लाठी चार्ज अथवा अश्रु गैस का प्रयोग किया जाय। सच तो यह है कि दिन में उप पुलिस-अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट मौके पर गये थे तथा वहां की स्थिति के बारे में निर्णय लेने के लिये उन्होंने वहां एक मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया। उन्होंने देखा कि स्थिति निरंतर जटिल होती जा रही है। मजिस्ट्रेट ने ही उस समय यह निर्णय लिया था। मुझे खेद है कि अन्ततः गोली चलानी पड़ी। यह हमेशा ही बुरी बात है कि गोली चलानी पड़े। मुझे खेद है कि कुछ औरतें हताहत हुईं। मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि यद्यपि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि कोई अदालती जांच कराने का हमारा विचार नहीं है, परन्तु मैं इस पर बिहार प्रशासन से और आगे विचार करने को तैयार हूं कि इस विषय में क्या कार्यवाही की जा सकती है।

Shri S. M. Joshi: The Hon. Minister has stated the D. M. and the S. P. had investigated the incidents and they were of the opinion that the use of force was justified. They will surely justify it, as they are the persons who used force. But I am satisfied when the Hon. Minister says that he would further look into it. But as it relates to the firing on the Adivasis and none knows about the actual casualties; in such circumstances, does the Hon. Minister agree to hold a judicial inquiry into these incidents?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं यह पूरी तरह मानता हूं कि यह आदिवासियों का मामला है तथा हमें इस मामले में और आगे विचार करना है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह मुझसे कोई वायदा न मांगें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर विचार करूंगा।

श्री स्वेल : बिहार के आदिवासियों पर पुलिस तथा प्रशासन के अत्याचारों के बारे में हम निरंतर ही समाचार पाते हैं। सरकार के इस वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है कि ये सभी विचार निराधार नहीं होते। गोली चलाने का एक मुख्य कारण तो यह था कि मजिस्ट्रेटों ने अथवा पुलिस

ने भीड़ की ओर से पुलिस स्टेशन पर गोली चलने की आवाज सुनी। वक्तव्य में कहा गया है कि :

"रात के लगभग 9 बजे मजिस्ट्रेट तथा पुलिस ने भीड़ से बन्दूक की दो गोलियां चलने की आवाज सुनी। मजिस्ट्रेट ने जमाव को पुनः अवैध घोषित किया और उसे तितर-बितर होने का आदेश दिया इस चेतावनी का भी कि इसके परिणाम गम्भीर होंगे, कोई प्रभाव न पड़ा।"

इसमें आगे कहा गया कि :

"जान व माल को गम्भीर और सम्भावित खतरा देखकर तथा यह विचार करते हुए कि इस अन्धकार में लाठी चार्ज अथवा अश्रु गैस प्रभाव नहीं डालेगी, मजिस्ट्रेट ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया।"

इसे सब जानते हैं कि एक दम गोली चलाने का उत्तर एक दम गोली चलाने में ही दिया जायेगा, परन्तु इस मामले में मजिस्ट्रेट के पास भीड़ को तितर-बितर होने के लिये कहने तथा भीड़ को चेतावनी देने का समय था; और उस कथित गोली चलने के कारण किसी का कुछ न बिगड़ता। फिर उन्होंने एक दम निर्णय किया कि जान व माल को खतरा है तथा गोली चलानी है। सब कुछ गड़बड़ मालूम होता है तथा व्यक्तिगत रूप से इस स्पष्टीकरण पर मुझे सन्तोष नहीं है। गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं अभी कहा है कि वह स्वयं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं तथा वह बिहार सरकार से इस बारे में और आगे बात करेंगे। इस स्थिति में मैं नहीं समझ पाता कि अदालती जांच के लिये आदेश देने में उन्हें क्या आपत्ति है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या अदालती जांच द्वारा अधिक तथ्य प्रकाश में नहीं आ जायेंगे तथा क्या लोगों को अदालती जांच के समक्ष अपनी बात कहने का उचित अवसर नहीं मिल सकेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने यह नहीं कहा कि मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा था कि यह आदिवासियों का मामला है तथा इस बारे में व्यक्तिगत रूप से अधिक ध्यान देने की बात है; और मैं जरूर ध्यान दूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने गोली चलने के बारे में कहा है, सो मैं ज्यादा वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता। गोली की आवाज से यही अन्दाजा किया जा सकता है कि भीड़ के पास बन्दूक आदि शस्त्र भी हैं और यह पुलिस को एक प्रकार की चेतावनी थी। इससे और अधिक कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे शायद यह भी स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने के आदेश क्यों दिये।

Shri Nathu Ram Ahirwar: In almost all the States of the country, the Adivasis and Harijans are being victimised by the superior class people and the police-flre is also done at the instance of superior class police officers. I would therefore, like to know from the Hon. Minister which of the political parties are responsible for this firing on these Adivasis and the Harijans.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं जानता।

श्री हो० ना० मुकर्जी : इस बात को विचारते हुए कि यह एक अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में बिहार और समीपवर्ती क्षेत्र में से एक अलग राज्य के लिए आन्दोलन जारी है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय में पूरी तरह सजग है तथा इस असन्तोष के पीछे निहित आदिवासियों की मूल-भूत मांगों को पूरा करने के लिये प्रयत्नशील है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । मैं सदन को विश्वास में लेकर कहूंगा कि इस विशिष्ट क्षेत्र में आदिवासियों के असन्तोष की समस्या पर हमारा ध्यान वहां राष्ट्रपति शासन के लागू होने से पूर्व है । मुझे याद है कि मैंने वहां के मुख्य मंत्री को अक्टूबर, 1967 में पत्र लिखा था जिसमें उनका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया था । परन्तु मैं नहीं जानता कि इसके बाद वहां वास्तव में क्या हुआ । राष्ट्रपति शासन के बाद हमने इस ओर ध्यान दिया तथा वर्तमान प्रशासन को इस क्षेत्र की समस्या का अध्ययन करने को कहा । उन्होंने इस बारे में एक रिपोर्ट पेश की है । विशेष रूप से, भूमि की समस्या इस क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण समस्या है । और इस पर निश्चय ही विचार किया जाना चाहिए । इस बारे में यदि कोई हल है तो वह कोई अधिनियम बनाना है । हमने प्रशासन को आवश्यक कानून तैयार करने को कहा है जो कि वे शायद इस मास के अन्त तक तैयार करके हमें भेज देंगे । हम इस बारे में कार्यवाही आरम्भ करना चाहते हैं । इस क्षेत्र की कुछ विकास समस्याओं की ओर भी हमने आयोजना आयोग का ध्यान आकर्षित किया है ।

Shri Bibhuti Mishra : There are cases of conversion as also social and economic problems as well as a movement in regard to a demand that the Chhota Nagpur should be made a separate state. So, in order to look into all these things and also to ensure law and order there ; since there have been firings and the Government is getting a bad name ; do the Government propose to take effective steps in this behalf ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी हां, हम दोनों दिशाओं में कार्यवाही कर रहे हैं । एक ओर तो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं । दूसरी ओर शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी दृढ़ हैं ।

श्री दे० अमात : पिछले पांच महीनों में, चिरी से लेकर चैनपुर तक रांची जिले के छोटा नागपुरवाले आदिवासी क्षेत्र में पुलिस द्वारा गोली चलाने की दो गम्भीर घटनायें हुईं । इतना ही नहीं,रांची विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्रों के साथ भी और अनेक घटनायें हुईं । इसके अतिरिक्त भूमि हड़पने वालों तथा ऋण दाताओं द्वारा आदिवासियों की भूमि का भी शोषण किया जा रहा है; तथा रांची के हैवी इन्जीनियरिंग निगम तथा बोकारो इस्पात संयंत्र जैसे सरकारी उपक्रमों में आदिवासियों को यथेष्ट रोजगार सुविधायें न मिलने से भी असन्तोष है । इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार क्या कारगर उपाय कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने अपनी कार्यप्रणाली के बारे में बता दिया है ।

श्री ए० श्रीधरन : हमारे समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग आदिवासी है। पहले तो वे इस देश के मालिक थे परन्तु बाद में उन्हें पीछे फैंक दिया गया। उनकी दशा असहनीय है। जो विवरण गृह-कार्य मंत्री ने सभा-पटल पर रखा है वह झूठों का पलंदा है। पुलिस ने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। पुलिस अधिकारी ठीक समय पर भीड़ को विभिन्न स्थानों पर ही तितर बितर कर सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री उन मंत्रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं जिन्होंने समय पर अपना कर्तव्य पालन नहीं किया ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : सदस्य महोदय ने तथ्यों के बारे में जो अपनी व्याख्या दी है, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

Shri Mohammad Ismail : As a matter of fact there was the problem of land and the whole movement started from that demand. They also wanted recruitment of local people in HEC. Is it not a fact that the caste Hindus were against them and harassed them. They went to the Magistrate to make a complaint but he too did not pay any heed and instead ordered the police to disperse them. In this way many people were killed. Will Government hold a judicial inquiry into it ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इन्कार नहीं करता कि वहां बेरोजगारी तथा भूमि की समस्या है। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि उसे इस घटना से क्यों जोड़ा जा रहा है। इन बातों की जांच करनी होगी।

Shri Kolai Birua (Singbhum) : I come from a nearby area where this incident took place. The people in fact were harassed. But they too are not free from blame, both are to blame.

Tax was collected from the people first by a contractor and then by an employee and some innocent people were arrested. The land of a person was taken by railway construction and he was not given compensation. Some persons were removed from mud houses. Will Government take some steps to remove these difficulties ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि सदस्य महोदय मुझे शिकायतों के बारे में बतायें तो मैं इनकी जांच कराऊंगा। मैंने सरकार की नीति के बारे में बता दिया है।

Shri Sheo Narain : There have been complaints from minorities and Harijans. Will home Minister do something to put an end to it ?

Shri Y. B. Chavan : The Bihar Government has appointed a study team. We have received report of the study team and we are taking action on that.

Shri Bhogendra Jha : It appears that the local authorities think that to harass the adivasis is a matter which pleases the Home Minister. Their leader has been detained. Will the Hon. minister hold a judicial inquiry into it so that it may create some hope amongst the Adivasis.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस विशेष मामले की न्यायिक जांच कराने के लिये तैयार नहीं हूं । परन्तु तथ्यों की एक बार फिर जांच करने के लिये तैयार हूं ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री जी ने कहा कि यह भूमि की समस्या है । ऐसी समस्या अब बारपेटा असम में हो गई कि जो श्री फरूरुद्दीन अली अहमद का चुनाव क्षेत्र है तथा जहां हरिजनों और आदिवासियों को भूमि से वंचित किया गया है । क्या सरकार इस सारी समस्या के बारे में एक व्यापक जांच करायेगी ताकि हरिजनों और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जा सके ? जो 13 व्यक्ति घायल हुए उनमें 7 स्त्रियां थीं । कहते हैं कि मजिस्ट्रेट ने रात का समय होने के कारण गोली चलाने का आदेश दिया । क्या अंधेरे में गोली, लाठियों तथा अश्रु गैस की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है । यह कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय जांच कराई गई है । इनमें से एक अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया तथा दूसरे के कर्मचारियों ने गोली चलाई । फिर इनकी जांच इनके अपने विरुद्ध कैसे जा सकेगी । मंत्री महोदय कहते हैं कि तथ्यों पर फिर नजरसानी करेंगे । वह यह क्यों नहीं कहते कि न्यायिक जांच करायेंगे । जो पहली जांच हुई है वह बेकार है । उसमें कहा गया है कि न्यूनतम शक्ति प्रयोग की गई परन्तु गवाही से दिखाई देता है कि ऐसा नहीं हुआ ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने इसे ध्यान में रख लिया है । मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मेरे प्रश्न का पहला भाग भू-समस्या के सम्बन्ध में व्यापक जांच के बारे में था । हरिजनों और आदिवासियों को अपनी जमीन से वंचित किया जा रहा है ।

Shri Shashibhushan : Despite the fact that lakhs of acres of land is lying uncultivated in the forests, adivasis are not allotted even an inch of it for cultivation. They are eager to work hard and satisfy their hunger. A revolution would raise its head if these adivasis are kept backward. I want to know the Hon. Minister's assessment and opinion about this matter.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि मैं इस अवसर पर राय दे सकता हूं, मैं केवल जानकारी दे सकता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is very painful and unfortunate that some girls were killed in the firing. I myself visited the place. But the fact remains that they are demanding a separate State. The Virsa Seva Dal, some Left Communists and some members of the Catholic Church are trying to create a Nagaland-like situation there. I want to know from the Minister whether the attack made on the Police Station had some planning behind it ; whether members of the Virsa Seva Dal had induced the girls and adivasis to accompany them ; whether these people have been indulging in violent and subversive activities ; and if so, the steps taken by Government to check them ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य विभिन्न संगठनों के बारे में मेरी सामान्य राय जानना चाहते हैं जिसे मैं नहीं देना चाहता क्योंकि उसके लिये यह अवसर अनुकूल नहीं है ।

इस समय हम एक स्थिति विशेष के बारे में विचार कर रहे हैं जहां अन्ततोगत्वा गोलियां चलानी पड़ीं और जो बड़े दुःख की बात है। मेरी धारणा है कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके पीछे जरूर कोई योजना थी। इसमें अन्य तत्व भी अन्तर्ग्रस्त हैं—धार्मिक संघर्षों के कारण भी इस समस्या की पृष्ठभूमि बनी है, इसे किसी मिशन विशेष ने किया अथवा दल विशेष ने किया या यह किसने किया आदि के बारे में मेरा क्या अनुमान है; मैं इस अवसर पर बताना उचित नहीं समझता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिजली की दरों को कम करने के लिये राज्यों को राजसहायता

*333. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों को कम करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा राजसहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में छोटे औद्योगिक एककों को स्वीकृत प्रणाली के अधीन बिजली की दरों के लिये राजसहायता दी जाती है। इस योजना की मुख्य बातें ये हैं :

(i) राज सहायता उन छोटे औद्योगिक एककों को दी जाती है जिनका अधिकतम भार 20 हार्स पावर से अधिक नहीं है।

(ii) जहां दर 9 पैसे प्रति यूनिट से अधिक है वहां अधिक पड़ने वाले मूल्य के लिये उतनी ही राजसहायता दी जाती है परन्तु वह सहायता 9 पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं होगी।

(iii) जिन राज्यों में वर्तमान दरें औसतन 9 पैसे अथवा उससे कम हैं वहां राजसहायता नहीं दी जायेगी; और

(iv) बिजली पर राज-सहायता में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बराबर का भाग देंगी।

Heavy Engineering Corporation, Ranchi

*338. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Shri Narendra Kumar Salve :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cost of production in the various projects of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi is just double the sale price of some commodities ;

(b) whether it is also a fact that goods worth lakhs of Rupees are lying unused for many years and there are many shortcomings in the administration of this Corporation ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps Government propose to take in this connection so that the various projects of the corporation could be run on commercial basis ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). The cost of production of some of the items manufactured, particularly specialised and sophisticated machinery and equipment, is higher than the cost of production at the present production lavel. Some construction materials, tools and materials such as special steel etc. have remained in store for some time. The utilisation of such items is under constant review and items as are not likely to be utilised in the near future are declared surplus and disposed of, whenever suitable offers are received. It has recently been considered necessary to strengthen and reorganise senior management positions in the H.E. C. in order to bring about greater co-ordination and better production planning and to impart to the Corporation's activities greater commercial bias. It is against this background that a Director of Co-ordination has been appointed to ensure close liaison and co-ordination of the activities of the three plants of the Corporation and specially between the Foundry Forge Plant on the one hand and the Heavy Machine Building Plant and the Heavy Machine Tool Plant on the other. An additional post of General Manager has also been created to be incharge of all turn-key projects such as the Bailladilla Deposit No. 5 and other such projects taken up by HEC. The production planning Department has also been strengthened in order to keep a close watch over the manufacturing programmes and to ensure effective and timely delivery of manufactured items. Special attention has been given to personnel problems and the post of Chief of Personnel has been upgraded to enable the Company to get a really experienced and competent officer of this level to tackle difficult personnel problems in the Corporation. On the finance and commercial side, the post of Financial Adviser and Chief Accounts Officer has been upgraded to that of Director (Finance), who will be responsible for organising detailed costing in the various manufacturing shops and would exercise financial and inventory controls. A post of Chief Commercial Manager has also been created to ensure close coordination between the commercial and production branches, together with the follow up existing orders. As a result of these measures of reorganisation, together with a number of measures being taken in the manufacturing shops and in the commercial and financial departments of the Corporation, it is expected that the activities of the Heavy Engineering Corporation will be much better coordinated on the production side and will also be given a much greater commercial emphasis in future.

छोटी तथा अलाभप्रद रेलवे लाइनों का बन्द किया जाना

*339. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री प्र० के० देव :

श्री प्र० नं० सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य छोटी और अलाभप्रद रेलवे लाइनों के बन्द किये जाने के विरुद्ध हैं;

(ख) कौन से राज्य अलाभप्रद लाइनों को बन्द करने और सड़क परिवहन की व्यवस्था करने के लिये सहमत हो गए हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार को उसकी पूर्व अनुमति के बिना इन लाइनों को बन्द न करने के बारे में दिया गया वचन पूरा किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : चौदह अलाभप्रद शाखा लाइनों के सम्बन्ध में हमने आठ राज्य सरकारों को लिखा था । सात राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य की लाइनों के बन्द करने के प्रस्ताव के विरुद्ध राय दी थी ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने प्रार्थना की थी कि राष्ट्रीय मार्ग सं० 3 के ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड में आवश्यक सुधार लाने के लिए रेल मंत्रालय को धन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि, यदि ग्वालियर-शिवपुरी लाइन बन्द हो जाये, तो अतिरिक्त यातायात संभाला जा सके ।

(ग) गुजरात सरकार को इस प्रकार का कोई वचन नहीं दिया गया था । जैसाकि कई बार इस सदन में बताया जा चुका है, कि अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व संबंधित राज्य सरकारों से सलाह ली जायेगी और सभी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

Legislation to Ban Donations to Political Parties

*340. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Company** Affairs be pleased to state :

(a) the difficulties that have arisen in passing the Bill to ban the donations to political parties by companies ; and

(b) when the said Bill is likely to be passed ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). The Companies (Amendment) Bill, 1968 which seeks, inter alia, to prohibit companies from making political contributions was introduced in the House on the 10th May, 1968. Notice of intention to move for consideration and passing of the said Bill in the current session of the House has already been given.

Complaints against Officers of State Trading Corporation

*341. **Shri Sharda Nand :**

Shri Onkar Singh :

Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the nature of complaints received against certain top officials of the State Trading Corporation and the full details thereof ;

(b) the names of the officials against whom inquiries were held and the outcome thereof ;

(c) whether Government have investigated against the former Chairman, Shri Patel also ; and

(d) if so, the outcome thereof and the action taken by Government against him ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (d). Complaints received against the former Chairman and some other officials of S.T.C. in regard to certain commercial transactions handled by them are being examined.

बेलाडिला लोह अयस्क खान का कार्य

*342. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलाडिला लोह अयस्क खान अपनी आधी अधिष्ठापित क्षमता पर काम कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो 21 अप्रैल, 1968 से 15 मई, 1968 तक और 16 मई, 1968 के बाद प्रतिदिन कितना अयस्क निकाला गया है और कितना भेजा गया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बड़ी यन्त्रीकृत लौह-अयस्क खानों के संबंध में निर्धारित क्षमता को प्राप्त करना एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसे लम्बी समयावधि में ही प्राप्त किया जा सकता है और जिसमें (1) कुल समूह के खान, पीसने तथा छानने के संयंत्र, लदाई अनुभाग आदि विभिन्न अनुभागों का पूर्णतः एकीकरण (2) कार्य-करण की आरंभिक कठिनाइयों को पार करने के लिये संयंत्र में समंजन और (3) सुधार और आवश्यक समन्जन कर लिये जाने के उपरान्त दूसरी पारी का चालू किया जाना शामिल है। अतः खान

इस समय अपनी निर्धारित क्षमता पर कार्य नहीं कर रही । यह प्रत्याशा है कि 40 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की निर्धारित क्षमता 1969-70 तक प्राप्त कर ली जायेगी ।

(ख) 21 अप्रैल, 1968 से 30 अप्रैल, 1968 की अवधि के दौरान उत्पादन और प्रेषण की औसत क्रमश: 3,772 और 3,519 मैट्रिक टन थी । पहली से 15 मई, 1968 तक की अवधि के तुलनात्मक आंकड़े 7,303 और 2,553 मैट्रिक टन हैं और 16 मई, 1968 से 31 मई, 1968 तक की अवधि के आंकड़े क्रमश: 6,154 और 3,947 मैट्रिक टन हैं । जून से अक्तूबर, 1968 तक कुल उत्पादन के मासिक आंकड़े 1.05 लाख मैट्रिक टन से 1.31 लाख मैट्रिक टन और मासिक प्रेषण 0.87 लाख मैट्रिक टन से 1.38 लाख मैट्रिक टन के थे ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

*343. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इस्पात विशेषज्ञों की यह राय है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन संयंत्रों के उचित तकनीकी पुनर्मूल्यांकन से संचालन लागत को इस हद तक कम किया जा सकता है जिससे कम से कम कुछ समय के लिए इस्पात के मूल्यों में की जाने वाली वृद्धि को टाला जा सके;

(ख) यदि हां, तो इन विशेषज्ञों द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिये मुख्य रूप से किन मार्गदर्शन सिद्धान्तों का संकेत किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित पुनर्मूल्यांकन का काम हाथ में लिया है; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं कि कुछ इस्पात विशेषज्ञों ने ऐसा मत प्रकट किया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन तीन इस्पात कारखानों के उपयुक्त तकनीकी पुनर्मूल्यांकन से संचालन लागत को इस हद तक कम किया जा सकता है जिससे इस्पात के मूल्य में और अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची

*344. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील प्लान्ट को दिये गये वचनों को देखते हुए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का उत्पादन संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसकी तीनों परियोजनाओं में 1967-68 के उत्पादन का क्या कार्यक्रम था और इन तीनों परियोजनाओं में वास्तविक उत्पादन कितना कितना हुआ था; और

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची ने बोकारो स्टील संयंत्र को 98,852 मी० टन मशीनी उपकरण तकनीकी ढांचे और मशीनी औजारों संभरण करने का काम लिया था । उपकरण और ढांचों का संभरण सन् 1968 की दूसरी तिमाही से प्रारम्भ करना है । संभरण सन् 1971 की तीसरी तिमाही तक प्रगत्यात्मक रूप में पूरा किया जायेगा । मशीनों के पुर्जों का संभरण सन् 1968 के उत्तरार्ध से सन् 1969 की तीसरी तिमाही तक करना है । मशीनों और उपकरणों जिनमें से अनेक उपकरण अत्यधिक जटिल प्रकार के हैं और उन्हें देश में प्रथम बार ही बनाया जा रहा है की सुपुर्दगी का कार्यक्रम अनेक कारकों पर आश्रित है क्योंकि विशेषरूप से डिजाइन प्रलेखों का सम्भरण, इस्पात और अन्य कच्चे माल की प्राप्यता, रूस से प्राप्त होने वाले आयातित पुर्जों और संतुलन उपकरणों का संभरण भी हैवी इंजीनियरिंग निगम के समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए । अधुनातन स्थित्यांक के आधार पर विशेष उपकरणों की सुपुर्दगी कार्यक्रम में उपर्युक्त कारणों से और कुछ उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं और कठिनाइयों से जो गत वर्ष हैवी इंजीनियरिंग निगम के सामने आई, कुछ समंजन करना आवश्यक हो सकता है । इनके बावजूद बोकारों के लिए उपकरणों और ढांचों के यथाशीघ्र संभरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है । इन प्रत्येक वस्तुओं के बारे में एक विस्तृत उत्पादन योजना, डिजाइन प्रलेख आदि के विषय में अधुनातन स्थिति को आधार बना कर बनाली गई है और उसे बोकारो प्राधिकारियों के परामर्श से दिसम्बर 1968 के प्रारम्भ में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा । अब तक 2000 टन से अधिक मशीनी उपकरण 5000 टन ढांचे जिनका योग 7054 मी० टन होता है और इनके अतिरिक्त 19.0 मी० टन मशीनी पुर्जे बनाये जा चुके हैं जिनमें से 5000 मी० टन माल बोकारो भेज दिया गया है । सन् 1967-68 में उत्पादन का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था :

परियोजना	पुनरीक्षित कार्यक्रम (1967-68) (मी०टनों में)	वास्तविक उत्पादन (मी०टनों में)
1. फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट	15805.00	9003.13
2. हैवी मशीन बिल्डिंग प्लान्ट	12605.20	14611.00

3. हैवी मशीन टूल्स

प्लान्ट	20 संख्या (मशीन टूल्स)	15 संख्या (मशीन टूल्स)

रांची में साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण तथा इसी कठिन अवधि के संयंत्र के समक्ष आई अनेक समस्याओं के कारण इस वर्ष कार्य में काफी व्यवधान पड़ा ।

(ग) उत्पादिता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं । हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लान्ट और हैवी मशीन टूल्स प्लान्ट के एककों के कामों में निकट सम्पर्क को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक समन्वय निदेशक की नियुक्ति हाल ही में की गई है । उत्पादन प्रायोजना एकक को बढ़ाया गया है अतः भविष्य में उत्कृष्टतर परिणामों की आशा है । प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और विशेष रूप से अपने काम पर ही प्रशिक्षण और जटिल भारी मशीन एकक में प्रशिक्षण दिये जाने पर जोर देने के लिए कदम उठाये गये हैं । उत्साहवर्धक योजनाओं को भी प्रगत्यात्मक रूप से जारी किया जा रहा है और कुछ उत्पादन कर्मशालाओं में वे प्रारम्भ भी की जा चुकी हैं । फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट को जल्दी पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है और हाल के महीनों में इस एकक में ढली हुई वस्तुओं के संभरण में पर्याप्त सुधार हुआ है । एक 90 दिवसीय उत्पादन आन्दोलन हाल में चलाया गया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं । इस अवधि में फाउन्ड्री फोर्ज एकक का उत्पादन गत तिमाही की अपेक्षा 180 प्रतिशत अधिक था । हैवी मशीन बिल्डिंग प्लान्ट के कार्य में भी पर्याप्त प्रगति हुई है । इन प्रयत्नों जिन्हें कि आगे के महीनों में भी जारी रखा जायगा और अधिक मात्रा में बढ़ाया जायेगा, के फलस्वरूप यह प्रत्याशित है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की उत्पादन क्षमता में इस वर्ष के अंत तक पर्याप्त प्रगति होगी और बोकारो के संभरण कार्यक्रम में विभिन्न कारणों से जो व्यवधान पड़ा है वह आगामी वर्ष में पूरा किया जा सकेगा ।

Recognised Unions of Railway Employees

*345. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of recognised Unions of Railway employees functioning at present ;

(b) the number of such Unions as have not been recognised by the Railway Board ; and

(c) the reasons therefor and when recognition is likely to be accorded to them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Thirteen, excluding six for which recognition has been recently withdrawn.

(b) Under the procedure in force it is the General-Managers of the Zonal Railways who accord recognition to Unions, and not the Railway Board.

(c) Does not arise.

मनुभाईशाह सूती कपड़ा पुनर्गठन समिति

*346. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सूती कपड़ा पुनर्गठन समिति, जिसके अध्यक्ष श्री मनुभाईशाह थे, का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि कपड़े के उत्पादन पर से आंशिक नियंत्रण समाप्त कर दिया जाये और उत्पादन शुल्क में कमी कर दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मुख्य-मुख्य बातें दी गयी हैं ।

(ग) तथा (घ). जी हां । इन पर तथा प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य बातों पर प्रतिवेदन के प्रकाशित होने से पूर्व ही सरकार विचार कर रही थी और जब और जहां व्यवहार्य था आवश्यक कार्यवाही की गयी है । इस समय तो कपड़े पर लगे आंशिक नियंत्रण को हटाने अथवा उत्पादन शुल्क कम करने का सरकार का विचार नहीं है ।

विवरण

गुजरात सरकार द्वारा श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता में नियुक्त सूती वस्त्र उद्योग पुनर्गठन समित के प्रतिवेदन की मुख्य बातें

(1) कम लाभ कमाने वाली मिलों के लिये कार्यकारी वित्त की व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि स्टाक, रुई और भण्डारों पर बैंकों को कम शुल्क लेने पर सहमत करवाना चाहिये और बैंकों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त अग्रिम धन-राशि के लिये राज्य सरकार को गारंटी देनी चाहिये ।

(2) यदि मिलों के 'खाता ऋणों' की राशि काफी है और सम्बन्धित मिलें' वास्तव में कठिनाई का सामना कर रही हैं तो सरकार को विशेष मामले के रूप में खाता ऋणों के विरुद्ध लिये गये ऋणों की गारन्टी देने पर विचार करना चाहिये ।

(3) रुई का विनियंत्रण होने के कारण रुई के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और सूती कपड़ा मिलें विशेषकर कम लाभ कमाने वाली मिलें और मोटा तथा मध्य दर्जे का कपड़ा बनाने वाली मिलें उत्पादन पर वर्तमान आंशिक नियंत्रण और 25 प्रतिशत उत्पादन पर आंशिक नियंत्रण के कारण कोई लाभ नहीं कमा रही हैं । समिति ने इसीलिये मूल्यों और उत्पादन पर लागू वर्तमान आंशिक नियंत्रण हटाने की सिफारिश की है ।

(4) इंजीनियरिंग मशीनी औजार, रसायन आदि उद्योगों को "प्राथमिक" उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूती कपड़ा उद्योग को, जिस पर इतना रोजगार, राष्ट्रीय आय, उत्पादन और कपड़े जैसी अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई निर्भर करती है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 23क के अन्तर्गत "प्राथमिक उद्योग" घोषित करना चाहिए।

(5) जब भी कभी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार मिलों को आधुनिकीकरण और नवीकरण कार्यक्रमों के लिये दीर्घावधि वित्तीय सहायता दें तो ऐसी व्यवस्था के लिये समिति ने कपड़ा आयुक्त के कार्यालय अथवा वणिज्य मंत्रालय में एक आधुनिकीकरण आयुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की है जिससे ऐसी मिलों को उनकी भविष्य तथा वर्तमान समस्याओं के साथ निपटने के लिये तकनीकी एवं आर्थिक परामर्श और पथ प्रदर्शन उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार मुख्य राज्यों में जहां काफी बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें चल रही हैं, राज्य आधुनिकीकरण आयुक्त नियुक्त किये जाने चाहिये।

(6) जिन कपड़ा मिलों में पुरानी मशीनें अधिक मात्रा में नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित तरीके से वित्तीय सहायता देकर विभिन्न अवस्थाओं में क्रमबद्ध रूप से आधुनिकीकरण का कार्यक्रम चलाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये :

(क) मिलों को सभी देशी तथा विदेशी मशीनें जिनके लिये आयात की अनुमति है देशी और विदेशी निर्माताओं से आस्थगित भुगतान के आधार पर खरीद लेनी चाहिये और इसके लिये केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को अनुसूचित बैंकों के साथ कुछ व्यवस्था करनी चाहिये।

(ख) अनुसूचित बैंकों का पुनर्भुगतान स्थगित भुगतान ऋणों के लेने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक किया जाना चाहिये और पहला भुगतान ऋण लेने के तीसरे वर्ष से शुरू हो और बाद के भुगतान सात एक समान वार्षिक किस्तों में;

(7) उन मिलों के लिये बड़े पैमाने के "क्रैश" आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के बारे में जो इन कार्यक्रमों को हाथ में ले सकते हैं, समिति ने निम्नलिखित सहायता की सिफारिश की है;

(एक) ऋणों की व्यवस्था औद्योगिक वित्त निगम, टी० डी० बी० आई० और अनुसूचित बैंकों के साथ की जा सकती है जो राज्य सरकारों की गारंटी से अनुमोदित आवेदकों के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के लिये कंसार्शियम बना सकते हैं;

(दो) चूंकि पुराने ब्लाकों, भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों का कम करके दिखाया गया मूल्य आस्तियों या आस्तियों के विस्थापन के वर्तमान बाजार मूल्य से काफी कम है; आधुनिकीकरण के लिये दिये गये ऋण आस्तियों के 50 प्रतिशत तक सीमित नहीं रखे जाने चाहिये जैसा कि इस समय होता है, अपितु किन्हीं विद्यमान ऋणों के साथ प्रथम प्रभार या समरूप प्रभार के-साथ नई आस्तियों के 80 प्रतिशत मूल्य तक दिये जाने चाहियें और योग पुरानी तथा नई आस्तियों के कुल मूल्य (जिसमें पुरानी आस्तियों का कम करके दिखाया गया मूल्य और नई आस्तियों का मूल्य शामिल है) के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये;

(तीन) पुनर्भुगतान अनुसूची ऋण लेने के तीन वर्ष बाद से शुरू होने वाले प्रथम भुगतान के साथ 15 या 20 वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जायेगी और पुनर्भुगतान 22 से 32 अर्ध वार्षिक समान किस्तों में किया जायेगा ।

(8) आधुनिकीकरण के लिये प्रोत्साहन देने और देसी मशीनों के अधिक मूल्यों के कारण महंगे आधुनिकीकरण के भार को कम करने के लिये आधुनिकीकरण की पूंजी लागत को पूरा करने के लिये मिलों को कुछ सहायता की आवश्यकता होगी । समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को देसी (तथा आयातित) मशीनों की खरीद के लिये किसी वर्ष में मिल द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत उस वर्ष कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले उत्पादन शुल्क में से वापिस करना चाहिये । कपड़ा उद्योग को यह रियायत काफी समय तक दी जानी चाहिये ताकि राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिकीकरण संतोषजनक ढंग से किया जा सके ।

बोकारो स्टील प्लान्ट

*347. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील प्लान्ट कब तक अपनी पूरी 50.4 लाख मीटरिक टन उत्पादन की अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता प्राप्त कर लेगा;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है कि इसका निर्धारित तीन प्रक्रमों में विकास धीमी गति से हो; और

(ग) इसके उत्पादन और विस्तार के तीनों क्रमों के पूरा होने की समय सीमा क्या है और क्या कार्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा हो जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अब जिस प्रकार बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण हो रहा है इसकी निर्धारित क्षमता 1.7 मिलियन टन पिण्डक है । कारखाने के इस चरण के पूरा होने पर इसमें 4 मिलियन टन पिण्डक तक विस्तार करने की गुंजाइश होगी । उसके बाद भी कुछ अतिरिक्त उपकरण लगाकर इसकी उत्पादन क्षमता 5.5 मिलियन टन पिण्डक तक की जा सकेगी । प्रथम चरण जिसमें उत्पादन-क्षमता 1.7 मिलियन टन पिण्डक होगी, 1971 के अन्त तक पूरा हो जाएगा । अगले चरणों को पूरा करने के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है ।

हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

*348. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का

एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है और यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो ये सिफारिशें क्या हैं और यदि नहीं तो क्या परिवर्तन किये गये हैं;

(ग) क्या इस कारखाने की स्थापना के लिए कोई तिथि निश्चित की गई है और यदि हां, तो यह तिथि क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार, कम्पनी और सहयोग देने वालों के बीच हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। अत: इस समय उसका विस्तृत ब्योरा दे सकना सम्भव नहीं है।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई भी सिफारिश नहीं की है लेकिन वे शर्तों और उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं जिससे कि वे संबंधित भारतीय पार्टी को कच्चे माल की सप्लाई कर सकें। केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पहले ही अपने विचारों से अवगत करा दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारतीय पार्टी के बीच इस मामले पर अभी बात-चीत चल रही है।

(ग) और (घ). चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार और भारतीय पार्टी के बीच कच्चे माल के समझौते पर अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया जा सका है अत: कारखाना स्थापित करने की निर्धारित तिथि अथवा प्रस्तावित करार की कोई रूप-रेखा दे सकना सम्भव नहीं है।

Guna-Maksi Rail Link

*349. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total mileage of track laid so far and that proposed to be laid for the completion of Guna-Maksi rail link which is under construction ;

(b) the time likely to be taken to complete this rail link ;

(c) the amount spent thereon so far and the total amount allocated for the completion of the whole work ;

(d) the number of big and small bridges and culverts built so far and the number of those to be built for completion of the construction work ; and

(e) whether it is a fact that Government propose to abandon this work due to paucity of funds ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 49.75 Kms. of track has been laid on this line upto the end of October, 1968 leaving a balance of 142.47 Kms. to be laid out of a total length of 192.22 Kms.

(b) The question of fixing a revised target date for the completion of this line is under consideration.

(c) Out of the total estimated cost of Rs. 9.60 crores the expenditure incurred so far on this line is about Rs. 5.40 crores.

(d) The number of major bridges constructed so far is 30 out of a total of 33 to be provided on this line, and minor bridges 143 out of 224.

(e) In view of the reply to (b) above, this does not arise.

रेलवे सुरक्षा दल

*350. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के समस्त विभाग में वर्ष 1967-68 में रेलवे सुरक्षा दल के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) वर्ष 1961-62 तथा 1962-63 में सामान के गुम हो जाने के दावों के भुगतान पर कितना धन खर्च किया गया है तथा वर्ष 1954-55 में रेलवे सुरक्षा दल बनाये जाने से पहले इस मद पर कितना धन खर्च किया गया था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1967-68 में रेलवे सुरक्षा दल के अनुरक्षण पर हुए खर्च के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन 1966-67 में खर्च की गयी रकम 8.94 करोड़ रुपये थी।

(ख) चोरी, नुकसान तथा परेषणों के गुम हो जाने के दावों के भुगतान पर खर्च की गयी रकम का ब्योरा इस प्रकार है :

1954-55	1.72 करोड़ रुपये
1961-62	2.60 करोड़ रुपये
1962-63	2.65 करोड़ रुपये

राजनैतिक दलों को चन्दा देना

*351. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 13 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3812 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी राजनैतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति क्यों दी गयी है; और

(ख) क्या किसी भारतीय राजनैतिक दल को किसी अन्य देश से चन्दा मिला है और यदि हां, तो उस दल का नाम क्या है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उसे कितनी धन-राशि प्राप्त हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी अधिनियम में, अपनी वर्तमान स्थिति में, अधिनियम द्वारा प्रस्तुत सीमाओं के अन्तर्गत, एक कम्पनी को किसी राजनैतिक दल को दिये जाने वाले अंशदान का निषेध नहीं है ।

(ख) गत साधारण चुनाव तथा अन्य कार्यों के लिये, विदेशी धन के प्रयोग पर, गुप्तवार्ता विभाग की रिपोर्ट अभी तक परीक्षान्तर्गत है ।

मैसूर में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योग

*352. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार द्वारा हाल के वर्षों में प्रस्तावित उद्योगों के नये कार्यक्रमों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अस्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) मैसूर राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित नये उद्योगों का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तावित उद्योगों का नवीन कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अंगभूत होने के कारण आजकल विचाराधीन है, उन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) नवीन सरकारी बिजली फैक्टरी के लिए मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 400 लाख रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए पहल की है ।

रूस को माल डिब्बे निर्यात करने के लिये बैंकों का सार्थसंघ

*353. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 6 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस को माल डिब्बों का निर्यात करने के आर्डर के बारे में वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य व्यापार निगम को बैंकों का एक सार्थसंघ स्थापित करने में कितनी सफलता मिली; और

(ख) इस बारे में सहयोग देने वाले बैंकों के क्या नाम हैं और उनके साथ किन-किन शर्तों पर समझौता हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). माल डिब्बों का निर्यात करने की एक संविदा को अन्तिम रूप देने के लिए सोवियत संघ के प्राधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। क्रयादेश के लिए किसी विशेष वित्त व्यवस्था करने के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जायेगा जब भुगतान के नियम तथा शर्तें निश्चित कर ली जायेंगी।

भारत-नेपाल व्यापार करार

*354. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत-नेपाल के बीच हुए करार के ज्ञापन और अनुबन्ध तथा इस करार को कार्यरूप देने से सम्बन्धित अधिसूचना और निर्यात नियंत्रण हस्तपुस्तिका के बारे में जारी की गई कंडिकाओं को सभा-पटल पर रखेगी;

(ख) क्या इन अधिसूचनाओं और हस्तपुस्तिका से अनुबन्ध का उल्लंघन नहीं होता है;

(ग) उपर्युक्त दस्तावेजों के अनुसार गैर-नेपाली कच्चे माल पर आधारित नेपाली उत्पादों के बारे में अलग करार करने के लिए बातचीत न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 'व्यापार तथा परिवहन संधि (1960) से उत्पन्न मामलों पर समझौते का ज्ञापन' की प्रतियां संसद पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी हैं। 1960 में भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच हुई व्यापार तथा परिवहन संधि में कोई अनुबन्ध नहीं था परन्तु दो आनुषंगिक पत्रों का उसी समय आदान प्रदान किया गया था और वे संधि के उपबन्धों के समान ही बाध्यकारी हैं। 1 फरवरी, 1963 तथा 1 अक्तूबर, 1966 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं और आयात नियंत्रण व्यापार हस्त-पुस्तिका (1968) के पैरा 176 की प्रतियां अब सभा-पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल०टी० 2313/68]**

(ख) सम्बंधित अधिसूचनाएं और हस्तपुस्तिका के उपबन्ध 1960 की संधि के अनुरूप हैं।

(ग) नेपाल से भारत को गैर-नेपाली कच्चे माल पर आधारित औद्योगिक उत्पादों के आयात को विनियमित करने के लिये समझौते के ज्ञापन के अनुबन्ध 2 की कंडिका 6 के अनुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में हमारे साथ करार करने पर नेपाल की सरकार को कुछ कठिनाई थी। अंततोगत्वा, श्री वी० आर० भगत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल द्वारा काठमंडू में की गई बातचीत के परिणामस्वरूप नेपाल सरकार संश्लेषित धागे के वस्त्रों तथा बेदाग इस्पात

की वस्तुओं के निर्यात को 1967-68 के स्तर पर सीमित करने तथा इन मदों के उत्पादन के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन को 1967-68 के स्तर पर सीमित रखने के लिये सहमत हो गई है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

लाइट एवं मीटर रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

*355. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लाइट एवं मीटर रेलवे लाइनों की लम्बाई कितने किलोमीटर है जिनको चौथी योजना की अवधि में बड़ी लाइन में बदलने का विचार है ;

(ख) क्या बड़ी रेलवे लाइन द्वारा सभी बड़े नगरों को मिलाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). भारतीय रेलों के कुछ मीटर लाइन खण्डों पर आगामी कुछ वर्षों में भारी यातायात घनत्व के विकसित होने की सम्भावना तथा बड़े-बड़े बन्दरगाहों, महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों, बड़ी-बड़ी लौह अयस्क खान परियोजनाओं आदि को बड़ी लाइन द्वारा जोड़कर सीधी परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए, कुछ महत्वपूर्ण मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का कार्यक्रम रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है । इन मीटर लाइन खण्डों का बड़ी लाइन में वास्तविक परिवर्तन उन सर्वेक्षणों के परिणामों पर निर्भर होगा जिन्हें धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर अग्रता निर्धारित करने के लिए हाथ में लेने का विचार है । तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, मीटर लाइनों के बड़ी लाइनों में बदलने सम्बन्धी स्वीकृत कुछ निर्माण कार्य चालू हैं । अभी हाल में, मिरज-कोल्हापुर खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरी दी गयी है । देश के सभी बड़े शहरों का बड़ी लाइन से सम्पर्क स्थापित करने की कोई योजना नहीं बनायी गयी है । फिलहाल छोटी लाइन के खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने की भी कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है ।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*356. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इससे उद्योग तथा सभी कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप सरकार को क्या-क्या लाभ होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*357. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए पूर्णतया रक्षित उद्योगों की सूची के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या इस प्रकार के विकास में राज्य सरकारों को अधिकाधिक सम्बद्ध करने के लिए सरकार क्रिया के विकेन्द्रीयकरण पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची का पुनरीक्षण प्रतिवर्ष होता है । इस पुनरीक्षण से राज्य सरकारें भी सम्बद्ध हैं । सूची का पुनरीक्षण करने से पूर्व राज्यों के उद्योग निदेशकों से अधिकाधिक प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं । अब सरकार इस सूची का फिर पुनरीक्षण कर रही है । यह पुनरीक्षण उद्योगों के विकास के लिए चतुर्थ योजना के उपगमन के संदर्भ में किया जा रहा है ।

दुर्गापुर प्राजैक्ट को हानि

*358. **श्री वि० कु० मोडक :**

श्री गणेश घोष :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 6 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर प्राजैक्ट लिमिटेड को अब तक, वर्षवार हुई कुल हानि के बारे में सरकार ने सूचना इकट्ठी कर ली है, और हानि के कारणों की जांच की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियों का ब्योरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) सूचना कब इकट्ठी किये जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां । 6 अगस्त, 1968 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 339 के उत्तर में दिये गये वचन की पूर्ति हेतु अपेक्षित सूचना देने वाले निर्धारित फार्म की 12 प्रतियां सभा के पटल पर रखे जाने के लिये संसद कार्य विभाग को भेज दी गई हैं ।

(ख) से (घ). हाई कोर्ट द्वारा व्यादेश जारी किये जाने के कारण श्री सुकु सेन की अध्यक्षता में बनी समिति की, जिसने वित्तीय कार्यकरण की जांच की थी, रिपोर्ट पर पहले कोई कार्यवाही न की जा सकी । तथापि, वह 10 मई, 1968 को वापिस ले लिया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है । क्योंकि रिपोर्ट बहुत विस्तृत है अतः इसकी जांच पूरी करने में समय लगेगा ।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के कारखाने

*359. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण कारखाने लगाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां । महाराष्ट्र सरकार ने गैस सिलैन्डर प्रायोजना और सीमलैस ट्यूब प्रायोजना नामक दो केन्द्रीय आयोजनाओं को नागपुर क्षेत्र में स्थापित करने का सुझाव दिया है । इन प्रायोजनाओं के स्थान निर्धारण के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

रूस द्वारा भारत को उर्वरक का निर्यात

*360. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत को उर्वरक का निर्यात करने के लिये सहमति प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गत कुछ वर्षों से

हम सोवियत संघ से उर्वरक का आयात कर रहे हैं । हमारी आयात आवश्यकताओं का भाग भविष्य में भी सोवियत संघ से पूरा होता रहेगा ।

(ख) गत तीन वर्षों में सोवियत संघ से आयातित उर्वरकों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2314/68]

कपास का रक्षित भंडार स्थापित करने संबंधी समिति

2067. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 के लिये कपास का समर्थन मूल्य क्या है ; और

(ख) कपास का रक्षित भंडार स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति की सिफारिश क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान 19 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1283 के दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) कपास के रक्षित भण्डार, के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गयी उप-समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

Import of Cotton

2068. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of cotton required by India at present and the quantity of cotton for which orders have been placed with foreign countries ;

(b) the quantity of cotton imported under PL-480 funds during the year 1968-69 so far and the quantity of cotton likely to be imported during the months of January and February, 1969 ;

(c) whether it is a fact that cotton is imported at the time of the marketing season of indigenous cotton and the prices of indigenous cotton decline as a result thereof ; and

(d) if so, whether Government propose to change their policy regarding import of cotton and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Presumably the Hon. Member is referring to the requirements of foreign cotton. Such requirements are determined every year on the basis of total demand and availability of indigenous cotton, also keeping in view the requisite carry-over stocks. For the cotton year 1968-69 (September, 68—August, 69) 3.5 lakh bales of global cotton have been released for import.

(b) Arrangements for import of cotton under PL-480 are still under negotiation.

(c) No, Sir. Imports of cotton against the quantities released are spread over the entire cotton season. The marketing seasons in the exporting countries and the financial position of the mills determine the pace of imports during the season.

(d) Does not arise.

कृषि मूल्य आयोग द्वारा निश्चित की गई कपास की कीमतें

2069. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कृषि मूल्य आयोग ने कपास का प्रति क्विंटल स्टेण्डर्ड मूल्य क्या निर्धारित किया है ; और

(ख) सितम्बर, 1968 में नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कितने समर्थन मूल्य की सिफारिश की थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कृषि मूल्य आयोग कपास का मूल्य निर्धारित नहीं करता ।

(ख) रुई के समर्थक मूल्य पर सितम्बर, 1968 में नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा नहीं हुई ।

चावल का निर्यात

2070. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वर्ष में बहुत अच्छी किस्म की 15,000 टन बासमती चावल का निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह चावल किस मूल्य पर निर्यात किया जा रहा है तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाने के अनुमान हैं और किन-किन देशों को उसका निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार ने किसी भी रूप में इस निर्यात को राजकीय सहायता दी है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) अभी हाल में किये गये सौदों में प्राप्त हुआ मूल्य लागत-भाड़ा सहित प्रति मे० टन 107/- पौंड स्टर्लिंग है । यदि 15000 मे० टन निर्यात किया गया तो लगभग 2.8 करोड़ रुपये की कुल विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है । निर्यात,अधिकांशत: पूर्वी यूरोपीय/खाड़ी के देशों तथा ब्रिटेन को किया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

Grant of Licences

2071. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number and names of persons who have been granted licences for importing stainless steel and steel in Madhya Pradesh from 1962 to 1967 (year-wise) ;

(b) whether any enquiry regarding the persons concerned is made by any senior departmental officer before granting an import licence to any person ;

(c) if not, the reason for the same ; and

(d) whether Government would cancel the licences of these persons who import steel in the name of industry but do not possess any industry and sell imported steel in the black market ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c). Import licences are issued to parties by the licencing officer concerned after proper scrutiny of their applications in the context of the import licencing policy/procedure in force for a particular licensing period and/or on the basis of recommendations made by the concerned Sponsoring Authorities. It is for the respective sponsoring authorities to satisfy themselves regarding the genuineness of applications.

(d) Appropriate action is taken when specific complaints are received.

Exports and Imports Undertaken by S. T. C.

2072. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the articles imported and exported by the State Trading Corporation during the last six months ;

(b) the names of the countries to which these articles were exported and of those from where they were imported ; and

(c) the quantity and value of the each articles exported and imported, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Closure of Cement Factories

2073. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cement industrialists have given notices to close down their factorries because of no take-off from their cement go-downs ;

(b) if so, Government's reaction thereto ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to ensure that the labourers engaged in this industry are not thrown out of employment ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

फिल्मों का आयात और निर्यात

2074. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 में अमरीका से विदेशी फिल्मों के आयात पर भारत ने 30 से 40 लाख डालर का व्यय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसी अवधि में कितने मूल्य की भारतीय फिल्मों का अमरीका को निर्यात किया गया ; और

(ग) विदेशी फिल्मों का आयात करने के लिये भारत ने अमरीका के अतिरिक्त किन किन देशों को विदेशी मुद्रा दी और उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । वर्ष 1967 में अमेरिका से केवल 1.76 लाख डालर मूल्य की विदेशी फिल्में आयात की गई थीं ।

(ख) उसी अवधि में अमेरिका को 28,000 डालर मूल्य की भारतीय फिल्में निर्यात की गई थीं ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें 1966-67 तथा 1967-68 की अवधियों में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से आयात की गई फिल्मों का ब्योरा दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2315/68]

फिल्म निर्माताओं को कच्ची फिल्मों का आवंटन

2075. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 13 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3778 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माताओं को कच्ची फिल्मों के आवंटन के सम्बन्ध में सूचना इस बीच में प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निर्माताओं के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि उन्होंने उपरोक्त अवधि में उन्हें दिये गये कच्ची फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2316/68]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रिक्त पदों का आरक्षण

2076. **श्री सिद्दय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में तथा 1968-69 में 1 नवम्बर, 1968 तक प्रत्येक रेलवे में III तथा IV श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने रिक्त पद आरक्षित किये गये; और

(ख) उनमें से कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे कर्मचारियों को प्रसादतः पेंशन

2077. **श्री सिद्दय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1957 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कितने रेलवे कर्मचारियों को जनवरी, 1967 से प्रसादतः पेंशन दी गई है;

(ख) कितने कर्मचारियों को पेंशन दी गई है; और

(ग) अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण

2078. **श्री सिद्दय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति आरक्षण सम्बन्धी नियम को दक्षिण रेलवे ने क्रियान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो श्रेणी IV तथा श्रेणी III में 1 नवम्बर, 1968 तक ऐसे कितने कर्मचारी पदोन्नत किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पारादीप पत्तन से जापान को लौह अयस्क भेजना

2079. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान सरकार ने भारत सरकार को बताया है कि पारादीप

पत्तन में पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण उसे भारत से लौह अयस्क के आयात में कटौती करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-जर्मन संयुक्त उपक्रम

2080. **श्री रा० रा० सिंह देव :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी तीसरे देश में भारत-जर्मन संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन संयुक्त उपक्रमों को किन-किन देशों में स्थापित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) किसी तीसरे देश में भारत-जर्मन संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की कोई ठोस प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में नये उद्योग

2081. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री रणजीत सिंह :**

श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में नये उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई ज्ञापन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अभी बनाई जा रही है । योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में स्थापित किये

जाने वाले उद्योगों की सूचना योजना के बन जाने पर ही उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार से प्राप्त कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा द्वारा जापान की अपनी हाल की यात्रा के दौरान भारत के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में चर्चा

2082. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने भारत के औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में जापान की जनता के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का अब तक क्या परिणाम निकला है; और

(ग) जहां तक भारतीय उद्योगों के लिये जापानी सहायता का सम्बन्ध है क्या सरकार ने कोई सहायता की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) श्री निजलिंगप्पा की जापान यात्रा इंडो-जापानी एशोशियेशन के निमंत्रण पर आधारित थी। उन्हें सरकार ने नहीं भेजा था।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Occupation of Land by Pakistanis on Rajasthan Border

2084. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a good number of Muslims in the border areas of Rajasthan had gone to Pakistan during Indo-Pak conflict of 1965, leaving behind cultivable land ;

(b) if so, the acreage of such land ;

(c) whether it is also a fact that they have come back and occupied those lands ;

(d) if so, the land so occupied by them ; and

(e) the action Government propose to take in respect of unoccupied land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (e). The requisite information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

कनाडा को एल्यूमीनियम का निर्यात

2085. **श्री रा० बरुआ :**

श्री बे० कु० दास चौधरी :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त और सितम्बर, 1968 में भारत ने कनाडा को एल्यूमीनियम का निर्यात किया तथा इससे भारत एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है;

(ख) वर्ष 1968 में अब तक कनाडा को तथा अन्य देशों को कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के एल्यूमीनियम का निर्यात किया गया; और

(ग) एल्यूमीनियम के बढ़े हुए निर्यात को जारी रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सितम्बर 1968 में भारत से कनाडा को 937 मीटरी टन पिण्ड एल्यूमीनियम का निर्यात किया गया और उसका मूल्य 33.20 लाख रुपये (अनुमानित) था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगस्त, 1968 में भारत से उस देश को एल्यूमीनियम का कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ख) जनवरी से अगस्त, 1968 तक सब देशों को निर्यात किये गये एल्यूमीनियम की कुल मात्रा और मूल्य निम्नलिखित है। (सरकारी आंकड़े केवल अगस्त, 1968 तक उपलब्ध हैं) :

कुल मात्रा (मीटरी टनों में)	**मूल्य (लाख रुपयों में)**	**देशों के नाम जिन जिनको निर्यात किया गया**
4,307	140	इरान, संयुक्त अरब गणराज्य, यूगोस्लेविया, मलेशिया, स्विटजरलैंड, फिलिपिन, थाईलैंड, ब्रिटेन, पूर्व जर्मनी, इराक और जापान।

(ग) इस समय 31 दिसम्बर, 1968 तक एल्यूमीनियम का निर्यात करने की अनुमति दी गई है। इस धातु के उत्पादन और इसकी देश में खपत को देखते हुए उपरोक्त तिथि के बाद एल्यूमीनियम का निर्यात करने का प्रश्न विचाराधीन है।

हैवी इलक्ट्रीकल्स, भोपाल

2086. **श्री रा० बरुआ :**

श्री बे० कु० दास चौधरी :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल मध्य प्रदेश के आवेदकों में से तथा कम्पनी में निचली

श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा 21 इंजीनियरों का चयन करने का हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल के प्रबन्धकों का निर्णय सरकार ने अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल का निर्णय केन्द्र के सिद्धान्तों तथा निदेशों के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . 10 वर्षों से अधिक समय से हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि० भोपाल ने लगभग 500 ग्रेजूएट शिक्षु इन्जीनियरों की भर्ती सारे भारत से की है, किन्तु 31 इन्जीनियर मध्य प्रदेश के आवेदकों में से और कम्पनी के निचले पदों के कर्मचारियों को पदोन्नति देकर चुने गये हैं। यह इस कारण से हुआ कि इस राज्य के ही कई सौ योग्य प्रत्याशियों ने आवेदन पत्र दिये थे, और थोड़ी संख्या में इन्जीनियर लेने थे अतएव प्रबन्धकों ने इस कोटि के प्रत्याशियों तक चुनाव को सीमित कर दिया। सरकार ने प्रबन्धकों के इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया। भविष्य में ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी अब इस बात की संपुष्टि प्रबन्धकों ने कर दी है।

पश्चिमी रेलवे के कोटा डिवीजन में छंटनी

2087. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे को हुई हानि के फलस्वरूप पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन से अनेक नैमित्तिक, अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उनको वैकल्पिक नौकरियां देने का आश्वासन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो उनको वैकल्पिक नौकरियां न देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

Breaches on Railway Line to Bombay due to Floods

2088. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway line to Bombay was breached following floods in Surat ;

(b) whether it is also a fact that the Frontier Mail which goes to Bombay had to be diverted to Bombay via Nagda and Bhopal ;

(c) if so, whether any extra fare was charged from the passengers ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) These were circumstances beyond the control of the Railways. Since they had to carry the traffic by a longer route, charges were levied by the carried route. It may be added that the trains carried not only passengers booked from Delhi to Bombay but also to other stations on the diverted route and if fares were to be charged to the through passengers by the normal route, fares for certain shorter distances would come to more than fares for longer distances.

विदेशियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

2089. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4547 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में अब तक भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये विदेशियों को कितने लाइसेंस दिये गये; और

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा इसके वित्तीय परिणाम क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में उद्योग (विकास विनियम) अधिनियम 1951 के अधीन अब तक किसी विदेशी या पूर्णत: विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी को नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Donations to Political Parties

2090. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri J. B. Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 704 on the 27th August, 1968 and state :

(a) the number and names of the companies in which more than 25 percent of the shares are owned by Government or by institutions investing public money ;

(b) the amount donated by the said companies to political parties in the year 1966-67 ; and

(c) the percentage of Government money and public money in the said amount ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c). Complete information regarding the names of all companies in which more than 25% of the shares are owned by Government-controlled institutions is not yet available. Efforts are however, being made to collect the same and the information will be laid on the Table of the House when available.

Donations to Political Parties

2091. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ranjit Singh :**

Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 697 on the 27th August, 1968 and state :

(a) the number and names of the companies having an investment of more than 25 per cent of foreign capital ;

(b) the amount donated by them to political parties in 1966-67 ; and

(c) the percentage of foreign capital in that amount ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Industrial Development in Bihar

2092. **Shri Narain Swarup Sharma :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5949 on the 27th August, 1968 and state :

(a) the names of persons, firms and companies showing the amount of loans given to them for industrial development in Bihar from 1957-67 ;

(b) whether such loans were also given to some fictitious firms, companies and persons and whether some of them did not set up industral establishments even though they had been granted such loans ; and

(c) if so, the names thereof and the action taken against them so far ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Work-to-Rule by S. Ms. and A. S. Ms.

2093. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ranjit Singh :**

Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Station Masters and Assistant Station Masters have decided to start "work-to-rule" drive with effect from 1st December, 1968 ;

(b) if so, the nature of their demands ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Government have no official information to this effect.

(b) and (c). Do not arise.

औद्योगिक कारखानों द्वारा निर्यात सम्बन्धी वचन

2094. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये कारखाने की स्थापना के लिए तथा कारखानों की वर्तमान क्षमता के विस्तार के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त करते समय निर्यात के बारे में दिये गये वचनों को पूरा कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) उन लाइसेंस प्राप्त कर्ताओं के नाम क्या हैं, जिनका वर्ष 1966 और 1967 में निर्यात अपने वचन से 25 प्रतिशत से भी कम रहा है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :(क) जी, नहीं ।

(ख) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दस्तकारी और हथकरघा बोर्ड के बारे में समिति

2095. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में दस्तकारी और हथकरघा बोर्ड के कार्य की जांच और पुनर्विलोकन के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति के निदेशपद क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा सरकार को कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मंत्रालय के संकल्प दिनांक 7 जून, 1968 की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है जिसमें सदस्यों की सूची तथा समिति के विचारार्थ विषय दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०** 2317/68]

(ग) आशा है कि समिति अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही दे देगी ।

लघु उद्योग

2096. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री सीता राम केसरी :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों द्वारा लघु उद्योगों के लिए, जिनमें औद्योगिक बस्तियां भी सम्मिलित हैं, पिछले कुछ वर्षों से धन का नियतन कम किया जा रहा है, यद्यपि इस क्षेत्र में राज्यों की योजना का कम से कम 3 प्रतिशत परिव्यय सुनिश्चित करने के लिए उनके मंत्रालय ने बार-बार प्रयत्न किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने राज्यों को कोई पत्र लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गत कुछ वर्षों से बहु संख्यक राज्य सरकार अपनी वार्षिक योजनाओं में लघु उद्योगों के लिए क्रमशः कम आवन्टन कर रही है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को कम वरीयता प्रदान किये जाने की प्रवृत्ति के मामले पर 5 तथा 6 जुलाई, 1968 को हुई लघु उद्योगों की समन्वय समिति की बैठक में विचार किया गया था जिसमें कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे । इस प्रश्न पर इस मंत्रालय के उप मंत्री ने राज्य सरकारों के उद्योग मन्त्रियों से विचार विमर्श किया था और इस बात पर बल दिया गया था कि राज्य सरकारें लघु उद्योगों के विकास के लिए और अधिक ठोस कार्यक्रम तैयार करें और इस आशय के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करें । औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय ने राज्य सरकारों की "चौथी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के लिए योजनाओं सम्बन्धी मार्गनिदेशन" परिचालित किए थे । इस के परिणाम स्वरूप कई राज्य सरकारों ने योजना के प्रारूप में की गई व्यवस्था की अपेक्षा अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में अधिक धन की व्यवस्था की है ।

तीन पहियों वाली छोटी कार का निर्माण

2097. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य में तीन पहियों वाली छोटी कार के निर्माण करने

संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैंगनीज अयस्क खनन उद्योग

2098. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज अयस्क खनन उद्योग बहुत दयनीय स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो हमारे मैंगनीज अयस्क के निर्यात और उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग को आधुनिक रूप देने तथा खान के लिये नये क्षेत्रों की खोज में उपक्रमियों को प्रोत्साहन देने, क्योंकि वर्तमान क्षेत्रों में पहले ही काफी खनन कार्य हो रहा है, के लिये सरकार ने क्या सहायता दी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां। भारत में मैंगनीज खनन उद्योग संकटपूर्ण परिस्थितियों में से गुजर रहा है।

(ख) सप्लाई के नये श्रोतों जैसे कि ब्राजील, गेबोन और हाल ही में आस्ट्रेलिया, मेक्सिको आदि के उद्गमन के परिणामस्वरूप विश्व बाजार में सप्लाई के अत्यधिक बढ़ जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विश्व में फालतू उत्पादन के परिणाम स्वरूप अयस्कों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आई है और मैंगनीज अयस्क के क्रेता श्रेणियों और विशिष्टियों के संबंध में अधिक चयनात्मक होते जा रहे हैं। भारत में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन-मूल्य तुलनात्मक रूप से ऊंचा है जिसके मुख्य कारणों में से एक कारण फ्लोट अयस्क के संसाधनों की प्रायः निश्शेषितावस्था में होना और उत्तरोत्तर बढ़ रही मात्रा में अयस्क के बहुत गहराइयों से उत्पादन की आवश्यकता है। उत्पादन केन्द्रों से पत्तन तक का रेल प्रभार ऊंचा है और पत्तनों पर उठाने धरने की सुविधायें भी अपर्याप्त हैं और पत्तन प्रभार भी ऊंचे हैं। स्वेज नहर संकट ने यूरोप और अमरीका स्थिति विक्रेताओं के लिये स्थिति को और भी अप्रेरक बना दिया है।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था आदि जैसे विशिष्ट सरकारी विभागों में खानों के आधुनिकीकरण, निक्षेपों के समन्वेषण और निम्न श्रेणि अयस्कों के परिष्करण आदि के संबंध में परामर्श और निर्देशन देने के लिए आधार सुविधाएं वर्तमान हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पोत परिवहन संबंधी आवश्यक वचनबद्धताओं की पूर्ति के लिये दिये

जाने वाले "निर्बाध" ऋणों के अतिरिक्त संभरकों/खान मालिकों को अपनी खानों के यंत्रीकरण के उद्देश्य से खनन मशीनरी खरीदने के लिये भी धन उधार दिया है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में ताला बन्दी

2099. **श्री रा०की० अमीन :** **श्री प्र०न० सोलंकी :**

श्री गार्डलिगन गौड़ : **श्री धी०ना० देव :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कितने समय तक ताला बन्दी रही;

(ख) क्या प्रबन्धकों को कर्मचारियों से कोई हड़ताल का नोटिस प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो हड़ताल के नोटिस की अवधि कितनी थी; और

(ग) क्या मशीनों तथा संयंत्रों की सुरक्षा के लिये समुचित सावधानी बरती गई थी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वहां ताला बन्दी नहीं थी लेकिन 3 सितम्बर, 1968 को पम्प और तेल के तहखानों के कुछ कर्मचारियों द्वारा जो उस स्थान पर उपस्थित थे तोड़-फोड़ के कारण बेलन मिलों और पहियों और धुरों के कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की जबरी छुट्टी कर दी गई है ।

(ख) जी, हां 29-7-1968 को नोटिस की अवधि 15 दिन थी ।

(ग) प्रबन्धक-वर्ग को वर्ष के दौरान में प्राप्त होने वाले हड़ताल के नोटिसों की संख्या बहुत बड़ी है । इस बारे में भी ऐसा ख्याल था कि समझौते का सामान्य तरीका अपनाया जाएगा । अतः कोई विशेष पूर्वोपाय नहीं किये गये थे ।

रेलों में चोरियों की घटनायें

2100. **श्री रा०की० अमीन :** **श्री गार्डिलिगन गौड़ :**

श्री प्र०के० देव : **श्री प्र०न० सोलंकी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों में चोरियों की घटनायें प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं के कारण रेलवे को प्रति वर्ष कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(ग) इन चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) से (ख). जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से मालूम होगा वर्ष 1966-67 की तुलना में वर्ष 1967-68 में चोरी की घटनाओं में थोड़ी वृद्धि

हुई है, परन्तु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के परिणामस्वरूप माल की बरामदगी में सुधार हुआ है ।

उठाई गिरी की घटनाओं को छोड़कर बुक किये गये सामान सहित रेलवे सम्पत्ति की चोरी

वर्ष	मामले	सम्पत्ति का मूल्य	
		चुराई गई (रुपयों में)	बरामद की गई (रुपये में)
1966-67	27,839	42,25,112	11,76,222
1967-68	28,315	49,21,608	14,42,172

(ग) इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई है :—

(1) सब महत्वपूर्ण माल गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा पहरा दिया जाता है ।

(2) प्रख्यात अपराधियों तथा चोरी किये गये सामान को प्राप्त करने वालों का पता लगाने के लिये सफेद कपड़ों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तथा रेलवे सुरक्षा दल के विशेष खुफिया दस्ते के कर्मचारी तैनात किये गये हैं ।

(3) प्रभावित स्टेशनों पर भी रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा दल के डॉग सक्वैड द्वारा समय-समय पर गश्त लगाई जाती है ।

(4) यार्डों, शैडों, तथा प्लेट फार्मों पर सामरिक महत्व के स्थान पर दिन रात रेलवे सुरक्षा दल के सिपाही पहरा देते हैं ।

(5) लदान के स्थानों, पार्सल कार्यालयों तथा सामान के शैडों पर सुरक्षा की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

(6) अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिये रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो कर्मचारियों द्वारा अचानक छापे मारे जाते हैं ।

(7) सब वर्कशापों तथा स्टोरों में सुरक्षा के उपाय किये गये हैं ।

(8) अपराधियों तथा चोरी का समान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से निबटने के लिये रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवेपुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों में घनिष्ट तालमेल रखी जाती है ।

(9) चोरी को रोकने में ये उपाय हैं—डिब्बों को ताले लगाना, बिजली के समान की वैलडिंग करना तथा उसे डिब्बों में बन्द रखना, फ्रेम के अन्दर के तारों की क्लीटिंग तथा ट्रंकिंग करना तथा उस सामान को जिसकी चोरी होने की सम्भावना है, डिब्बों के अन्दर रखना, ताकि समाज विरोधी तत्वों के लिये उसे चुराना कठिन हो जाये ।

कनाडा की एक फर्म के सहयोग से परामर्शदात्री सेवा

2101. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5992 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विद्युत, तापीय विद्युत तथा अणुशक्ति सम्बन्धी इन्जीनियरी से संबंधित कनाडा की एक फर्म के सहयोग से परामर्शदात्री सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने कुछ उपबन्धों और शर्तों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है । इस देश में नई कम्पनी का कार्य क्षेत्र न्युक्लीयर पावर तथा उसके लिए वान्छित विशेष इन्जीनियरी तक सीमित रहेगा ।

साहिब गंज लूप लाइन पर केबिन

2102. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री पूर्व रेलवे में साहिब गंज लूप लाइन पर केबिनों के बारे में 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5917 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : कालगोंग तथा शिवनारायणपुर स्टेशनों के बीच बाभानगमा तथा मिर्ज चुकी और परीपेंत्ती स्टेशनों के बीच अमापली पर हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रश्न की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) अब तक की गई जांच से पता चला है कि इन प्रस्तावों का वित्तीय औचित्य नहीं है । प्रस्तावित हाल्टों के खोलने में संचालन सम्बन्धी कठिनाइयां भी हैं । अन्तिम निर्णय करने से पहले मामले की और जांच की जा रही है ।

फोटों तैयार करने के यंत्र का निर्माण

2103. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फोटो तैयार करने के ऐसे यंत्र निर्माण करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है जिनका निर्माण देश में नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या इसके लिये किसी स्थान को चुना गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये क्या धनराशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में फोटो तैयार करने वाला कोई उद्योग चलाने का प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, लघु क्षेत्र में मैसर्स मोनोटाइप कारपोरेशन, बंगलौर जैसे कुछ एकक हैं, जो ऐसी खास किस्म की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक कारखाने

2104. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा जैसे पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में औद्योगिक कारखाने स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाया है जिससे इस प्रकार के क्षेत्रों की जनता की निराशा दूर की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां, रायलसीमा क्षेत्र अपनी खनिज सम्पत्ति के कारण विकास के लिए पर्याप्त विभवशील है । इस क्षेत्र में विकसित किये जाने वाले उद्योगों के तकनीकी-आर्थिक विवरण का अध्ययन किया जा रहा है ।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की मिश्रित धातु इस्पात परियोजना द्वारा कार्य का आरम्भ

2105. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की मिश्रित इस्पात परियोजना ने कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कितनी लागत से पूर्ण हुई है ;

(ग) इस नये संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है और मिश्रित इस्पात के लिये देश में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(घ) देश में इसकी वार्षिक मांग कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पूर्ण हो जाने पर मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता 77,000 टन मिश्र-इस्पात (तैयार) की होगी ।

इस समय देश में अधिष्ठापित मिश्र-इस्पात की कुल उत्पादन क्षमता 157,000 टन के लगभग है ।

(घ) व्यावहारिक अर्थ-शास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के अनुमान के अनुसार वर्ष 1970-71 तक देश की सब प्रकार के मिश्र और विशेष इस्पात की कुल मांग 380,290 टन प्रति वर्ष होगी ।

नीबेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के लिए खनन् मशीनरी का आयात

2106. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन को मुख्य रूप से खनन् उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन के आवश्यक मशीनरी सप्लाई करने में असफल रहने के कारण नीबेली लिग्नाइट कारपोरेशन विदेशों से खनन् मशीनरी आयात करने वाला है ; और

(ग) यदि हां, तो माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन की सभी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० की स्थापना कोयला खनन् और सम्बन्धित मशीनों के उत्पादन के लिए की गई थी । इस संयंत्र में अब तक की जिन उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है वे नीबेली लिग्नाइट कारपोरेशन की ओपिनकास्ट खानों के लिये उपयुक्त नहीं हैं । नीबेली के लिये आवश्यक उपकरणों के कार्यों और प्रकारों में बहुत विभिन्नता है, वे माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के वर्तमान कार्यक्षेत्र के बाहर की वस्तुएं हैं ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का भारी मशीनरी औजार संयंत्र

2107. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब क्रेनों को चलाया गया तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के हैवी मशीन टूल्स प्लान्ट के गार्डरों के ढांचे के किनारे टूट गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उनकी मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इस पर कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हैवी मशीन टूल्ज प्लांट के गन्त्री गार्डर पिसे नहीं थे बल्कि गार्डरों के ऊपर के हिस्सों की लोहे की पटरी क्रेनों के आवागमन से घिस गई थीं ।

(ग) प्रबन्धकों ने उन पटरियों को विशेष प्रकार की पटरियों से बदलने का निश्चय किया है । बदली करने का अनुमानित व्यय 50,000 रुपये होगा ।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

2108. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्ट्रक्चुरल फैबरीकेशन वर्कशाप अभी तक पूरी नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) उत्पादन क्षमता कितनी है और वास्तविक उत्पादन कितनी है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट द्वारा इस्पात के ढांचों के निर्माण के लिये बड़ी संख्या में ठेकेदारों को नियुक्त किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इस्पात स्ट्रक्चरल फैबरीकेशन वर्कशाप की निर्माण प्रगति 1-10-1968 को निम्न प्रकार थी :

ढांचा निर्माण	पूर्ण
असैनिक निर्माण	पूर्ण
मशीनें लगाना	65 प्रतिशत (भार की दृष्टि से) पूरा हो गया है ।
इओट क्रैनें	30 प्रतिशत (भार की दृष्टि से) पूरी हो गई हैं ।

(ग) पूर्ण वार्षिक उत्पादन क्षमता 25000 मी० टन ढांचे है ।

अब तक निम्नलिखित उत्पादन हुआ है :

वास्तविक उत्पादन	**मी० टन**	**मूल्य लाख रु० में**
1967-68	80.3	12.52
1-4-68 से 31-10-68 तक	533.6	11.10

(घ) साधारण किस्म की इस्पाती वस्तुओं के उत्पादन और सम्भरण का काम अन्य एजेंसियों को सौंप दिया गया है।

दिल्ली में रेलवे लाइनों पर उपरि पुल

2109. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**

श्री हरदयाल देवगुण :

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रेलवे लाइनों पर उपरि पुल बनाने की कितनी योजनाएं इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) इस समय इन योजनाओं की स्थिति क्या है ;

(ग) उन पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दिल्ली क्षेत्र में सड़क उपरि/नीचले पुल बनाने के सात प्रस्ताव हैं।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2318/68]

(घ) रेलवे द्वारा कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

Bribery and Corruption in Railway Goods Booking Offices

2110. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Shri Hardayal Devgun :

Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cases of bribery and corruption in various Goods Booking Offices of Railways have been brought to the notice of Government ;

(b) if so, the number of such cases detected during the first half of the year 1968 and the action taken or proposed to be taken in regard thereto ; and

(c) the steps taken to check corruption and bribery in Goods Booking Offices ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Allegations of bribery and corruption against the staff of some of the goods booking offices on all the Indian Railways have been received from time to time.

(b) During the first half of the year 1968, there were 175 cases of alleged bribery and corruption. Action in 47 of the cases has been finalised and the staff concerned have been dealt with suitably. In regard to the rest, action is in progress.

(c) Suitable machinery is already in existence for keeping a close watch on the activities of the staff concerned. This machinery provides for :—

(1) normal departmental supervision and control ;

(2) prevented checks by Vigilance Organisation ; and

(3) looking into specific allegations of bribery and corruption in the matter of goods booking.

Appropriate action flowing from the checks and investigations is taken.

Violation of Export/Import Licences

2111. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Shri Hardayal Devgun :

Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names and addresses of the persons and firms penalised for violating the terms and conditions of the import and export licences during the year 1968-69 so far and the details of penalities imposed in each case ; and

(b) the names of individuals and firms black-listed in the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2319/68]**

Hospital Buildings at Lalgarh Junction

2112. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several thousand bags of cement have been stolen from the store meant for construction of a hospital building at Lalgarh Junction of Bikaner Division on the Northern Railway ;

(b) whether it is also a fact that an unsuccessful attempt was made to deposit some goods in the store and the concerned officers are trying to hush up the matter ; and

(c) whether Government propose to institute an enquiry into the matter and punish the persons found guilty ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No, Sir. There was no theft of cement from the store meant for the construction of a hospital building at Lalgarh Junction in the Bikaner Division of the Northern Railway. However, there was a misappropriation of 869 bags of cement from this store.

(b) No.

(c) The Special Police Establishment, Jaipur investigated into the case of 'misappropriation of 869 bags of cement' referred to in part (a) above, and on the basis of their investigations, regular departmental action is being taken against the persons found guilty.

National Textile Corporation

2113. **Shri S. K. Tapuriah:**

Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the personnel in the National Textile Corporation have been appointed and if so, whether the Corporation has started functioning;

(b) the number and names of the mills that have been taken over by the Corporation; and

(c) outline of the scheme adopted by the Corporation to rehabilitate and modernise these mills?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir.

(b) No mill has been taken over so far, under the Cotton Textile Companies (Management of Undertakings and Liquidation or Reconstruction) Act, 1967.

(c) Schemes for the rehabilitation and modernisation of the mills that may be taken over would depend upon the state of machinery in those mills.

टायरों की कमी

2114. **श्री सु० कु० तापडिया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार, ट्रक, स्कूटर, साइकिल के टायरों की अब भी अत्यधिक कमी है और उनके मूल्य बहुत अधिक हैं ;

(ख) क्या इस उद्योग पर से लाइसेंस की शर्त हटाई जाने के बाद से प्रतिष्ठापित क्षमता को बढ़ाया गया है ; और

(ग) प्राकृतिक रबड़ के अभाव के कारण इन कारखानों को अपना उत्पादन बढ़ाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कुछ खास किस्म की कारों, ट्रकों तथा स्कूटरों के टायरों की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। "आवश्यक वस्तु" अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत साइकिलों, स्कूटरों, कारों तथा ट्रैक्टरों के टायरों और ट्यूबों को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है। इस पर भी, टायरों की कमी को शीघ्र पूरा करने हेतु उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गये हैं।

(ख) टायर उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से मुक्त नहीं किया गया है। 1968 में मोटर गाड़ियों के टायरों की संख्या में अतिरिक्त बढ़ोतरी का उसे 1.2 लाख तथा साइकिलों के टायरों की संख्या में बढ़ोतरी कर उसे 10 लाख कर दिया गया है। अभी हाल ही में हर प्रकार की मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों की उत्पादन क्षमता में 14,50,000 की संख्या तक वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है।

(ग) रबर की कुल आवश्यकता की लगभग 20 प्रतिशत की कमी है।

कच्चे पटसन की कमी

2115. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सीताराम केसरी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
डा० रानेन सेन :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री कं० हाल्दर :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल की कमी के कारण पटसन मिलों को अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ी है, जिससे बहुत से कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप पटसन के माल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, जिसका निर्णय बिक्री पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये, सामान्य उत्पादन पुनः आरंभ से किया जाय, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कच्चे पटसन की कमी के परिणामस्वरूप मिलों को उत्पादन में कमी करने के लिये विवश होना पड़ा है, किन्तु फालतू मजदूरों की समस्या को कुछ ऐसे ढंग से सुलझाने का प्रयास किया गया है जिससे कम से कम कठिनाई हो।

(ख) पटसन के माल में कुछ वृद्धि तो हुई है, किन्तु कालीन के अस्तर, जो कि पटसन के माल में निर्यात की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है, के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) पटसन के माल का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये सरकार ने निम्न-

लिखित उपाय किये हैं—

(1) नवम्बर, 1968 के मास में मिलों में वितरित करने के लिये पटसन के निर्दिष्ट माल की समस्त मात्रा, पटसन आयुक्त द्वारा, मिलों को उनके 1 जुलाई, 1967 से 30 जुलाई, 1968 तक की अवधि में पटसन के माल के उत्पादन के अनुपात में नियत कर दी गई है।

(2) मिलों द्वारा पटसन माल के उत्पादन को विनियमित करने की शक्तियां पटसन आयुक्त को प्रदान कर दी गई हैं। इस प्रकार के विनियमन हेतु आदेश जारी करते हुए यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि कालीन के अस्तर का उत्पादन जुलाई-सितम्बर, 1968 की अवधि के औसत मासिक उत्पादन से कम नहीं होगा।

(3) 8 नवम्बर, 1968 तक 8.65 करोड़ रुपये मूल्य की 2.699 लाख कच्चे पटसन की गांठों का आयात प्राधिकृत कर दिया गया है।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के चेयरमैन को भत्तों का भुगतान

2116. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के अध्यक्ष श्री के० दे० मालवीय को उन दिनों के भत्ते मिलते हैं, जिन दिनों वे कार्यालय जाते हैं, और उन्हें मकान, कार तथा अन्य भत्ते भी दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति की तिथि से उन्हें महीने-वार प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत भत्तों के रूप में कितनी राशि दी गयी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्री के० डी० मालवीय, अध्यक्ष, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची, निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं—

1. रांची या रांची से बाहर कम्पनी के कार्यों में व्यस्त रहने पर प्रतिदिन का 30 रुपया दैनिक भत्ता (केवल तीस रु०)।
2. रांची या रांची से बाहर सरकारी प्रयोजनों के लिए निःशुल्क कार इस्तेमाल करने।
3. दिल्ली और रांची में निगम के अतिथि गृहों के सुसज्जित आवास में निशुल्क निवास करना।
4. इसके अतिरिक्त, वह उच्चतम ग्रेड के अधिकारी के समान यात्रा भत्ते के हकदार होंगे सिवाय इसके कि दैनिक भत्ता उपरिलिखित उप-पैरा (1) के आधार पर दिया जायेगा।

(ख) उन्हें माहवार दिये गये दैनिक भत्ते तथा यात्रा भत्ते निम्न प्रकार हैं—

दैनिक भत्ता

अवधि	दर	दी गई राशि
	रु०	रु०
23-2-68 से 29-2-68 (7 दिन)	30	210
1-3-68 से 31-3-68 (31 दिन)	30	930
1-4-68 से 30-4-68 (30 दिन)	30	900
1-5-68 से 31-5-68 (31 दिन)	30	930
1-6-68 से 30-6-68 (29 दिन) सिवाय 16-6-68	30	870
1-7-68 से 31-7-68 (29 दिन) सिवाय 5-7-68 और 6-7-68	30	870
1-8-68 से 31-8-68 (30 दिन) सिवाय 9-8-68	30	900
1-9-68 से 30-9-68 (29 दिन) सिवाय 14-9-68	30	870
1-10-68 से 31-10-68 (31 दिन)	30	930
		7410

यात्रा भत्ता

क्रम सं०	मास	रेल/हवाई भाड़ा आदि रु०	यात्रा भत्ता रु०	रु० योग
1.	मार्च, 1968	1123.80	15.00	1138.80
2.	अप्रैल, 1968	1431.01	30.00	1461.01
3.	मई, 1968	1180.15	25.00	1205.15
4.	जून, 1968	1072.50	30.00	1102.50
5.	जुलाई, 1968	935.10	30.00	965.10
6.	अगस्त, 1968	618.60	40.00	658.60
7.	सितम्बर, 1968	787.30	15.00	802.30
8.	अक्तूबर, 1968	258.00	15.00	273.00
	योग	7406.46	200.00	7606.46

कांगड़ा घाटी रेलवे

2117. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास बाँध परियोजना प्रशासन ने कांगड़ा घाटी रेलवे के पुनरांकन कार्य का खर्च उठाना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब आरम्भ करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजेन्द्र पुल पर हाल्ट स्टेशन

2118. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-नरकटियागंज लाइन के कमतौला तथा जोगियारा स्टेशनों के बीच मुरैया ग्राम पर राजेन्द्र पुल (पूर्वी रेलवे सिमीयराघाट और हाथीडाह स्टेशनों के बीच) के उत्तरी कोने पर तथा कोरबिया ग्राम पर (पूर्वोत्तर रेलवे के खजौली और जयनगर स्टेशनों के बीच) शीघ्रता से हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता के बारे में नये सिरे से जाँच की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या नये सिरे से जाँच का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सिमीयारा और हाथीडाह स्टेशनों के बीच पहले ही राजेन्द्र पुल हाल्ट है । इसको बदल कर गंगा के निकट लाने के प्रस्ताव की जांच की गई थी परन्तु वित्तीय कारणों से उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

कामत्तोल और जोगिआरा स्टेशनों के बीच मुराथा हाल्ट तथा खाजोली और जयनगर स्टेशनों के बीच कोराहिया हाल्ट खोलने के प्रस्ताव पर 1967 में जांच की गई थी परन्तु उस प्रस्ताव को छोड़ना पड़ा क्योंकि उन हाल्टों की भारी पुनवर्त्ती हानि पर चलने की संभावना थी । कोई नई जांच नहीं की गई है अथवा न ही करने का प्रस्ताव है, क्योंकि जांच करने के बाद समिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची की उत्पादन क्षमता

2119. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार की मशीनों के उत्पादन के बारे में रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के तीनों परियोजनाओं की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है और उस क्षमता का किस सीमा तक प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) वर्ष 1969 के अन्त तक उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी और उस अवस्था में और उसके बाद उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) वर्ष 1968-69 के उत्पादन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

मशीनी वस्तुएं	16000 मी० टन
ढांचे	5785 मी० टन
ढांचे (हैवी इंजीनीयरिंग)	8215 मी० टन
	30,000 मी० टन

फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट

जी० आई० कास्टिंग्स	7250 मी० टन
इनगाट मोल्ड	2500 मी० टन
रोल्स	1500 मी० टन
अलौह ढली हुई वस्तुएं	100 मी० टन
इस्पाती रोल्स	500 मी० टन
इस्पाती ढली हुई वस्तुएं	4800 मी० टन
इस्पाती इनगौट	3000 मी० टन
गढ़ी हुई वस्तुएँ	2000 मी० टन
योग	21650 मी० टन

हैवी मशीन टूल प्लांट

मशीन टूल्स	33 संख्या
सी० एल० डब्ल्यू ड्रेक्सन	
गीयर एसेम्बली (सेटों में)	10 सेट

अप्रैल से सितम्बर, 1968 तक का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है:—

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट **अंक मी० टनों में**

	लक्ष्य	**वास्तविक**
मशीनी वस्तुएँ	4490.0	4206.50
ढांचे	2436.0	2288.10

ढांचे (हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अन्तर्गत कार्यगत अन्य अभिकरण)	3723.0	4581.90
योग	10649.0	11076.50

फाउन्ड्री फोर्ज परियोजना

	लक्ष्य	उत्पादन
जी० आई० कास्टिंग	3150.0	2323.861
इनगाट मोल्ड्स	750.0	953.07
जी० आई० रोल्स	750.0	429.84
अलौह ढली हुई वस्तुएँ	38.0	36.741
इस्पाती ढली हुई वस्तुएँ	1900.0	907.983
संश्लिष्ट कच्चा लोहा	—	653.30
स्टील इनगाट	1200.0	986.59
स्टील राल्स	150.0	—
गढ़ी हुई वस्तुएँ	900.0	684.680
योग	8838.0	6982.065

हैवी मशीन टूल्स संयंत्र

मशीनी पुर्जे	9 संख्या	5 संख्या

(ख) वर्ष 1969-70 के उत्पादन का अस्थायी लक्ष्य निम्नलिखित है:—

हैवी मशीन बिल्डिंग संयंत्र

मशीनी वस्तुएँ	27.346 मी० टन
ढांचे	17.093 मी० टन
योग	44.439 मी० टन

फाउन्ड्री फोर्ज संयंत्र

जी० आई० कास्टिंग	11300.00 मी० टन
जी० आई० रोल्स	3400.00 मी० टन
जी० आई० इनगाट मोल्ड	5200.00 मी० टन
अलौह ढ़ली हुई वस्तुएँ	315.00 मी० टन

इस्पाती ढली वस्तुएँ		9000.00 मी० टन
गढ़ी हुई वस्तुएँ		9250.00 मी० टन
गढ़े हुए रोल्स		400.00 मी० टन
	योग	39715.00 मी० टन

हैवी मशीन टूल्स 41 संख्या

क्षमता की पूर्ण उपयोगिता के लिए अग्रिम पर्याप्त क्रयादेशों का मिलना आवश्यक है। क्रयादेश प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। उत्पादिता की प्रगति के साथ दक्षता और कुशलता प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रगत्यात्मक क्रम से प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की उपसमिति के व्यापार परम्पराओं पर सुझाव

2120. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की देशान्तर्गत व्यापार उप-समिति ने व्यापार की परम्पराएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का सुझाव दिया है जिससे उपभोक्ता को अपने धन का पूरा मुआवजा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो समिति ने और क्या बात कही है;

(ग) क्या वाणिज्य मंडल तथा व्यापार संघ ने इस सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने सूचित किया है कि उनकी देशान्तर्गत व्यापार उप-समिति की एक बैठक मद्रास में 24-9-1968 को हुई थी तथा इस बैठक में उप-समिति के अध्यक्ष ने, निर्माताओं तथा व्यापार द्वारा उचित व्यापार परम्पराओं की स्वैच्छिक संहिता के लिये एक सुझाव दिया था। परन्तु इस सम्बन्ध में मंडल द्वारा सरकार को कोई सूचना नहीं भेजी गई थी।

(ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की उप-समिति की इस बैठक में अन्य जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, वे ये हैं : मुक्त चीनी के लाने ले जाये जाने पर अंतर्राज्यीय प्रतिबन्धों का हटाया जाना, खाद्य उपमिश्रण निरोधी नियम तथा विधियां और व्यापार को ऋण दिया जाना।

(ग) और (घ). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने सरकार को इस विषय पर कोई सूचना नहीं भेजी। तथापि उचित व्यापार प्रणालियां संघ, बम्बई सरकार के साथ उचित व्यापार प्रणालियों के अपनाये जाने के बारे में पत्र-व्यवहार करता रहा है। सरकार, व्यापार तथा उद्योग द्वारा उचित व्यापार प्रणालियों के अपनाये जाने के ऐसे स्वैच्छिक कार्यों का स्वागत करती है।

संयुक्त संयंत्र समिति

2121. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त संयंत्र समिति का कानूनी दर्जा क्या है;

(ख) क्या यह एक सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन है; और

(ग) इस संगठन के कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनके पद क्या-क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). संयुक्त संयंत्र समिति का गठन भारत सरकार के तारीख 29 फरवरी, 1964, के संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-24 (113)/63 के अधीन किया गया है। अतः यह सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन है और इसमें मुख्यतया देश के लोहे और इस्पात के प्रमुख उत्पादक हैं।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 104 है:—

1.	अधिकारी	18
2.	कार्यालय अधीक्षक	4
3.	सहायक, आशुलिपिक, मशीन चालक आदि	55
4.	आई० बी० एम० स्टाफ जिनमें पंच कार्ड आपरेटर भी शामिल हैं	9
5.	पत्र-वाहक, ड्राइवर और दरवान	18
		104

Sakri (Darbhanga) Railway Station

2122. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the passengers have to face a lot of difficulties at Sakri

(Darbhanga) Railway station as parcel goods are always stored in the shed on the platform ; and

(b) if so, the action being taken to remove the difficulties of the passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). Two Sheds are provided, one at either end of the platform, for the use of passengers. A parcel godown for the storage of parcels is provided in the middle of the platform, near the station building. Parcels are not normally stored in the sheds meant for the passengers. But in view of what the Hon. Member has stated, instructions have been issued to station staff that parcels should on no account be stacked in the passenger shed.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

2123. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कब और किन उद्देश्यों हेतु स्थापित किया गया था;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार कारखाने स्थापित करने के लक्ष्य, उत्पादन तथा विकास लक्ष्य प्राप्त हो गये थे और यदि हां, तो कब और कैसे; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या कम्पनी की स्थापना के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं, सहयोग की शर्तें क्या हैं और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई थी;

(घ) कम्पनी में इस समय किन मदों का कितना उत्पादन हो रहा है, क्या ये उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, पिछले तीन वर्षों में कितना उत्पादन तथा बिक्री हुई और इसमें से कितने उत्पादन का निर्यात किया गया; और

(ङ) क्या कम्पनी के सामने इस समय कोई कठिनाइयां हैं और सरकार का विचार उनको किस प्रकार दूर करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) प्रारम्भत: हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी, 1954 को राउरकेला इस्पात कारखाने का निर्माण करने और उसका प्रबन्ध करने के लिए की गई थी। 1 अप्रैल, 1957 से, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों से संबंधित काम भी जो तब तक सीधे सरकार की देख-रेख में था, भी इस कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। कंपनी के उद्देश्य इस संस्था के ज्ञापन-पत्र में दिये गये हैं।

(ख) और (ग). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पूर्ण रूपेण सरकारी कंपनी है और इसमें कोई विदेशी वित्तीय साझेदारी नहीं है। लेकिन राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में एक-एक मिलियन टन क्षमता के इस्पात कारखानों के लिए कंपनी के गठन के लिए विदेशी मुद्रा की अधिकांश

आवश्यकता की पूर्ति विदेशी ऋणों द्वारा की गई थी, जो विकासात्मक सहायता के रूप में थे। भिलाई के लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति मुख्यतया सोवियत रूस द्वारा दिये गये 122.36 मिलियन रूबल के ऋण से की गई थी। राउरकेला की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पश्चिमी जर्मनी के 660 मिलियन मार्क्स के और दुर्गापुर की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता ब्रिटेन के 15 मिलियन पौंड के ऋणों से की गई थी। एक-एक मिलियन टन की क्षमता के इन कारखानों का निर्माण कार्य लगभग लक्ष्य के अनुसार ही सम्पन्न हुआ और भिलाई में 1962-63, दुर्गापुर में 1964-65 और राउरकेला में 1965-66 में निर्धारित क्षमता पर उत्पादन होने लगा।

(घ) इस कंपनी के मुख्य उत्पादन ये हैं—कच्चा लोहा, ब्लूम, स्लैब, बिलेट, भारी और मध्यम संरचनात्मक और छड़, मर्चेन्ट प्रोडक्ट्स, वायर राड रेल के स्लीपर और जोड़-पत्तियां, पहियों के जोड़े, चौड़ी और संकरी प्लेटें, गर्म बेलित और ठंडे बेलित क्वायल्स, चादरें तथा स्ट्रिप, टिन प्लेटें, स्केल्प और पाइप। दुर्गापुर स्थित मिश्र-इस्पात के कारखाने में पिन्डक, फोर्ज्ड बार, और बिलेट और दूसरे बेलित सामान जैसे बिलेट, छड़, चादरें और प्लेटें, तैयार होती हैं। जहां कहीं भारतीय मानक उपलब्ध हैं, उत्पादकों को भारतीय मानकों के अनुसार अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार (यह बात आर्डर पर निर्भर करती है) तैयार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में तैयार किये गये, बेंचे गये और निर्यात किये गये माल का ब्योरा निम्नलिखित है:—

(हजार टन)

उत्पाद	वर्ष	उत्पादन	कुल प्रेषण	निर्यात
बिक्री के लिए	1965-66	908	848	—
कच्चा लोहा	1966-67	808	748	185
	1967-68	997	1081	520
विक्रेय इस्पात	1965-66	2494	2572	59
	1966-67	2561	2552	83
	1967-68	2419	2375	285

(ङ) कच्चे माल की उपयुक्तता, उपकरणों की भारी मरम्मत, संधारण की समस्याओं, पूंजीगत खर्चों में वृद्धि की समस्याओं के अतिरिक्त कंपनी को कठिन श्रमिक समस्याओं और पर्याप्त मांग न होने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ प्रत्युपाय किये गये हैं जिनका उल्लेख 'परफोर्मेन्स आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' शीर्षक पत्र में किया गया है जो 5 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखा गया था। इस्पात, खान और धातु मंत्री के 20 मार्च, 1968 के वक्तव्य के अनुसार कंपनी के उच्चतम प्रबन्धकों में फेर बदल किया जा रहा है।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल

2124. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल की स्थापना के समय और

31 मार्च 1968 को उसकी अधिकृत और चुकता पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को उस कम्पनी ने कितना ऋण देना था, इसमें से केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पक्षों का कितना-कितना ऋण था; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में कार्य के क्या परिणाम हैं, इसे कितना लाभ हुआ और यदि हानि हुई तो हानि होने के मुख्य कारण क्या थे और वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को अधिकृत पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी निम्न प्रकार है :

	अधिकृत पूंजी	**प्रदत्त पूंजी**
	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)
कम्पनी के स्थापना के समय	3,000.00	28.00
31 मार्च, 1968 को	5,000.00	5,000.00

(ख) 31 मार्च, 1968 को कम्पनी का देय ऋण 6398.13 लाख रुपये था जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :

भारत सरकार को देय	5,308.40 लाख रुपये
स्टेट बैंक आफ इण्डिया को देय	955.12 लाख रुपये
दूसरों को देय	134.61 लाख रुपये
कुल···	6,398.13 लाख रुपये

(ग) गत तीन वर्षों में ब्याज का भार निम्न प्रकार था :

वर्ष	**भारत सरकार**	**स्टेट बैंक आफ इण्डिया**	**अन्य पार्टियां**	**कुल**
	(रुपये लाखों में)			
1965-66	118.19	67.25	6.04	191.48
1966-67	236.42	56.83	4.32	297.57
1967-68	332.30	52.31	5.10	389.71
कुल	686.91	176.39	15.46	878.76

(घ) कम्पनी द्वारा गत तीन वर्ष में उठाई गई हानि :

1965-66	674.80 लाख रुपये
1966-67	676.57 लाख रुपये
1967-68	580.08 लाख रुपये
1968-69 (अनुमानित)	505.00 लाख रुपये

इस आकार प्रकार की परियोजना के लिये जिसकी आधान अवधि लम्बी होती है निर्माण तथा उत्पादन की प्रारम्भिक अवधि में इस प्रकार की हानि कोई असामान्य नहीं है। तकनीकी परामर्शदाताओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है इस हानि की सम्भावना का उल्लेख था और इसकी व्यवस्था की गई थी।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

2125. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को इसकी अधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) इस कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 1968 को केन्द्रीय सरकार बैंकों अथवा पक्षों को अलग-अलग कितना-कितना ऋण देना था;

(ग) इस कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में ब्याज के रूप से कितनी धनराशि दी है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के इसके कार्य के क्या परिणाम रहे हैं, इसे कितना मुनाफा अथवा घाटा हुआ है, घाटे के क्या कारण हैं और 1968-69 के लिये घाटे/मुनाफे का अनुमान क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक):

		हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना के समय	**31 मार्च, 1968, के दिन**
(क)	अधिकृत पूंजी	50 करोड़ रुपये	50 करोड़ रुपये
	प्रदत्त पूंजी	3,000 रुपये	1,01,000 रुपये

(ख) 71.79 लाख रुपये केवल केन्द्रीय सरकार को।

(ग)

1965-66	कुछ नहीं
1966-67	24,36,500 रुपये
1967-68	29,66,500 रुपये
1967-68 के दौरान दंडात्मक ब्याज	1,58,286.50 रुपये

(घ) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन की प्रायोजनाएं निर्माणावस्था में हैं। अतः लाभ/हानि का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड

2126. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के उत्पादन तथा विकास लक्ष्य प्राप्त हो गये थे, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कम्पनी की स्थापना में विदेशी सहयोग लिया गया था, यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं, सहयोग की शर्तें क्या हैं और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी ने कितना व्यापार किया है; और

(घ) क्या कम्पनी के सामने इस समय कोई कठिनाइयां हैं और सरकार का विचार उनको किस प्रकार दूर करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड उत्पादक इकाई नहीं है। यह कम्पनी बोकारो इस्पात कारखाने के स्थल को समतल करने और सिविल इंजीनियरी के काम करने और कुछ इस्पात के ढांचों के संविरचन और उन्हें खड़ा करने का काम कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी को मिले ठेके इस प्रकार थे :—

1965-66	4,78,94,766 रुपये
1966-67	3,64,66,400 रुपये
1967-68	4,42,76,812 रुपये

(घ) कम्पनी को कोई कठिनाई नहीं आ रही है जिससे सरकार उसकी सहायता करे।

Hira Mill Company (Public) Ltd., Ujjain

2127. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hira Mill Company (Public) Ltd., Ujjain, in which controller has been appointed for long time insured with the Indian Mercantiles Insurance Company ;

(b) if so, the amount of such insurances since the year 1965 with dates ;

(c) the reasons for insuring with a private insurance company ; and

(d) the head under which the commission received by the Directors and Controller of the Company has been shown and the amount of commission received from the said insurance company ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) The Mill Company took insurance policies from the Indian Mercantile Insurance Co. Ltd., only in the year 1968. A detailed statement is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-2320/68]**

(c) There are no restrictions on such companies with regard to insuring their assets with private companies.

(d) No rebate can be allowed by Insurance Companies. Hence the question does not arise.

Restaurants on North Eastern Railway Stations

2128. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of vegetarian and non-vegetarian hotels and restaurants on all the stations of the North Eastern Railway ;

(b) the number of licensed hawkers on these stations ; and

(c) the number of scheduled castes and scheduled tribe hawkers amongst the licensed hawkers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) On the North Eastern Railway, there are 14 vegetarian Refreshment Rooms and 32 non-vegetarian Refreshment Rooms. There is no Restaurant.

(b) 1,236.

(c) Of 1,236 licensed vendors, 53 belong to scheduled castes/tribes.

उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

2129. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में नई रेलवे लाइनों को बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नई रेलवे लाइनें बिछाने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी शीघ्र ही एक नया यातायात सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया है तथा रामपुर-हल्दवानी के इंजीनियरी सर्वेक्षण रिपोर्ट को नवीनतम स्थिति के अनुसार बनाया जा रहा है ।

पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली का लगाया जाना

2130. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 के दौरान वाराणसी रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) और भटनी जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) तथा भटनी जंकशन और सोनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच कितने तथा किन-किन स्टेशनों पर बिजली लगाई जाने की सम्भावना है; और प्लेटफार्म ऊंचे किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) उक्त कार्य पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) (i) 1968-69 और 1969-70 में भटनी-वाराणसी खण्ड पर सादात रेलवे स्टेशन और भटनी-सोनपुर खण्ड पर एकमा रेलवे स्टेशन पर बिजली लगाने का प्रस्ताव है, बशर्ते उत्तर प्रदेश/बिहार राज्य बिजली बोर्डों से किफायती दर पर बिजली उपलब्ध हो जाये ।

(ii) भटनी-वाराणसी खण्ड में तुर्तीपार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को 1968-69 में ऊंचा करने का प्रस्ताव है ।

(iii) 1968-69 और 1969-70 में भटनी सोनपुर खण्ड के किसी भी स्टेशन के प्लेट-फार्म को ऊंचा करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) (i) सादात और एकमा रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के काम पर क्रमशः 9,185 रुपये और 7,630 रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ii) तुर्तीपार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा करने के काम पर 74,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

रेलवे पासों से प्रथम श्रेणी में यात्रा

2131. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में कुल कितने यात्रियों ने भारतीय रेलों में प्रथम श्रेणी में यात्रा की; और

(ख) उनमें से कितने यात्रियों ने रेलवे पासों से यात्रा की ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय सरकारी रेलों में प्रथम श्रेणी में मौसमी टिकट धारकों सहित जिन व्यक्तियों ने यात्रा की उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	**प्रथम श्रेणी के यात्रियों की संख्या**
1965-66	69,151,400

1966-67	78,173,800
1967-68	79,045,200 *

*अनन्तिम

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि रेलवे पासों से यात्रा करने वाले यात्रियों के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते ।

सूती कपड़ा मिलों की बेकार कतरनों आदि का जापान को निर्यात

2132. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मिलों की बेकार कतरनों आदि का जापान को निर्यात काफी कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जापान को रुई के कचरे के निर्यात में कमी इस वस्तु के निर्यात में सामान्य गिरावट की प्रवृत्ति के अनुरूप हुई है । देश में इस माल के बढ़ते हुए उपयोग से ही यह गिरावट आई है ।

औद्योगिक लाइसेंस देना

2133. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से अक्तूबर, 1968 तक कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये; और

(ख) ये लाइसेंस किन-किन औद्योगिक गृहों को दिये गये और राज्यवार उनके प्रार्थना-पत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कौन-कौन से स्थान लिखे गये थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जनवरी से अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में 184 लाइसेंस दिये गये हैं । आवन्टित लाइसेंसों का राज्यानुसार विवरण संलग्न है ।

औद्योगिक उपक्रमों के नामों तथा उनके स्थानों के सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि दिये गये सभी लाइसेंसों के विवरण, लाइसेंसधारियों के नाम और उपक्रम के स्थान का विवरण नियमित

रूप से मासिक, जनरल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड, साप्ताहिक, इण्डियन ट्रेड जनरल, इन्डस्ट्रियल लाइसेन्सेज और इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज के बुलैटिनों में प्रकाशित किया जाता है जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951

जनवरी से अक्तूबर, 1968 तक दिये गये लाइसेंसों का राज्यानुसार विवरण

क्रमांक	राज्य	दिये गये लाइसेंसों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	आसाम	4
3.	बिहार	10
4.	चण्डीगढ़	1
5.	दिल्ली	3
6.	गुंजरात	17
7.	हरियाणा	7
8.	केरल	2
9.	मध्य प्रदेश	2
10.	मद्रास	8
11.	महाराष्ट्र	73
12.	मैसूर	12
13.	नागालैंड	1
14.	उड़ीसा	2
15.	पंजाब	4
16.	राजस्थान	3
17.	उत्तर प्रदेश	6
18.	पश्चिमी बंगाल	26
	योग	184

कश्मीर में एच० एम० टी० की घड़ियों का उत्पादन

2134. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कश्मीर में शीघ्र ही एच० एम० टी० की घड़ियां बनाने के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा कश्मीर में घड़ियां बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार इस समय सक्रियरूप से विचार कर रही है। इस परियोजना का विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

टाटा, बिड़ला तथा अन्य की आस्तियां

2135. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1947 से टाटा परिवार, बिड़ला परिवार, मार्टिन बर्नज, बांगुरा बन्धुओं, ऐसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी, थापर, साहू जैन, बर्ड, हैजर्स, जे० के० सिंघानिया तथा सूरजमल नागरमल की आस्तियों में असाधारण वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि वे सरकार की समूची देय राशि का भुगतान करे और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इच्छित सूचना, 600 कम्पनियों को समाविष्ट कर दस प्रधान व्यापार गृहों से सम्बन्धित है ; तथा यह 20 वर्ष से अधिक की अवधि की है। इस अवधि के मध्य एक बहुत बड़ी संख्या में नई कम्पनियां विकास में आई होंगी, व कुछ का समापन हुआ होगा। इस विभाग के लिये, जो वास्तविक आधार पर, 1956 से, संगठित हुआ, ठीक-ठीक रूप से आवश्यक सूचना संग्रह करना सम्भव नहीं है। 31-4-1964 तक इन दस व्यापारिक गृहों की परिसम्पत्ति स्थिति जैसी नीचे दिखाई गई है ; बृहद अन्तर्ग्रस्त मात्राओं का सूचक है। यह आंकड़े एकाधिकार जांच आयोग रिपोर्ट से लिये गये हैं।

गृह का नाप	31-3-64 तक परिसम्पत्ति (करोड़ रुपयों में)
(1) टाटा	417.72
(2) बिड़ला	292.72
(3) मार्टिन बर्नज	149.61
(4) बांगुर	77.91
(5) एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी	77.36
(6) थापर	71.90
(7) साहू-जैन	67.69

(8) बर्ड-हेजर्स		60.10
(9) जे० के० सिंघानिया		59.20
(10) सूरजमल नागरमल		57.37
	योग	1331.58

(ग) देय-राशि के स्वरूप के विशेष उल्लेख की अनुपस्थिति में, स्थिति बताना कठिन है ।

ओवेशन इन्टरनेशनल

2136. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओवेशन इन्टरनेशनल नामक एक प्रसाधन सामग्री विक्रेता कम्पनी की उसके पंजीकरण के समय आस्तियां कितनी थीं तथा न्यायालय द्वारा उसे बन्द किये जाने के समय उसकी आस्तियां कितनी थीं ; और

(ख) आस्तियों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मैसर्स ओवेशन इन्टरनेशनल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र में 18 अगस्त, 1967 को, 50 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी तथा केवल 300 रु० की प्रेषित तथा अभिदत्त पूंजी सहित पंजीकृत हुई थी । उपलब्ध अभिलेखों से पता चलता है कि कम्पनी के संचालन को एक पूरा वर्ष समाप्त होने से पहले ही, बम्बई उच्चन्यायालय में, इसके कार्य के समापन के लिये एक याचिका मिसिल कर दी गई थी । याचिका अन्तिम सुनवाई के लिये अभी तक अनिर्णीत है । चूंकि कम्पनी को अपना प्रथम परिक्षित लेखा तथा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला, अतः सरकार के पास कम्पनी की परिसम्पत्ति के बारे में कोई सूचना नहीं है । जब तक, बम्बई उच्च-न्यायालय ने, सरकारी समापक को, कम्पनी का कार्य वाहक समापक नियुक्त किया है । कम्पनी के निदेशकों ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 454 के अन्तर्गत अपेक्षित अवस्था-विवरण अभी तक कार्यवाहक समापक को प्रस्तुत नहीं किया है । तदनुसार, कार्यवाहक समापक की नियुक्ति के अवसर पर, कम्पनी परिसम्पति के पुस्तांकित मूल्य का भी पता नहीं है ।

कम्पनियों द्वारा लोगों को चन्दे

2137. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 17 अगस्त, 1968 के राजनैतिक दलों को चन्दे के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 6110 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों ने लोगों को भी चन्दे दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन लोगों के नाम क्या हैं ; और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उन्हें कितनी धनराशि दी गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रारों को मिसिल किये गये लाभ-हानि के लेखाओं में प्रकटीकरण के अनुसार कम्पनियों द्वारा, गत तीन वर्षों के मध्य व्यक्ति अनुसार दिये गये अंशदानों के ब्योरे निम्नलिखित हैं :

अवधि	व्यक्ति का नाम	अंशदान की राशि
1-3-1965 से 28-2-1966 तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1-3-1966 से 28-2-1967 तक	,,	,,
1-3-1967 से 29-2-1968 तक	श्री सी० के० चन्देले	3,000 रु०
	श्री डी० आर मोरे श्री एस० एस० भोया श्री सम्पत पाटिल श्री माधव राव बोरांटे श्री उदय राम देवड़ा श्री अब्बास अली काजी	श्री धैर्यशील पावर के माध्यम से 10,000 रु०

	रुपये
श्री डी० आर० मोरे	20,000
श्री माधव बोरस्ते	2,500
श्री उदय राम देवड़े	2,500
श्री अब्बास अली काजी	2,500
श्री सीता राम सयाजी	2,500
श्री सूर्यभाऊ सुखदेव	7,000
ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर	2,500
श्री बाही लाल भाई डी० पटेल	7,500
श्री एच० एस० पटेल	20,000
श्री सेशान बादाखान चेरी	100
श्री सी० जनार्दनन	100
श्री टी० पी० सीतारमण	100
श्री बसु पाणीकर	100

श्रीमती मीना भाई शिवराज	2,000
श्री सी० एम० स्टैफिन	1,500
डा० हेनरी आस्टिन	1,500
श्री टी० वी० थामस	1,000
श्री रामालिंगम	500
श्री ए० एम० थामस	2,500
श्री कृपाल सिंह ढिल्लन	500
श्री मोल्हार सिंह	1,200
श्री गुरुदेव सिंह ढिल्लन	1,248-46 पैसे
श्री सुशील बहादुर अस्थाना	1,304-49 ,,
श्री बन्शीधर	130-85 ,,
श्री नरहरि प्रसाद	700-00 ,,
योग	94,487-80 पैसे

Licences for Medium and Large Scale Industries

2138. **Shri Onkar Singh :** **Shri Sharda Nand :**

Shri J. B. Singh : **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of persons who were issued licences for medium and large scale industries during the last one year ; and

(b) the total number of applications received therefor and the special reasons for issuing licences to these persons ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) The names of the parties to whom licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, are issued are periodically published in the monthly Journal of Industry and Trade and the Weekly Indian Trade Journal and the Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences. Copies of these publications are available in the Parliament Library. During the last one year, viz. from 1.11.1967 to 31.10.68, 230 licences have been issued.

(b) During the above period, 1059 applications for industrial licences were received. Licences were issued on the merits of each case having regard to factors such as the demand and supply position of the article (s) proposed to be manufactured ; the target/plan capacity ; availability of raw materials ; requirements of foreign exchange ; need for balanced regional development ; technical feasibility of the scheme ; financial soundness of the applicant etc.

चाय का निर्यात

2139. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष चाय के निर्यात में अप्रत्याशित कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) चाय के निर्यात में कमी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय 'ग्रे' कपड़े का निर्यात

2140. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 30 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8964 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी सूचना मिली है कि पूर्वी यूरोप के देश भारतीय 'ग्रे' कपड़े का हालैंड को पुनः निर्यात कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा व्यापार करने वाले देशों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या बौन द्वारा नियुक्त किये गये वस्त्र विशेषज्ञों ने इस बारे में एक रिपोर्ट दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). जी, नहीं । हालैण्ड को पुनर्निर्यात के कोई विशिष्ट मामले हमारी जानकारी में नहीं आये हैं । फ्रैंकफर्ट (प० जर्मनी) में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि ने पश्चिम यूरोप के कुछ आयातकों द्वारा उसे बताये गये इस मत की सूचना भेजी है कि कुछ पूर्व यूरोपीय देशों द्वारा खरीदा गया भारतीय कोरा कपड़ा पश्चिम यूरोपीय देशों को भेजा जा रहा है ।

समुद्री उत्पाद और समुद्री खाद्य पदार्थों का सर्वेक्षण

2141. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा नियुक्त भारतीय विदेशी व्यापार संस्था का विचार समुद्री उत्पादों तथा समुद्री खाद्य पदार्थों की निर्यात क्षमता का पता लगाने के लिये अनेक देशों का सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें निर्यात क्षमता का पता लगाया जायेगा ;

(ग) इस समय भारत का इन वस्तुओं का वार्षिक उत्पादन कितना है तथा वह निर्यात के लिये कितना उपलब्ध है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित उद्योगों का विकास कार्यक्रम क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय विदेशी व्यापार संस्था द्वारा इस सर्वेक्षण के किये जाने की सम्भावना है ।

(ख) सवक्षण के विषय तथा व्याप्ति के सम्बन्ध में, जिसमें सर्वेक्षण किये जाने वाले देश भी शामिल हैं, भारतीय विदेशी व्यापार संस्था तथा अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के बीच बातचीत चल रही है ।

(ग) 1967 में समुद्र से निकाली गई मछलियां कुल 8,50,171 मे० टन थीं, जिसमें 90,927 मे० टन प्रॉन भी शामिल हैं । मत्स्य के इस वार्षिक उत्पादन में से 9% समुद्री खाद्य निर्यात के लिये उपयोग में लाया जाता है ।

(घ) मत्स्य उद्योग के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन कार्यक्रम में 8000 यंत्रीकृत छोटी नावों तथा 300 मत्स्य नौकाओं को चालू करना, उपयुक्त महत्वपूर्ण मत्स्य पकड़ने के केन्द्रों पर पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था, महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के वितरण केन्द्रों पर हिम, ठंडे गोदाम तथा हिम-संयंत्र की स्थापना करना आदि शामिल है ।

मध्य प्रदेश में सरकारी नियन्त्रणाधीन उद्योग

2142. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 13 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उसके द्वारा जारी किये गये आदेश के बारे में, जिसमें उसने राज्य में विभागीय तौर पर तथा अन्य सरकारी नियंत्रणाधीन उद्योगों द्वारा निर्मित और

तैयार किये गये 12 उत्पादों को बिना टेंडर आमन्त्रित किये केवल सरकारी खरीद के लिए सुरभित कर दिया है, उत्तर प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श पूरा हो गया है कि ये अपने-अपने राज्यों में तैयार होने वाले माल को प्राथमिकता दें ; और

(ग) विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला है और इस बारे में नीति सम्बन्धी क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार के विभागीय तथा अन्य सरकारी नियंत्रणाधीन उद्योगों द्वारा निर्मित और तैयार किये गये उन 14 उत्पादों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2321/68]** जिन्हें बिना निविदा आमन्त्रित किये केवल सरकारी खरीद के लिये सुरक्षित कर दिया है।

(ख) (1) आसाम (2) बिहार (3) गुजरात (4) हिमाचल प्रदेश और (5) राजस्थान सरकारों से उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो जाने के उपरान्त उन पर विचार करके, अन्तिम रूप से निर्णय किया जायेगा।

कीरीबूर तथा बेलाडिला परियोजनाओं की हानि

2143. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 469.10 लाख रुपये के कुल सौदे में 405 लाख रुपये की हानि के बारे में सरकारी उपक्रम समिति द्वारा ग्यारहवें प्रतिवेदन 1967-68 में की गई टिप्पणी से सरकार भी सहमत है ;

(ख) क्या सरकार इस टिप्पणी से भी सहमत है कि 1967 के पश्चात कीरीबूर और बेलाडिला परियोजनाओं को अनुमानतः क्रमशः 285.60 लाख रुपये तथा 226.80 लाख रुपये प्रतिवर्ष हानि हो सकती है ; और

(ग) क्या समिति के इस प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो समिति की विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). समिति द्वारा की गई टिप्पणियां तथा सिफारिशें परीक्षणाधीन हैं। सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के उपाय तब अपनाये जायेंगे जब इनको अन्तिम रूप दिया जा चुकेगा। परीक्षणों के परिणामों के पूर्वानुमान के बिना ही यह कहा जा सकता है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम

और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा जापान को लौह अयस्क बेचकर जो भी हानि हुई हो उसे लगभग 1021 लाख रुपये के कुल निर्यात विक्रय सौदे की दृष्टि से आंकना होगा। और फिर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खानों से लौह अयस्क के उत्पादन, संचलक तथा निर्यात के परिणामस्वरूप रेल विभाग के राजस्व में (लगभग 601 लाख रुपये), पत्तन के राजस्व में (लगभग 232 लाख रुपये) तथा भारत सरकार के राजस्व में (लगभग 120 लाख रुपये) अयस्क पर निर्यात शुल्क के तौर पर प्राप्त हुए।

जहां तक पाउंड पावने के अवमूल्यन के अन्नतर हुई कुल हानि की संगणना का सम्बन्ध है, (क) जापान द्वारा लिये गये अयस्क के मूल्य में वृद्धि, और (ख) निर्यात शुल्क की दर में कमी, जिसके लिये किरिबुरु अयस्क का एक भाग 31 अगस्त, 1968 से योग्य हो जायेगा, के परिणाम स्वरूप स्थिति सुधार की ओर परिवर्तित हो गई है। इसके अनुसार किरिबुरु और बैलाडिला निक्षेप नं० 14 से अयस्क निर्यात पर कुल वार्षिक हानि का अनुमान सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा बताई गई 512.40 लाख की रकम की तुलना में, 232 लाख रु० के लगभग आंका गया है।

रूस को रेलवे माल-डिब्बों की सप्लाई

2144. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 6 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2845 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के माल-डिब्बों की सप्लाई के लिये रूस को कोई वाणिज्यिक पेशकश की है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ;

(ख) रूस सरकार द्वारा बताये गये विशिष्ट विवरणों को पूरा करने के लिये हमारे वर्तमान संयन्त्रों तथा मशीनों में कितना फेर बदल करना पड़ेगा तथा इस काम पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) क्या रूसी क्रयादेश की पूर्ति करने के बाद उन मशीनों को अन्य उपयोगों में लाया जा सकेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। बातचीत चल रही है।

(ख) वर्तमान संयंत्र तथा मशीनों में कोई अदल बदल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Diesel and Electric Engines

2145. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the position of demand against supply of diesel and electric engines during the current year ;

(b) the targets fixed for the demand and supply during the Fourth Plan ; and

(c) when India will be in a position to manufacture diesel and electric engines having all indigenous components ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Requirements are not assessed annually, but for a Plan period as a whole, whereafter the yearly procurement programme is developed. The production target during 1968-69 are as under :—

	BG.	MG.	Total
Diesel Locomotives (Main Line)	68	10	78
Diesel Shunters	34	—	34
Electric Locomotives	53	—	53

Since this production is estimated to be inadequate to meet immediate needs, the import of 30 MG diesel locomotives has been arranged in the current financial year.

(b) The requirements during Fourth Plan Period and the Production Programme to meet the requirements, are being worked out.

(c) By 31.3.1970, the indigenous component is expected to be of the following order :

(i)	BC Diesel Locomotives	75%
(ii)	MG Diesel Locomotives	50%
(iii)	BG Diesel Locomotives	75%
(iv)	BG Electric Locomotives	75%

Since the components imported are of a proprietary and sophisticated nature, complete indigenisation is likely to take some time. However, vigorous efforts are being made to achieve this early but no time limit can be indicated at this stage.

Foreign Exchange Spent on Indian Railways

2146. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the amount of foreign exchange during 1967-68 to run Indian Railways and the amount of foreign exchange earned by Railways ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : The foreign exchange spent by Indian Railways during 1967-68 (including foreign exchange expenditure on production of rolling-stock) is Rs. 40.88 crores and the amount of foreign exchange earned was Rs. 30 lakhs on export of scrap steel and coaching bogies.

Manufacture of Cabins with two Shutters in First Class Compartments

2147. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in view of the economy in the accommodation and economic benefit resulting from manufacture of new cabins with two shutters in first class compartment in place of old three shutter cabins and by reducing the gap between the two berths Government propose to

manufacture all the first class compartments of the above design in future so that overcrowding in first class may be reduced ; and

(b) if so, when this is proposed to be done ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). The 4-berth compartments of current and future builds of B.G. Ist Class coaches will be to the new design which provides two windows (shutters) of 3 feet width, instead of three windows of 2 feet width, without reducing the gap between the two berths. This change does not affect the size or capacity of the compartment and, therefore, the question of reducing overcrowding does not arise.

Thefts of Goods from Trains

2148. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details of goods stolen from the Compartments of passenger trains of the Indian Railways during the year 1967-68 ; and

(b) whether Government propose to replace several costly fittings with cheap and durable ones and also to introduce necessary modifications so that the possibilities of theft may be minimised ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The value of goods stolen from luggage Vans and brake vans of passenger trains was Rs. 2,88,526/- (excluding the figures of Southern and Western Railways which are not available). The value of electrical and mechanical fittings stolen from the compartments of passenger trains was Rs. 23,53,198/-. Electrical fittings such as dynamo belts, bulbs, underframe wires, batteries, kent couplers, armatures of fans and dynamos, switch gear, cell connectors etc. and mechanical fittings such as rexine, wash basins, stop cocks, mirrors, aluminium window frames, towel and commode rails, flushing cocks etc. are the articles cammonly stolen.

(b) Yes, costly non-ferrous electrical and mechanical components and copper wires are being replaced by cheaper mild steel and cast iron component and aluminium wire to make them less attractive for thefts. Anti theft measures exist in the shape of locking of compartments, provision of tamper proof fastening devices on inferior fittings, welding and encasing electrical equipment, cleating and troughing of under frame wiring, shifting of theft prone equipment inside the coaches, so as to make their removal difficult by anti-social elements.

Accommodation for Railway Employees in Delhi

2149. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees working in Delhi and the number out of them provided with residential accommodation ; and

(b) the number of quarters proposed to be constructed during the next two years by the railways and the cost of construction thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 26,993 out of whom 7,500 approximately have been provided with quarters.

(b) 484 quarters are propose to be built in Delhi area at an approximate cost of Rs. 64.68 lakhs.

Delicensing of Industries

2150. **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the industries proposed to be delicensed by Government durig the next two years ;

(b) the result achieved by delicensing some of the industries during the last two years ;

(c) whether Government have received any representation against the policy of delicensing ; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) A proposal for selective delicensing of industries which do not involve foreign exchange expenditure is under consideration of the Government. The list of industries which might be delicensed has not been finalised.

(b) It is not possible to make a realistic assessment of the effect of delicensing until the effects of recession are over.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा से अयस्कों का निर्यात

2151. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम की कब स्थापना हुई थी और इसने 31 मार्च, 1968 तक वर्षवार कुल कितना लाभ कमाया था ; और

(ख) कार्य आरम्भ करने से अब तक उड़ीसा प्रदेश में विभिन्न किस्मों के अयस्कों का इसने कितना निर्यात किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम 1 अक्तूबर, 1963 को स्थापित हुआ । निगम ने वर्षवार कुल जितना लाभ कमाया वह निम्नलिखित है :

वर्ष	करोड़ रु० में
1963-64 (वर्ष का उत्तरार्द्ध)	0.05
1964-65	0.25

1965-66	1.06
1966-67	4.70
1967-68	1.26

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कलकत्ता, पारादीप तथा विशाखापत्तनम् पत्तनों के माध्यम से निर्यात के लिये उड़ीसा से अयस्कों की निम्नलिखित मात्रा भेजी है :—

1963-64	279,000 मे० टन
1964-65	700,000 ,,
1965-66	992,000 ,,
1966-67	885,000 ,,
1967-68	1,112,000 ,,
1968-69 (अप्रैल से अक्तूबर)	632,000 ,,

देतरी खान के स्थापित होने तक पारादीप पत्तन पर अयस्क लदान क्षमता को, नेरगण्डी स्टेशन पर विशेष यातायात नियन्त्रण व्यवस्था प्रदान करके, वराजमदा क्षेत्र से अयस्क के निर्यात के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है ।

भारतीय रुपये के अवमूल्यन से पूर्व जब ऊंचे मूल्य के कारण उड़ीसा से क्रोम अयस्क का निर्यात नहीं किया जा सका था तब खनिज धातु व्यापार निगम ने वस्तु विनियम के सौदों के अन्तर्गत निम्नलिखित मात्राओं का निर्यात किया था :

1964-65	—	32,000 मे० टन
1965-66	—	27,000 ,,
1966-67	—	37,000 ,,

विदेशी खरीदारों द्वारा निर्धारित विशिष्टियों की पूर्ति के लिये उड़ीसा के निम्न वर्ग के मैंगनीज अयस्क को अन्य क्षेत्रों के मैंगनीज अयस्क के साथ मिश्रित किया जा रहा है ।

प्रशुल्क आयोग पुनर्विलोकन समिति

2152. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री धी० ना० देव :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशुल्क आयोग पुनर्विलोकन समिति ने अवमूल्यन से लाभ

उठाने वाले उद्योगों की जांच करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी हां । समिति ने सिफारिश की है कि क्योंकि आयात में मूल्यों की प्रतियोगिता की दृष्टि से अवमूल्यन के लाभ उन उद्योगों के लिये भी आंके गये हैं जिन पर प्रशुल्क आयोग ने विचार नहीं किया है, सरकार इन उद्योगों की प्रारम्भिक जांच करने के लिये शीघ्र कार्यवाही शुरू कर सकती है, और उस आधार पर चुने हुए उद्योगों के मामलों को रक्षार्थ प्रशुल्क आयोग की जांच के लिये भेज सकती है ।

(ग) और (घ). सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित मंत्रालयों से सलाह की जा रही है और यदि समिति किसी भी मामले में किसी प्रकार की जांच कराना आवश्यक समझेगी तो उनके अनुसार मामला प्रशुल्क आयोग को भेज दिया जायेगा ।

नोट : समिति की सिफारिशें तथा उन पर हुए सरकार के निर्णय दिनांक 19 नवम्बर, 1968 को सभा-पटल पर रखे जा चुके हैं । वे संसद-पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं ।

विदेशी सहयोग

2153. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री धी० ना० देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 में 241 विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव थे जो 1967-68 में घट कर 140 रह गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोग के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव जो कम मिलने लगे हैं पुनः अधिक मिलने लगेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । विदेशी सहयोग के प्रस्तावों में कमी हुई है । सन् 1966-67 में विदेशी सहयोग के 240 प्रस्ताव थे और सन् 1967-68 में 140 हैं ।

(ख) सन् 1967-68 में स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों की संख्या में कमी का एक कारण विदेशी सहयोग प्रस्तावों को स्वीकृत करते समय सरकार द्वारा किया गया चयनात्मक उपगमन है। देश में तकनीकी स्तर के उन्नत विकास के कारण, उन क्षेत्रों में जिनमें तकनीकी जानकारी देश में प्राप्त है, या विदेशी सहयोग द्वारा प्रस्तावित उत्पाद का उत्पादन वर्तमान संदर्भ में विशेष महत्व का नहीं है उनमें विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को अनुमति अब नहीं दी जाती है। सन् 1967-68 की अवधि में स्वीकृत विदेशी विनियोजनों/सहयोगों की संख्या में कमी के निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं :

1. सन् 1967 की अवधि में मन्दी,
2. विगत दो वर्षों में देश में सूखे की जैसी स्थिति,
3. ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पूंजी निर्यात करने वाले देशों द्वारा पूंजी निर्यात पर प्रतिबन्ध।

(ग) विदेशी सहयोग के आवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने की दृष्टि से केवल विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए एक विदेशी निवेश बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया गया है। जिससे कि उचित उद्योगपति प्रकरणों में विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से वंचित न रह सकें।

सहायक निर्माण कार्य निरीक्षक

2154. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **रेलवे** मंत्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4612 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि पश्चिम रेलवे के ऐसे सहायक निर्माण कार्य निरीक्षकों को, जिनका वेतनमान 205-280 था, ऐसे निर्माण काम मिस्त्रियों को, जिनका वेतनमान 150-240 था तथा ऐसे टेली क्लर्कों को, जिनका वेतनमान 105-135 था, और जिन्हें अब क्लर्कों के रूप में नौकरी पर रखा गया है वेतन निर्धारित करते समय सेवा का लाभ दिया गया है, अर्थात् उन्हें 110 रुपये तथा जितने वर्ष उन्होंने उस श्रेणी में काम किया है जिससे वे फालतू घोषित किये गये, चाहे उनकी पहली सेवा कैसे भी थी, उतनी वार्षिक वृद्धियां दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ई (एन० जी०) II-67-आर०ई०आई०/58 दिनांक 29 अप्रैल, 1968 जी० एम० सी० सी० के पत्र संख्या 1086/30/10 दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के अन्तिम पैरा में दी गई बातों के विरुद्ध कैसे नहीं है ;

(ग) क्या वह जानकारी, जिसका आश्वासन प्रश्न संख्या 4612 के भाग (ग) और (घ) में दिया गया था, इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सहायक निर्माण निरीक्षकों को प्रश्न में बतायी गयी विधि के अनुसार वेतन दिया गया है। निर्माण मिस्त्रियों को क्लर्क के वेतन का न्यूनतम,

अर्थात 110 रुपये, देकर उसमें उनकी सेवा के पूरे वर्षों की संख्या के बराबर, उनके वैयक्तिक वेतन के रूप में, वेतन-वृद्धियां जोड़ दी गई हैं। टेली क्लर्कों का वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

(ख) इसमें कोई अन्तर्विरोध नहीं है। पश्चिम रेलवे के पत्र में ब्योरा नहीं दिया गया है। फिर भी, रेलवे बोर्ड ने इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच की है और हिदायतें जारी कर दी हैं जो अन्तिम हैं।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी कर ली गयी है और अनुबन्ध 'क' में दी गई है। जो सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2322/68]

प्राग को प्रतिनिधिमंडल

2155. **श्री समर गुह :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 अगस्त, 1968 को प्राग में हुए तेइसवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के चयन का आधार क्या था और क्या इस चयन से पहले शिक्षा मंत्रालय से सलाह की गई थी ;

(ख) क्या डा० एस० देव, भारतीय भूतत्वीय और खनिज सोसाइटी के वर्तमान उपाध्यक्ष को, जिन्हें उक्त सम्मेलन के दो महत्वपूर्ण विभागों की अध्यक्षता करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था, को प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं किया गया था ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें प्राग जाने के लिये 300 रुपये की विदेशी मुद्रा मंजूर नहीं की गई थी ताकि वह प्राग के सम्मेलन में दो विभागों की अध्यक्षता कर सकें ;

(घ) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के भूतत्वीय विज्ञान के प्राध्यापक, जो कि सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य नहीं थे, को सम्मेलन में भाग लेने के लिये सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई थीं जो कि डा० देव को नहीं दी गई थीं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 19 अगस्त, 1968 को प्राग में हुए अन्तर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के तेईसवें अधिवेशन के लिये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का चुनाव, नई दिल्ली में 1964 में हुए बाईसवें अधिवेशन के पदधारियों, विश्वविद्यालयों के तथा राज्यों के भूवैज्ञानिक और खनन विभागों के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। प्रतिनिधि मण्डल के संयोजन को भारत सरकार के भूवैज्ञानिक सलाहकार जो कि गत अन्तर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के प्रधान थे तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से अन्तिम रूप दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सलाह की आवश्यकता नहीं समझी गई। फिर भी, शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर दूसरे प्रस्तावों के साथ-साथ ही विचार किया गया था।

(ख) से (ङ). नहीं, श्रीमान् जी । कांग्रेस की अनुभागीय बैठकों के लिये प्रधान का चुनाव करने का दायित्व अन्तर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की संगठनकर्तृ समिति का था । उक्त समिति ने पंजीकृत उपस्थित सदस्यों में से पृथक-पृथक अनुभागीय बैठकों के लिये प्रधान को नामित किया । डाक्टर एस० देव के अतिरिक्त बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों को, जो कि दूसरी समितियाँ इत्यादि के प्रधान/सचिव भी थे चैकोस्लोवाक संगठनकर्तृ समिति से भी इसी प्रकार के निमंत्रण प्राप्त हुए थे, परन्तु विदेशी मुद्रा के खर्चे में बचत करने के हेतु उन सभी को भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में शामिल नहीं किया जा सकता था ।

सम्मेलन में भाग लेने के लिये और बहुत से निवेदन पत्र, विशेषतया विश्वविद्यालय प्राध्यापकों से, प्राप्त हुए थे । उनमें से बहुतसों ने पत्र पढ़ने थे और उनमें से कुछ को कांग्रेस की अनुभागीय बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये आमंत्रित किया गया था । ऐसे दो व्यक्ति थे पंजाब विश्वविद्यालय के डा०आई०सी० पांडे और बंगलौर विश्वविद्यालय के डा० सी० नागन्ना । क्योंकि इन दो व्यक्तियों को, इस तथ्य के अतिरिक्त कि उन्होंने अनुभागीय बैठकों की अध्यक्षता करनी थी, स्थानीय आतिथ्य जिसमें प्राग में ठहरने का पूरा खर्चा शामिल था, भी प्रस्तुत किया गया था, अत: उनको सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दे दी गई थी । डा० देव को उसका खर्चा उठाने वाला ऐसा कोई आतिथ्य प्राप्त नहीं हुआ था और विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुए उसके भाग लेने का अनुमोदन नहीं किया गया । जहां तक डा० देव की प्रार्थना के प्रश्न का सम्बन्ध है, ऊपर बताए हुए विवरण से देखा जा सकता है कि उसके साथ कोई भेद-भाव नहीं किया गया ।

Ban on Import of Pornographic Literature

2156. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Goverpment are aware that the U. S. S. R. Government have banned the entry of pornographic literature imported from U. S. A. ;

(b) if so, whether the Central Government propose to impose ban on the import of pornographic literature from foreign countries in orders to maintain the character of the Indian youth ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) Import of obscene and undesirable literature is already banned.

(c) Does not arise.

Trade with East European Countries

2157. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Sitaram Kesri :
Shri Indrajit Gupta :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any possibility for expansion of trade with the East European countries has

been explored ;

(b) if so, the outlines thereof ;

(c) whether it is not likely to have any adverse effect on our foreign exchange position ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken to achieve a fovourable balance of trade with the hard currency areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). The posibilities for expansion of trade with the East European countries are periodically explored at the trade negotiations held with them by emphasising increase in the trade of such items on both the import and export side as have a growth potential. Our effort is to increase the export of non-traditional items, particularly engineering and other manufactured goods and obtain increasing supplies of industrial raw-materials, components and parts and fertilisers from these countries.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

भिलाई इस्पात परियोजना के लिये बिजली

2158. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के भिलाई इस्पात परियोजना तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को मूल करार के उपबन्धों के अनुसार भिलाई इस्पात परियोजना की आवश्यकता 45,000 किलोवाट से बढ़ जाने पर उक्त योजना को बिजली के सम्भरण सम्बन्धी करार के नवीकरण तथा उसमें परिवर्तन के लिए प्रार्थना की है ;

(ख) करार में क्या परिवर्तन किये जाने का सुझाव रखा गया है ; और

(ग) इस मांग के बारे में भिलाई परियोजना की प्रतिक्रिया तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और सरकार का रवैया क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य आशोधन भिलाई इस्पात कारखाने का 2.5 मिलियन टन क्षमता तक विस्तार होने के पश्चात् विद्युत् के मूल प्रशुल्क में 30 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि करने के बारे में है ।

(ग) यह मामला मुख्यतया भिलाई इस्पात कारखाने और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का है और वे इस बारे में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड से बातचीत कर रहे हैं ।

कच्चे माल का आयात

2159. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रुपयों में व्यापार करने वाले कुछ देशों को आगामी वर्षों में मशीनों तथा फालतू पुर्जों की बजाय कच्चे माल के संभरण के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूस ने कच्चे माल के संभरण के लिये सरकार द्वारा की गई प्रार्थना को नहीं माना है ;

(ग) क्या किसी अन्य देश ने सरकार द्वारा की गई प्रार्थना से सहमत होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ङ) सरकार ने इन देशों को आगामी वर्षों में कौन से कच्चा माल सप्लाई करने के लिये प्रार्थना की थी और उसकी कितनी मात्रा थी ;

(च) रूस तथा अन्य देशों द्वारा कच्चा माल दिये जाने से इन्कार करने के परिणाम-स्वरूप उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(छ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). सभी पूर्व यूरोपीय देशों, जिनमें सोवियत रूस भी शामिल है, के साथ व्यापार वार्ताओं में सरकार मशीनों तथा फालतू पुर्जों के अतिरिक्त कच्चे माल के संभरण के लिये अनुरोध करती रही है। ये सभी देश, जिनमें सोवियत रूस भी शामिल है, कच्चे माल का संभरण कर रहे हैं।

(ङ) विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की भारत की कुल आवश्यकताओं के विषय में इन देशों को बता दिया है और आवधिक व्यापार वार्ता में यह निर्धारित किया जाता है कि कोई देश विशेष कच्चे माल की कौन सी किस्म किस सीमा तक भेज सकता है।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठते।

लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति

2160. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों के बारे में लाइसेंस देने संबंधी सामान्य नीति को उदार बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) कुछ चुने हुये ऐसे उद्योगों को जिनके लिये विदेशी मुद्रा अधिक नहीं चाहिए लाइसेंस लेने के उपबन्धों से मुक्त करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की आशा है ।

कुक्कुट टीकों के लिए हिमीकरण शुष्कन मशीनें (फ्रीज ड्राइंग मशीनें)

2161. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुक्कुट-टीकों (पोल्ट्री वैक्सीन) में उत्पादन के लिए हिमीकरण-शुष्कन (फ्रीज ड्राइंग) मशीनें देश के अन्दर ही बनाई जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा तथा कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हिमीकरण शुष्कन (फ्रीज ड्राइंग) का उत्पादन देश की कोई फर्म नहीं करती ।

(ग) फ्रीज ड्राइंग मशीन के उत्पादन की एक योजना गैर सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुई है । वह विचाराधीन है ।

ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

2162. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री गणेश घोष :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञ दल ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). प्रतिवेदन पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ङ) जांच को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए हर कोशिश की जा रही है ।

रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा निवृति

2163. **श्री नम्बियार :**

श्री पी०पी० एस्थोस :

क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के बारे में 13 अगस्त, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3807 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है कि लेखा विभाग के ग्रेड दो के क्लर्क प्रारम्भिक वेतनक्रम में 180 रुपये पर ही न रुक जायें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : ऊपर वर्णित प्रश्न के उत्तर में दिये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति

2164. **श्री उमा नाथ :**

श्री नम्बियार :

श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 अप्रैल, 1968 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन जी) 66 आर आर आई/इकानोमी/ई (जी) पीटी के अनुसार दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे के लेखा विभागों में वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर कुल कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कुछ मान्यताप्राप्त संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

	दक्षिण रेलवे	**दक्षिण मध्य रेलवे**
(क)	अब तक कोई नहीं ।	106
(ख)	दक्षिण मध्य रेलवे बनाने तथा उसके स्वरूप पदालि के दो भाग करने के कारण आदेशों की क्रियान्विति में कुछ कठिनाई रही है ।	परिणाम प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । यह

कठिनाई अब दूर हो गई है और आदेशों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) जी, हां । जी, नहीं ।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब मेल पर पायदान पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु

2165. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री बसुमतारी :

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई से पंजाब मेल के पायदान पर यात्रा करने वाले कुछ व्यक्ति 6 अक्तूबर, 1968 को झांसी के निकट झखोरा स्टेशन पर एक सिगनल के खम्भे से टकरा जाने से मारे गये थे और घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए;

(ग) दुर्घटना के कारण क्या हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). नं० 5 डाउन पंजाब डाक गाड़ी से यात्रा करने वाले 3 व्यक्ति मारे गये और 13 को चोटें पहुंचीं ।

(ग) रेल संरक्षा आयोग के अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, सिगनल के खम्भे की एक सीढ़ी वास्तविक चल आयामों का उल्लंघन कर रही थी । उस सीढ़ी से टकरा जाने के कारण उपर्युक्त व्यक्ति हताहत हुए । नं० 5 डाउन पंजाब डाक गाड़ी से कुछ ही समय पहले जाने वाली डाउन माल गाड़ी के एक डिब्बे में लदी एक इस्पाती छड़ के बाहर निकल जाने से सीढ़ी में ठोकर लग गयी और जिसकी वजह से सीढ़ी टेढ़ी हो गयी थी ।

(घ) अन्तिम रिपोर्ट मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

Recruitment of Jawans in Railway Protection Special Force

2166. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3925 on the 13th August, 1968 and state :

(a) the reasons for cancelling the recruitment of selected 145 jawans hailing from Gorakhpur, Deoria and other Eastern Districts of Uttar Pradesh and Districts adjoining Bihar even after their medical examination, police verification and X-ray examination ;

(b) the amount of expenditure incurred and the time and labour wasted by Government and the jawans on the selection medical examination, police verification and X-ray examination of 145 jawans ; and

(c) the action taken so far against the officers responsible for cancelling the recruitment ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Selection was made against training posts and the Recruitment of the selected candidates could not be effected due to surrendering of training posts on account of economy.

(b) The selection was conducted by the Selection Committee, officers of which were headquartered at Gorakhpur. No cost on selection was, therefore, incurred. Further, no expenditure was incurred on account of police verification by the Railways. In regard to medical examination, no charges were realised from the candidates. However, na expenditure of about Rs. 725 was incurred on X-rays by the Railways.

(c) Does not arise.

पटना में एक संसद सदस्य के निजी मकान में रेलवे का टेलीफोन

2167. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के नियमों के अनुसार, रेलवे टेलीफोन को लोक निर्माण विभाग की सड़क के पार, रेलवे क्षेत्र के बाहर नहीं ले जाया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पटना में रेलवे के क्षेत्र के बाहर रेलवे का एक टेलीफोन श्री ए० पी० शर्मा, एम० पी० (राज्य सभा) के निजी निवास-स्थान पर लगाया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उनके निवास-स्थान पर टेलीफोन लगाने के लिये रेलवे को 6,000 रुपये व्यय करने पड़े;

(घ) टेलीफोन लगाने के बाद प्राप्त होने वाले त्रिमासिक बिलों की राशि कितनी थी, और क्या बिलों का भुगतान रेलवे को करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे के ऐसे विशेष नियम नहीं हैं जो रेलवे क्षेत्र से रेलवे टेलीफोन के लोक निर्माण विभाग की सड़क के दूसरी ओर ले जाये जाने पर लागू होते हों । रेलवे क्षेत्र से बाहर वाले टेलीफोन पर संचार विभाग का नियंत्रण होता है ।

(ख) पटना में श्री ए० पी० शर्मा के निजी निवास-स्थान पर, जो रेलवे क्षेत्र से बाहर है, रेलवे का टेलीफोन लगाया गया है । श्री ए० पी० शर्मा, भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं ।

(ग) यह कहना गलत है कि रेलवे प्रशासन ने इस टेलीफोन के लगाये जाने पर 6000 रु० खर्च किये हैं । उस पर केवल 88.75 रुपये खर्च किये गये हैं जो संघ से वसूल कर लिये जायेंगे ।

(घ) रेलवे को तार-लाइन के किराये के रूप में डाक तथा तार विभाग को 294 रुपये प्रति वर्ष देने होंगे, जो संघ से वसूल किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, संघ रेलवे को सेवा प्रभार के रूप में 135 रुपये प्रतिवर्ष और देगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास तथा कच्ची पटसन के लिये समर्थन मूल्य

2168. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास तथा कच्ची पटसन के मूल्य समर्थन कार्य के लिये स्थायी सरकारी व्यवस्था बनाने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब निर्णय किये जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं।

(ख) कपास/पटसन के लिये निगम/बफर स्टाक अभिकरण की स्थापना के प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

रेलवे विभागीय भोजन व्यवस्था द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की जांच

2169. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की विभागीय भोजन व्यवस्था द्वारा तैयार किये गये पदार्थों की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के कोई आदेश हैं;

(ख) क्या कोई अधिकारी विभागीय भोजन व्यवस्था तथा ठेकेदारों द्वारा तैयार किये गये भोजनों की किस्म तथा मात्रा की जांच करते हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि विशेष रूप से लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में दिये जाने वाले भोजन की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है;

(घ) क्या मंत्रालय ने रसोईयों के लिये चयन-पदालि के प्रश्न पर विचार किया है ताकि उनकी काम में रुचि बनी रहे;

(ङ) क्या मंत्रालय द्वारा ऐसे आदेश दिये जाने का विचार है कि लम्बी दूरी वाली गाड़ियों पर बिल देने के साथ-साथ ही शिकायत पुस्तक भी दी जाय; और

(च) क्या निजी ठेकेदारों को भी शिकायत पुस्तकें रखने के लिये बाध्य किया जायेगा जिन्हें मांगने पर पेश किया जा सके ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह सही नहीं है कि भोजन की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है ।

(घ) जी हां । रसोइयों के लिये एक सेलेक्शन ग्रेड है ।

(ङ) जी नहीं । यह व्यावहारिक नहीं होगा । काफी संख्या में बेयरे होते हैं और एक बेयरा कई यात्रियों को खाना देता है । प्रत्येक यात्री को बिल के साथ शिकायत पुस्तिका नहीं दी जा सकती है ।

(च) जी हां । ठेकेदार द्वारा चालित भोजनालयों की प्रत्येक स्थापना में भी एक शिकायत पुस्तिका रखी रहती है और मांग करने पर उसका दिया जाना जरूरी है ।

Closing Down of Level Crossing in Bikaner Division

2170. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of level crossings in Bikaner Division of the Northern Railway closed down by the Department ;

(b) whether the local public and Gram Panchayat have demanded reopening thereof in order to maintain free flow of traffic ; and

(c) if so, action taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Nil.

(b) and (c). In April, 1968 a reference was received from the Chief Secretary of the Government of Rajasthan forwarding a letter from the Panchayat Samiti, Dungargarh (Churu) regarding conversion of some cattle crossings on Bikaner-Ratangarh section of Northern Railway, into regular level crossings—unmanned/manned, for the use of vehicular traffic. The State Government has already been apprised that cattle crossings are meant only for the use of pedestrians and cattle. If any of the cattle crossings on Bikaner—Ratangarh section is required to be converted into a level crossing for the use of vehicular traffic, the cost involved (both initial as well as annual recurring, etc.) shall have to be borne fully by the State Government/Road Authority concerned.

With a view to prevent unauthorised use of the cattle crossings by the vehicular traffic and in order to avoid occurrence of accident, the Railway has provided stakes at all such cattle crossings. Trenches have also been dug on either side of the approaches.

Cultivation of land along Railway line

2171. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the area of such land as can be used for cultivation lying unused along the railway line in the canal area of Bikaner Division of the North Railway ; and

(b) whether the Railway Board would allow the local farmers to till the aforesaid land ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 489 acres approximately ;

(b) Yes. Lands outside the station limits are let out to cultivators in accordance with the rules in force.

विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार

2172. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री मंजूरी के लिए प्राप्त हुए विदेशी सहयोग सम्बन्धी अनिर्णीत पड़े करारों की कुल संख्या उन करारों की शर्तें, उन करारों की मंजूरी के लिए भेजने की तारीखें तथा देरी होने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सभी प्रकरणों में विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के विवरण सम्बन्धित पार्टी प्रथम बार ही प्रस्तुत कर देती है। विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों से परामर्श लेने और किसी निर्णय पर पहुंचने में सामान्यतः तीन महीने लग जाते हैं। 1 नवम्बर, 1968 तक के तीन महीने से अधिक निलम्बित प्रकरणों की एक सूची औद्योगिक विकास और समवाय-कार्य मंत्रालय में तैयार की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

निर्यातकों के साथ सार्थ संघ

2173. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई निर्यातक सार्थ-संघ हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे कोई औपचारिक सार्थ-संघ पंजीयित नहीं हैं, परन्तु निम्नलिखित वस्तुओं के अनौपचारिक सार्थ-संघ गठित किये गये हैं :

(1) उच्च तनाव शक्ति ट्रान्समिशन लाइनें।

(2) समस्त एल्यूमीनियम तथा इस्पात प्रचलित एल्यूमीनियम संवाहक।

(3) पेपर इन्सुलेटिड सीसा आवृत पावर केबुल।

(4) इराक तथा सूडान द्वारा जारी की गई निविदाओं पर भाव देने के लिये दो तदर्थ सार्थ-संघ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय आस्तियों की विक्री

2174. **श्री क० लकप्पा :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री वाल्मीकी चौधरी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री न० कु० सांघी :
श्री ओमप्रकाश त्यागी :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री न० कु० साल्वे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने सितम्बर, 1965 और उसके बाद उसके द्वारा जब्त

की गयी लगभग 100 करोड़ रुपये की भारतीय आस्तियों को नीलामी से बेच दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी). (क) और (ख). यह जानने पर कि पाकिस्तान प्राधिकारियों का कुछ भारतीय सम्पत्तियों को बेचने का इरादा है, जिनके लिए टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे, भारत सरकार ने तुरन्त पाकिस्तान सरकार से इस आशय का कड़ा विरोध प्रकट किया कि यदि कब्जा की गई भारतीय सम्पत्तियों को बेचने/निपटाने के लिए कोई कार्यवाही की गई तो वह ताशकंद घोषणा के उल्लंघन में और अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं प्रथा के विरुद्ध होगी। तब से किसी भी सम्पत्ति के बेचे जाने के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।

Modernisation of Textile Industry

2175. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any survey to ascertain the amount required for the modernisation of the textile industry in India ;

(b) if so, the number of mills in the country which are required modernisation ;

(c) whether Government have formulated any scheme in this regard ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. Certain steps have, however, been taken or are under consideration to help modernisation of the cotton textile industry.

(d) Does not arise.

दुर्गापुर में जस्ता चढ़ाने का कारखाना

2176. **श्री एम० नारायन रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर स्थित जस्ता चढ़ाने के कारखाने में निरन्तर कोई न कोई संकट पैदा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका उत्पादन निर्धारित क्षमता से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसकी खराबियां दूर करने और ठीक से चलाने में 6 वर्ष के विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) गत कुछ वर्षों में इसके निर्धारित क्षमता से कम कार्य करने से कुल कितनी हानि का अनुमान है; और

(घ) यह कारखाना कब से बिल्कुल ठीक कार्य करने लगेगा, और कब तक पूर्ण रूप से चालू हो जायगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक). (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोई जस्ता चढ़ाने का कारखाना नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

सिलाई की मशीनों का निर्यात

2177. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सिलाई की मशीनें मूल्य तथा रूप सज्जा के मामले में जापानी मशीनों का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं और माल को जहाजों में लादने में विलम्ब होने की पुरानी शिकायत है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965 में जो निर्यात 10,189 पौंड था वह कम होकर वर्ष 1967 में 6071 पौंड हो गया उस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी). (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात के लिए प्रोत्साहन

2178. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्द्धन के हित में, निर्यात को निर्बाध बनाये रखने के लिए व्यापार विक्रय सेवाओं, आसान शर्तों पर पर्याप्त तथा समय पर ऋण, नकद प्रोत्साहन योजनाओं, समय-समय पर निर्यात शुल्क के पुनरीक्षण तथा सुरक्षा से माल रखने और माल उतारने चढ़ाने में नियमितता जैसी पत्तन सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उपरलिखित उपायों की कहां तक जांच की गई है अथवा क्रियान्वित किये जा रहे हैं अथवा किये जा चुके हैं; और

(ग) अब तक क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). निर्यातकों के लिए चुने हुए उत्पादों पर नकद सहायता, निर्यात बाजार विकास भत्ता, कम ब्याज दर पर पोत-भरण-पूर्व ऋण, मशीनरी के निर्यात के लिए आस्थगित भुगतान शर्तें, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती मूल्य पर कुछ कच्ची सामग्री की सप्लाई, और निर्यात उत्पादन के लिए आयात संपूर्ति की सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही मौजूद है। निर्यात शुल्कों का भी समय-समय पर पुनरीक्षण किया

जाता है और निर्यातों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं में सुधार करने तथा उन्हें सरल बनाने के निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं—

	(रुपये करोड़ों में)
1966–67	1157
1967–68	1199
1967–68 (अप्रैल-सितम्बर)	572
1968–69 (अप्रैल-सितम्बर)	672

जैसा कि उपरोक्त आकड़ों से पता लगेगा, निर्यात, विशेषतः चालू वर्ष में बढ़ रहा है ।

विदेशों में भारतीय व्यापार आयुक्त तथा वाणिज्यिक सहचारी

2179. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश भारतीय व्यापार आयुक्त तथा वाणिज्यिक सहचारी उन देशों द्वारा, जहां वे कार्य कर रहे हैं, मांगे गये विश्वव्यापी टेण्डरों की जानकारी भारत को समय पर देने की ओर ध्यान नहीं देते जबकि वहां पर नियुक्त अन्य देशों के व्यापार आयुक्त तथा वाणिज्यिक सहचारी ऐसे टेण्डरों के बारे में अग्रेतर जानकारी प्राप्त करने के मामले में सक्रिय रहते हैं और अपने-अपने देशों को पूरी सूचना पहले ही भेज देते हैं जिससे वे पर्याप्त व्यापार प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और उसके परिणामस्वरूप उनके निर्यात में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने दूतावासों में केवल ऐसे व्यक्ति नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है जिनके पास व्यापारिक क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी योग्यता हो ताकि प्रभावी रूप से कार्य करना सुनिश्चित किया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विदेशों में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते समय वाणिज्यिक क्षेत्र में उनके अनुभव को ध्यान में रखा जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए पत्तनों में बर्थ प्राप्त करने में विलम्ब

2180. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्यूमीनियम को छोड़कर अधिकांश गैर-परम्परागत इन्जीनियरी माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इन वस्तुओं को निर्माण केन्द्रों से पत्तनों तक उनकी ढुलाई के लिए रेल भाड़े में 25 प्रतिशत की रियायत दी है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर मामलों में जब माल किसी पत्तन पर पहुंचता है तो अनुसूचित तिथि को बर्थ नहीं दिया जाता और निर्यातक को बर्थ के मिलने तक माल को अन्यत्र ले जाना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बाधा तथा रुकावट को दूर करने और इस प्रकार समय पर निर्यात सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) इन्जीनियरी के माल तथा एल्यूमीनियम से बने बर्तनों एवं संवाहकों सहित बड़ी संख्या में अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात पर 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक रेल भाड़े में छूट दी जा रही है ।

(ख) से (ग). लगभग सभी प्रमुख पत्तनों पर लदान से पूर्व माल के भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं, केवल बम्बई ही एक ऐसा पत्तन है जहां अपरम्परागत माल के निर्यातकों को पत्तन की सीमित भण्डारण क्षमता के कारण कभी-कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए पत्तन प्राधिकारियों ने प्रिंसेस डाक पर अतिरिक्त स्थान वाला एक भण्डागार बनाने तथा फरेरे बेसिन पर एक नया भण्डागार बनाने की योजना बनाई है ।

भारत में वायदा सौदा प्रणाली

2181. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वायदा सौदा प्रणाली पर विचार करने के लिए बनाई गई दांतवाला समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हां ।

(ख) समिति की सिफारिशें प्रतिवेदन के अध्याय—9 के भाग 2 में उल्लिखित हैं जिसकी एक प्रति 26 मई, 1968 को सभा-पटल पर रखी जा चुकी है ।

(ग) सरकार सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि

2182. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 में कुल कितने रुपये की हानि हुई;

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को इस प्रकार की हानि कब तक होती रहेगी;

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा अभी तक प्रबन्धक बोर्ड न बनाने के क्या कारण हैं और इसे बनाने में अभी और कितने महीने लगेंगे;

(घ) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वर्तमान प्रबन्धक इस्पात की खपत प्रणाली में हुए परिवर्तनों का सामना करने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि इसके फलस्वरूप कुछ किस्मों के इस्पात का उत्पादन मांग से अधिक है और इस्पात की जिन किस्मों की मांग है उनका उत्पादन कम होता है और यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) वर्ष 1966–67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 205·5 मिलियन रुपये और वर्ष 1967–68 में 401·2 मिलियन रुपये की हानि हुई।

(ख) जैसा कि 5 अप्रल, 1968 को सभा पटल पर रखे गये 'परफोर्मेन्स आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' शीर्षक पत्र में बताया गया है, कम्पनी के कामों पर कई कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इनमें से कुछ कारण आधारभूत हैं और कुछ ऐसे हैं जैसे इस्पात की मांग में मंदी का रुख, औद्योगिक सम्बन्धों में अशान्ति और उपकरणों को क्षति आदि। इन बाधाओं के रहते हुए कम्पनी को कार्य में यथा शीघ्र सुधार करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) तत्कालीन इस्पात, खान और धातु मंत्री के दिनांक 20 मार्च, 1968 के वक्तव्य में उल्लिखित कंपनी के संचालक मंडल के पुर्नगठन की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। संचालक मंडल में उपाध्यक्ष पहले से ही है और राउरकेला और भिलाई में महा-प्रबन्धक नियुक्ति किये गये हैं तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने के संचालन के लिए एक प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है और इन सबको संचालक मंडल में ले लिया गया है। कार्य-निर्वाहक निदेशकों का चुनाव विचाराधीन है।

(घ) से (च). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक इस्पात की मांग में परिवर्तनों से भलीभांति परिचित हैं और वे उनकी पूर्ति के लिए सार्थक उपाय कर रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति इन उपायों से की जा रही है—उत्पादकों का विभिन्नीकरण, विशेष और मिश्र इस्पात के उत्पादन पर बल नये अनुभागों का विकास, नई वस्तुओं का उत्पादन जैसे जस्ता चढ़ी सादी और नालीदार चादरें, इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेटें, विद्युत चादरें, कंक्रीट को और मजबूत बनाने के लिए कोल्ड ट्विस्टेड रिब्ड बार, आदि तथा कुछ प्रकार के लोहे और इस्पात का पर्याप्त मात्रा में निर्यात।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड

2183. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जुलाई, 1968 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के चेयरमैन के इस कथित वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि 1970-71 के बाद संयंत्र की क्षमता का प्रायः पूर्ण प्रयोग नहीं हो सकेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि चतुर्थ योजना में 120 लाख के० डब्ल्यू० की वृद्धि का जो अनुमान है उससे इतने अधिक क्रयादेश नहीं प्राप्त होंगे कि दोनों संयंत्र पूर्ण क्षमता से काम कर सकें;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिया है और उत्पादन के विविधिकरण द्वारा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो संयंत्रों की क्षमता का प्रयोग न होने से संभावित भारी हानि से बचने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी हां, 8 अक्तूबर, 1968 के स्टेट्समैन में प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था।

(ख) से (घ). भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता सन् 1970-71 से आगे प्रतिबन्धित करनी है यह चतुर्थ योजना काल में क्रियान्वित की जाने वाली नई योजनाओं पर निर्भर करेगा। फिर भी भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के क्रयादेशों की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा अधिक से अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। उत्पादन में विविधता लाने के हेतु हैदराबाद स्थित हैवी पावरईक्विपमेंट प्लांट में छोटे टरबोसेंट, टरबोंकम्प्रेसर और ब्लोअर्स का उत्पादन शुरू करने के तथा तिरुचरापल्ली में स्थित हाईप्रेसर बोइलर संयंत्र में औद्योगिक बोइलरों का उत्पादन शुरू करने के पग उठाये जा रहे हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के विभिन्न एककों के उत्पादों के निर्यात की मंडियों को विकसित करने की संभावनाओं की खोज की जा रही है।

चाय पर उत्पादन शुल्क

2184. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चाय पर उत्पादन शुल्क कम करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उद्योग के सुधार के लिये, लाभ अथवा कम से कम उसके एक भाग को पुनः उद्योग में लगाने की किसी योजना को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या उत्पादन-शुल्क में कमी से चाय पर निर्यात से आय बढ़नी शुरू हो गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पैकेज चाय को छोड़कर चाय की बाकी सभी किस्मों पर 20% के विशेष उत्पादन शुल्क को सरकार ने 1 अक्तूबर, 1968 से वापस ले लिया है ।

(ख) और (ग) . चाय बोर्ड ने चाय उत्पादकों को उनकी संस्थाओं के माध्यम से सलाह दी है कि उन्हें उक्तोल्लिखित उत्पादन शुल्क में राहत से होने वाली बचत का उपयोग किन-किन प्रयोजनों पर करना चाहिए । इस प्रकार उल्लिखित प्रयोजनों में चाय-खेती क्षेत्र का प्रतिस्थापन तथा विस्तार, मशीनरी तथा सिंचाई उपकरणों सहित उपकरणों की खरीद कारखानों का पुनरुद्धार, भू-संरक्षण, तथा वनस्पति (चाय के पौधे) रक्षा-उपाय बागान क्षेत्रों के अन्दर संचार व्यवस्था में सुधार और चाय अनुसंधान के लिये धन की व्यवस्था करना शामिल है ।

(घ) चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क में कमी के प्रभाव का इतना जल्दी अनुमान लगाना कठिन है ।

दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार

2185. **डा० रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार की योजना के एक अंश के रूप में भारत सरकार की नीति दक्षिणी वियतनाम के साथ व्यापार को बढ़ाने की है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिणी वियतनाम को किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और यह निर्यात किस एजेन्सी के द्वारा किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत से दक्षिण वियतनाम को सामान्य वाणिज्यिक माध्यमों से निर्यात हो रहे हैं । गत तीन वर्षों में दक्षिण वियतनाम को किये गये निर्यात का एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 2323/68]

पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के लिये जाड़ों में वर्दियां

2186. **डा० रानेन सेन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता क्षेत्र (जिसमें हावड़ा, सियालदह, बोनगाँव आदि शामिल हैं) में स्थित पूर्व रेलवे के कर्मचारियों को जाड़ों की वर्दियां देना कुछ समय पूर्व से बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) जाड़ों की वर्दियां देने के लिए जो आधार निर्धारित है उसके अनुसार केवल उन क्षेत्रों में वर्दियां दी जाती हैं जहां लगातार वर्ष के सबसे ठण्डे महीने में दो वर्षों तक औसत न्यूनतम तापमान 53° एफ (11·7°सी) या उससे नीचे रहता है । चूंकि (हावड़ा, स्यालदाह और बोनगांव आदि सहित) कलकत्ता के क्षेत्र उपरोक्त शर्त को पूरा नहीं करता, इसलिए उस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सर्दी की वर्दियाँ नहीं दी जाती हैं ।

श्रीलंका को प्याज का निर्यात

2187. **श्री जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रतियोगी के रूप में आ जाने के फलस्वरूप श्रीलंका में भारत द्वारा प्याज के निर्यात की मंडी खोलने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय निर्यातकों द्वारा घोषित की गई कीमतें पाकिस्तान की कीमतों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं;

(ग) क्या श्रीलंका के प्याज की आवश्यकता के लिए पाकिस्तान से प्रार्थना करने का एक कारण भारतीय प्याज का अधिक मूल्य है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद.शफी कुरेशी) : (क) से (घ). हमारे देश के कुछ भागों में फसल खराब होने के फलस्वरूप प्याज के विद्यमान ऊँचे आन्तरिक मूल्यों के कारण हमारे निर्यात मूल्य पाकिस्तान के मूल्यों से अपेक्षाकृत अधिक हैं । श्रीलंका में हमारे प्याज का बाजार बनाये रखने के उद्देश्य से इस बाजार पर निगरानी रखी जा रही है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सभी सम्भव उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ।

पोलैण्ड से सल्फर (गन्धक) का आयात

2188. **श्री जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलैण्ड से दीर्घकालीन आधार पर सल्फर का आयात करने की सम्भावना का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1969 में पोलैण्ड भारत को 110,000 मे. टन गन्धक की पूर्ति करेगा जो कि 1973 तक उत्तरोत्तर बढ़ कर 1,70,000 मे. टन हो जायेगी ।

मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी

2189. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवार्य-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी और इसके निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक निश्चित रूप से पूरी हो जायेगी;

(ख) क्या यह सच है कि मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के निदेशक कार्यवाही में विलम्ब करने के कई तरीके अपना रहे हैं; यदि हां, तो उनके तरीकों से निपटने के लिये कोई उपाय नहीं है; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ श्रमिक संघों ने कम्पनी के वर्तमान चेयरमैन के विरुद्ध अनियमित लेनदेन के कुछ गम्भीर आरोप लगाये हैं और यदि हां, तो सरकार ने चेयरमैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार के एक प्रार्थना-पत्र पर, मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 398 के अन्तर्गत याचिका पर संव्यवहार के लिए एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है । यह अनुमान किया गया है कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई प्रारम्भ होने के पश्चात, इस कार्यवाही में, 3 से 4 मास का समय लगने की सम्भावना है, यद्यपि यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है कि उच्चन्यायालय में यह कार्यवाही अन्तिम रूप से कब पूर्ण होगी । कम्पनी अधिनियम की धारा 388 बी० के अन्तर्गत कार्यवाहियां, श्री एस० पी० जैन तथा श्री ए० पी० जैन द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों का निपटान, अनिर्णीत होने से, कलकत्ता उच्च-न्यायालय द्वारा, रोक दी गई है । इन अपीलों पर, कलकत्ता उच्चन्यायालय में जनवरी, 1969 में, सुनवाई होने की सम्भावना है ।

(ख) तकनीकी आधार पर लेख तथा अपीलें, भूतपूर्व निदेशक सर्वश्री एस० पी० जैन तथा ए० पी० जैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो इन मामलों में उत्तरवादी है। यह सुनिश्चित करने के लिये कानून के अन्तर्गत उपलब्ध सभी सम्भव पग उठाये जायेंगे कि यह कार्यवाहियां यथा सम्भव कम से कम समय में पूर्ण की जायें।

(ग) टाइम्स आफ इण्डिया के कर्मचारी वर्ग ने अगस्त, 1968 में, कम्पनी के वर्तमान अध्यक्ष श्री डी० के० कुंटे द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं तथा अवैधताओं का आरोप लगाते हुये एक ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत किया था। इस ज्ञापन-पत्र से सम्बन्धित कम्पनी की दिल्ली शाखा में तैयार की गई किताबों तथा प्रलेखों का इस विभाग के एक अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई द्वारा भी एक जांच की गई है, जिसने अपनी स्वयं की जांच तथा दिल्ली में किये गये निरीक्षण द्वारा प्रकाश में आये इंगितों पर कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगा है। इस उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2190. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है, उनके नाम तथा पद क्या हैं;

(ख) यह जांच इस समय किस प्रक्रम पर है और यह जांच कब पूरी हो जायेगी ताकि अग्रेतर कानूनी कार्यवाही की जा सके; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सौदों के सम्बन्ध में भूतपूर्व चेयरमैन, श्री बी० पी० पटेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई थीं और यदि हां, तो वे सौदे कौन से हैं तथा कुल कितनी राशि के हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम के तीन अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। जैसा कि ये मामले अभी हाल में ही दर्ज कराये गये हैं और एक मामले में जांच अभी शुरू हुई है, इस प्रक्रम पर कोई विवरण देना जांच के हक में नहीं होगा।

(ग) राज्य व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा जिसमें भूतपूर्व चेयरमैन शामिल हैं, किये गये कुछ सौदों के बारे में शिकायतें मिली हैं और उनकी जांच की जा रही है, ऐसा समझा गया है कि इन सौदों का ब्योरा देना व्यापार की दृष्टि से निगम के हक में नहीं होगा।

आन्ध्र प्रदेश में हीरों के निक्षेप

2191. **श्री पें० बेकटासुब्बया :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हीरों के निक्षेपों की क्षमता के

बारे में आन्ध्र प्रदेश के करनूल और अनन्तपुर जिलों के क्षेत्रों में सर्वेक्षण और खोज करने का कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो निगम ने किन क्षेत्रों के बारे में लिखा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि निगम ने सुझाव दिया है कि यह खोज और सर्वेक्षण भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से किया जाना चाहिए;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस कार्य को बड़े पैमाने पर करने तथा नमूनों का परीक्षण करने के लिये उपकरणों और मशीनों की कमी है;

(ङ) क्या निगम ने यह सुझाव भी दिया है कि कृष्ण नदी पर श्रीसेलम परियोजना के कारण जल-निमग्न क्षेत्र में तुरन्त खोज की जानी चाहिए; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (च) . राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आन्ध्र प्रदेश में हीरों के निक्षेपों के उपयोग के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन कर रहा है । इस उद्देश्य के लिये वह विषय पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन कर रहा है और इस अध्ययन का क्षेत्रीय दलों द्वारा सूचना एकत्रित करके अनुपूरण कर रहा है । इन अध्ययनों के पूरा हो जाने के पश्चात् ही निगम तथा सरकार द्वारा उन विशेष क्षेत्रों के सम्बन्ध में राय कायम की जा सकती है, जहां विस्तृत पूवक्षण और समन्वेषी कार्यवाहियां की जानी चाहिए ।

अग्निगुंडाला में तांबे के निक्षेप

2192. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्तूर जिले में अग्निगुंडाला में तांबे के निक्षेप उपलब्ध होने के बारे में कोई व्यापक मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इन खनिजों को निकालने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने आंध्र प्रदेश में गुन्टूर जिले में सर्वेक्षण किया है ।

(ख) धुकोडा, नल्लाकोन्डा और बन्डलामोट्टू खंडों में बड़े पैमाने पर मानचित्रण और समन्वेषी व्यधन किया गया है । अब तक प्राप्त आधार सामग्री धुकोडा और नल्ला-कोन्डा खन्डो में तांबा निक्षेपों और बन्डलामोट्टू खंडों में मुख्यतः सीसे की विद्यमानता की ओर संकेत करती है ।

(ग) तांबा निक्षेपों के विकास और उपयोग के लिये हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड सम्भाव्यता अध्ययन कर रहा है।

मैंगनीज की खानों में श्रमिकों की छंटनी

2193. **डा० अ० ग० सोनार** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर जिले की रामटेक और नागपुर तहसीलों में मैंगनीज खानों को इस व्यापार में बहुत अधिक प्रतियोगिता के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार खानों के मजदूरों की छंटनी करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि उक्त खानों के प्रबन्धक निदेशक के नागपुर कार्यालय में कुछ अधिकारी फालतू हैं; और

(घ) क्या सरकार मजदूरों की छंटनी करने से पहले फालतू अधिकारियों की छंटनी करेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां। रामटेक और नागपुर जिलों की मैंगनीज अयस्क खानें निर्यात बाजार में गंभीर प्रतियोगिता के परिणाम-स्वरूप घोर कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

(ख) इसका निर्णय खनन कम्पनियों ने करना है। मैंगनीज अयस्क खनन उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से खनन कम्पनियों को हर संभावना के अनुसार वांछनीय सीमा तक शायद हर संभव मितव्ययता, जिसमें छंटनी शामिल है करनी पड़े।

(ग) और (घ). सम्भवतः माननीय सदस्य मैंगनीज और इन्डिया लिमिटेड की ओर निर्देश कर रहे हैं। इस कम्पनी के निदेशक मंडल ने स्टाफ स्थिति की विवेचनात्मक जांच की है और वह इस विचार का है कि उद्योग में मन्दी के संदर्भ में कुछ स्टाफ, कार्यालय तथा खानों, दोनों में, फालतू हो गया है। इस प्रकार के फालतू स्टाफ की छंटनी का कार्यक्रम कम्पनी के प्रबन्धकों की जिम्मेवारी है और न कि सरकार की। इसके अनुसार कम्पनी ने छंटनी के लिये एक प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम तैयार किया है। प्रबन्धकों ने इस पर मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ विचार विमर्श किया है और प्रादेशिक श्रम आयुक्त, जबलपुर, के तत्वावधान में 13-11-68 को हुई समझौता कार्रवाई में प्रबन्धकों और यूनियन के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अनुसार 60 वर्ष से अधिक की आयु के कर्मचारियों की या उनकी, जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

छोटी कार परियोजना

2194. **डा० अ० ग० सोनार :**

श्री देवराव पाटिल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निकट भविष्य में छोटी कार बनाने की परियोजना पर गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पांडे समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की स्थापना के लिए नागपुर सबसे अच्छा स्थान होगा;

(ग) इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(घ) क्या सरकार नागपुर की भौगोलिक स्थिति को और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना वहां स्थापित करने पर विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) देश में छोटी कार परियोजना की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) 1960 में श्री जी० पाण्डेय की अध्यक्षता में स्थापित छोटे मूल्य की कार समिति ने छोटी कार परियोजना की स्थापना के लिए सम्भावित स्थापना स्थलों का विस्तृत अध्ययन नहीं किया था ।

फिर भी समिति ने यह सुझाव दिया था कि प्रस्तावित परियोजना का स्थापना क्षेत्र उत्तर में आगरा, पूर्व में रायपुर, दक्षिण में हैदराबाद और पश्चिम में नासिक के बीच का क्षेत्र होना चाहिए ।

(ग) परियोजना के इस पहलू पर परियोजना के लागू किए जाने का निर्णय कर लेने के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

(घ) परियोजना के स्थापन्न स्थल का निर्णय परियोजना पर निर्णय किए जाने के पश्चात् किया जायगा । उस समय नागपुर की उपयुक्तता के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

भारत तथा श्रीलंका के संयुक्त उपक्रम

2195. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**

श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा श्रीलंका के संयुक्त उपक्रमों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उन्होंने हाल ही में श्रीलंका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या परिणाम निकला और दोनों देशों के बीच किन-किन क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रमों की संभावना की जांच की गई; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट संयुक्त उपक्रमों के ब्योरे को अन्तिम रूप देने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). श्रीलंका सरकार के निमंत्रण पर अक्तूबर में मैंने तीन दिन के लिए श्रीलंका का दौरा किया था। मैंने इस अवसर का लाभ उठाकर श्रीलंका सरकार के उद्योग तथा मत्स्यपालन के मंत्री फिलिप गुणवर्धन तथा सरकार में उनके सहयोगियों से कुछ प्रस्तावित संयुक्त औद्योगिक प्रयासों पर तथा दोनों देशों में औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए सामान्य वार्ता की। उसका विवरण नीचे दिया गया है :—

(1) **श्रीलंका में व्यावसायिक गाड़ियों तथा बस चेसिसों के निर्माण की परियोजना।**

परियोजना की सफलता के लिए भारत की ओर से सभी सहायता तथा सहयोग का आश्वासन किया गया था।

(2) **मशीनी औजारों के निर्माण तथा संजोने की परियोजना की स्थापना।**

श्रीलंका में साधारण प्रकार के मशीनी औजारों जैसे स्लाइडिंग सरफेसिंग तथा पेच काटने की खरादें, पांवों से चलने वाली दो सिरों की घिसाई की मशीनें, सुराख करने की बैंच मशीनें तथा शेटिंग आदि के निर्माण तथा एसेम्बिल करने संबंधि परियोजना का हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा सम्भाव्यता प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किया गया है।

(3) **निर्माण मशीनों के उत्पादन का संयंत्र।**

मैंने सुझाव दिया कि श्रीलंका के विशेषज्ञ भारत आकर स्वयं देखें कि हम इस समय किस प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं। वे इसके क्षेत्र और मांग को ध्यान में रखकर इसके पश्चात् हमारे विशेषज्ञों की सहायता से परियोजना बना लें। तब हम इस स्थिति में होंगे कि हम उनकी आवश्यकताओं को समझकर उनकी पूर्ती के लिए ठोस कदम उठाएं।

(4) **भारत तथा श्रीलंका की संयुक्त मांग को पूरा करने के लिए संयुक्त कारखाने।**

मैंने उन्हें बताया कि यदि ऐसे कोई खास प्रस्ताव हों जिनसे दोनों देशों में से किसी एक देश में उपलब्ध औद्योगिक कच्चे माल के प्रयोग के लिए उसी देश में उपकरणों और तकनीक संबंधी पारस्परिक सहायता द्वारा औद्योगिक उत्पादों का निर्माण हो सके जिससे कि दोनों देशों की मांग पूरी हो सके या किसी अन्य तीसरे देश को उनका निर्यात किया जा सके, ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने में भारत को प्रसन्नता होगी।

इसी संदर्भ में कोयले के भस्मीकरण, ट्यूबों, टायरों तथा अन्य रबड़ के उत्पादों, नारियल

के उत्पादों आदि के लिए तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने की हमारी संभावनाओं पर सामान्य रूप से चर्चा हुई थी ।

बेरियम कैमिकल्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश

2196. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री के० रमानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6170-ड० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिली के नाइट्रेट का कोटा रामावरम, आंध्र प्रदेश की बेरियम कैमिकल्स फैक्टरी को दिया जाता है;

(ख) क्या फैक्टरी के प्रबन्धकों ने चिली के नाइट्रेट का उत्पादन किया है;

(ग) यदि हां, तो उत्पादन कितना है और अब तक के उत्पादन की मात्रा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि फैक्टरी के प्रबन्धकों ने चिली के नाइट्रेट के कोटे का दुरुपयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रूदरामपुर कालोनी में रेलवे स्टेशन

2197. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री क० रमानी :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडम कोयला खान में रूदरामपुर कालोनी में एक रेलवे स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन के कब तक खोले जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रस्ताव पर विचार किया गया था और ऐसा पाया गया कि प्रस्तावित स्थान पर स्टेशन खोलने से रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ेगी ।

मद्रास में बंद हुई कपड़ा मिलें

2198. **श्री क० रमानी :**

श्री नम्बियार :

श्री उमानाथ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में बंद कपड़ा मिलों को पुनः चालू करवाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं;

(ख) अब तक कितनी मिलें खोली गई हैं;

(ग) क्या शेष मिलों को पुनः चालू करवाने के लिये अग्रेतर कार्यवाही करने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ). मद्रास राज्य में अक्तूबर, 1968 के अंत तक बंद पड़ी सूती वस्त्र की मिलों की संख्या 25 थी ।

2. इनमें से 18 मिलों के मामलों की जांच करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जांच समितियां नियुक्त की गई हैं । शेष मिलों के मामलों की जांच मद्रास राज्य तथा वस्त्र आयुक्त के परामर्श से की जा रही है । इसके अतिरिक्त, समस्त सूती वस्त्र उद्योग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये किये गये अनेक उपायों के अलावा मद्रास एवं अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों की मिलों को सहायता देने के लिये निम्नलिखित सहायता संबंधी उपाय किये गये हैं;

(1) सहकारी समितियों द्वारा हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर 5% की सामान्य छट के अतिरिक्त 5% की एक विशेष छूट मंजूर की गई है ।

(2) शीर्ष सहकारी समितियों को सूत खरीदने एवं भंडार रखने में समर्थ बनाने के आशय से पुनः ऋण देने के लिये मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश सरकारों को क्रमशः 50 लाख रुपये तथा 15 लाख रुपये के ऋण दिये गये हैं ।

(3) दक्षिण भारतीय मिल मालिकों के संघ तथा तमिलनाड मिल मालिकों के संघ को स्टेट बैंक आफ इंडिया से 5 करोड़ रुपये तक ऋण प्राप्त करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि उनके लिये स्टाक धारण करने की योजना को चलाने के लिये आवश्यक गुंजायशी धन की 20% तक प्रत्याभूति दी जाये ।

(4) कोन/चीज के धागे के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये भाड़ा-अवकलन के रूप में प्रति 10 पौंड पर 2 रुपये की एक विशेष अतिरिक्त सहायता दी गई है ।

3. अप्रैल-अक्तूबर 1968 की अवधि के दौरान उस अवधि में अथवा उससे पहले बंद हुई 13 मिलें पुनः चालू हो गई हैं ।

मद्रास के कपड़ा मिलों के श्रमिकों की मजदूरी में कमी

2199. **श्री नम्बियार :** **श्री उमानाथ :**

श्री क० रमानी : **श्री रा० की० अमीन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में कपड़े की मिलों के मालिक श्रमिकों पर दबाव डालकर मजदूरी में कटौती तथा अधिक काम स्वीकार कराने के लिये अपनी मिलें जानबूझ कर बंद कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उसकी आपत्तियां क्या हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

राज्यों में औद्योगिक उत्पादन

2200. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में 1948-49 से 1967-68 तक वर्षवार कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये; और

(ख) वर्ष 1948-49 से 1967-68 तक प्रत्येक राज्य में वर्षवार उद्योगों में कितनी पूंजी लगायी गयी, उद्योगों में लगायी गयी कुल पूंजी में कार्यकारी पूंजी का अंश कितना था और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2324/68]**

भारत दर्शन यात्रा

2201. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दर्शन यात्रा के प्रबन्ध का दायित्व भारत कल्याण समिति पर है;

(ख) क्या उक्त समिति द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका के अनुसार भारत दर्शन यात्रा की व्यवस्था भारत कल्याण समिति और पश्चिमी बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है;

(ग) यदि हां, तो भारत कल्याण समिति के अध्यक्ष और सचिव कौन-कौन हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त समिति ने राजस्थान, सौराष्ट्र क्षेत्र के लिये भारत दर्शन विशेष गाड़ी चलाने के लिये जनता से लगभग एक लाख रुपया एकत्र किया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या 23 अक्तूबर, 1968 को आरम्भ होने वाली यात्रा नहीं हुई ;

(च) क्या बारम्बार अनुरोध करने पर भी जनता से एकत्र की गई राशि लौटायी नहीं गयी है; और

(छ) क्या सरकार पूरे मामले की जांच का आदेश देगी और उस जांच की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, रेलों को इस संस्था से भारत-दर्शन भ्रमण के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए पत्र मिलते रहे हैं।

(ख) रेलों के पास कोई सूचना नहीं हैं।

(ग) विशेष रेल गाड़ियां चलाने के लिए भारत कल्याण समिति रेलों के साथ पत्र-व्यवहार में जिस 'लेटर हेड' का उपयोग करती है उसके अनुसार श्री अतुल्य घोष और श्री गुणदा मजूमदार इस संस्था के क्रमशः अध्यक्ष और महामंत्री हैं।

(घ) रेलों के पास कोई सूचना नहीं है।

(ङ) जी नहीं, यह यात्रा नहीं हुई।

(च) रेलों के पास कोई सूचना नहीं है।

(छ) इस मामले की जांचे करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग में लाना

2202. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों ने प्रत्येक संयंत्र द्वारा आवश्यक

कलपुर्जों को आयात करने से पूर्व, पूरी तरह छानबीन करने के लिये वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त नहीं किये ताकि देश में बने माल को प्रोत्साहन दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस मामले में गैर-सरकारी उपक्रमों में क्या प्रक्रिया प्रचलित है;

(घ) क्या सरकार सरकारी/गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा अपेक्षित पुर्जों आदि के आयात को हतोत्साहित करने के लिये नियमों को कड़ा बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

(ग) से (ङ). सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आयात आवेदनों पर ध्यान-पूर्वक विचार किया जाता है और उनकी देशीय उत्पादन के पहलू से इन आवेदनों की जांच तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा की जाती है और केवल उन वस्तुओं के आयात की सिफारिश की जाती है जो कि देश में उपलब्ध न हों । आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के कार्या-न्वयन के लिये काम में लाये गये उपाय निम्नलिखित हैं :

1. आयातित कच्चे माल, पुर्जों तथा फालतू हिस्सों के स्थान पर देश में निर्मित उसी कोटि अथवा उससे मिलती जुलती कोटि के कच्चे माल, पुर्जों तथा फालतू हिस्सों का यथासम्भव प्रयोग किया जाना तथा उनके त्वरित विकास को प्राथमिकता देना ।
2. उत्पादन की प्रत्येक इकाई में आयातित कच्चे माल तथा पुर्जों की खपत में कमी करना ।
3. मध्यगों की अपेक्षा सीधे कच्चे माल से रसायन तथा रसायन उत्पादों का उत्पादन करने के काम में प्रगत्यात्मक परिवर्तन ।
4. प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम में शीघ्रता लाकर देशीय उत्पादों को न्यूनतम समय में अधिक करना ।
5. पूंजीगत वस्तुओं के आयात के आवेदनों की ओर कड़ाई से जांच ताकि देश में निर्मित मशीनों या निकट भविष्य में निर्मित होने वाली देशी मशीनों के आयात की अनुमति न दी जाय ।
6. केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के सम्बद्ध प्राधिकारियों को अनुदेश दिये गए हैं कि वह परियोजना की प्रायोजनावस्था से ही तकनीकी विकास के महानिदेशालय से परामर्श करते रहें ताकि देश में निर्मित होने वाली मशीनें अथवा जिनका निर्माण देश में विकसित किया जा सकता है उनके आयात न करने का सुनिश्चय किया जा सके ।

सुगन्ध सामग्री

2203. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 2 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6171 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने ऐसी प्रक्रिया का आविष्कार किया है जिससे कमल के बीज से, जोकि उत्तर प्रदेश और बिहार के बनों में बेकार वस्तु के रूप में बहुतायत से मिलता है, ऐसा तेल जिससे सुगन्धित सामग्री और अन्य बढ़िया रसायन काफी बड़ी प्रतिशत में प्राप्त हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्योरा क्या है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश और बिहार के किन-किन जिलों में यह बीज मिलता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हैदराबाद की क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला में कमल के बीजों से निकाले गये तेल पर की गई खोज से पता चला है कि इसका प्रयोग ऊंचे मूल्य की सुगन्धित सामग्री तथा अच्छी किस्म के रसायन जिनकी निर्यात सम्भावना काफी है के लिए किया जा सकता है ।

(ख) और (ग). बिहार सरकार कमल के फलों से कमल चूर्ण (रोहर्री) तैयार करती है और मांग होने पर उसे सम्भरित करती है । उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर-सरकारी उद्यमियों को बीजों के बारे में जानकारी दी है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 1969-70 में *इसकी मार्ग-दर्शी योजना को चलाने का प्रस्ताव रखा है । आर्थिक स्वयंजी विष्णु प्रोसेसिंग एककों की स्थापना की संभावना की दृष्टि से योजना को 3 वर्षों तक चलाने का प्रस्ताव है । इस काम में विभिन्न अनुसन्धानशालाओं जिनमें हैदराबाद की क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला भी सम्मिलित है, के पास उपलब्ध अनुभव तथा ज्ञान का लाभ उठाया जायगा ।

(घ) कमल के बीज बिहार के जंगलों में अधिक मात्रा में पाये जाते हैं । उत्तर प्रदेश में यह गोरखपुर, गोंडा, बहरायच, खेड़ी, पीलीभीत, नैनीताल, बिजनौर तथा देहरादून के जिलों में पेड़ों के निम्तरोही के रूप में मिलते हैं और कहीं अधिक और कहीं कम पाये जाते हैं ।

सुगन्धि तथा प्रसाधन सामग्री उद्योग

2204. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सुगन्धि तथा प्रसाधन सामग्री उद्योग के लिये श्रीलंका से काफी मात्रा में सिट्रोनेला तेल मंगाता है;

*आल इण्डिया नान एडीबल आयल इन्डस्ट्री एसोसिएशन, पूना के माध्यम से ।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965, 1966 तथा 1967 में सिट्रोनेला तेल का कितना आयात किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि जोरहाथ स्थित प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने आसाम में सिट्रोनेला घासों की प्रयोगात्मक खेती की थी जिसमें उसे सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). श्रीलंका से सिट्रोनेला तेल का वर्ष 1964-65, 1965-66, 1966-67 और 1967-68 का आयात निम्नलिखित था :

वर्ष	(मात्रा मी० टनों में)	(मूल्य रुपयों में ०००)
1964-65	24	457
1965-66	10	126
1966-67	7	58
1967-68	17	170

(ग) और (घ). रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, जोरहाट ने आसाम में सिट्रोनेला घास की खेती परीक्षण का काम लिया है। लैबोरेटरी ने खोज के परिणामों का सिट्रोनेला तेल के आयातकर्ताओं और प्रयोगकर्ताओं में विस्तृत रूप से प्रकाशन किया है। आसाम के दो चाय उगाने वालों ने इस घास के उगाने में विशेष रुचि ली है और अपनी कुछ एकड़ बंजर भूमि पर खोज की दृष्टि से घास उगाई है। अपने परिणामों से प्रोत्साहित होकर वे इसे अधिक मात्रा में उगाना चाहते हैं, और वे हिन्दुस्तान लीवर जैसे इसके प्रयोगकर्ताओं से वार्तालाप भी कर रहे हैं। मेसर्स केलकर एंड कम्पनी, बम्बई जैसे औद्योगिक निकायों ने भी सिट्रोनेला घास के उगाने का काम प्रारम्भ कर दिया है।

क्षेत्रीय रेलों में कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी

2205. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **रेलवे** मंत्री 6 अगस्त, 1968 के क्षेत्रीय रेलों में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ वेतनमानों वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 2983 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्योरा 12 नवम्बर, 1968 को सभा-पटल पर रखा गया था।

उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति

2206. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और क्या परिणाम प्राप्त होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार विद्यमान एककों की हर सम्भव सहायता कर तथा नए एककों की स्थापना तथा विकास को प्रोत्साहित कर दोनों ही तरीकों से औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार के अभ्युपायों में राज्य सरकार की यह नीति घोषण भी है कि वह निम्नलिखित सुविधाओं के अतिरिक्त नए औद्योगिक एककों को प्रारम्भिक तीन वर्षों में बिक्री-कर से मुक्त करने पर विचार करेगी :

भूमि : औद्योगिक क्षेत्र योजना के अन्तर्गत भूमि को बिना लाभ तथा हानि के आधार पर लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाना;

मूल्याधिमान : उत्तर प्रदेश माल क्रय नियमों के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादकों को 5 प्रतिशत का मूल्याधिमान दिया जाता है।

बिजली : नए एककों को बिजली प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि तक बिजली के बिलों पर 15 प्रतिशत का अवहार (रिबेट) दिया जाता है। विद्युत-रसायन तथा विद्युत-धातु कार्मिकी उद्योगों को 5 पैसे प्रति किलोवाट की रियायत दी जाती है।

वित्तीय सहायता : उत्तर प्रदेश वित्त निगम, कानपुर द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिये 20 लाख रुपये तक ऋण दिये जाते हैं। लघु उद्योगों की सहायता के लिये उन्होंने बहुत सी शर्तों और उपबन्धों को उदार बना दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, कानपुर नई कम्पनियों के न बिके हुए हिस्सों के खरीदने का काम भी करता है।

सहायक उद्योगों और विशेषकर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी परियोजना के लिये आवश्यक कल-पुर्जों के सम्भरण करने वाले उद्योगों की स्थापना तथा विकास को प्रोत्साहित करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। वाराणसी, कानपुर तथा गाजियाबाद में नमूना प्रदर्शन कक्ष खोले जाने का प्रस्ताव भी है जहां पर कि राज्य के बड़े-बड़े एककों द्वारा आवश्यक उत्पादों के नमूने, रूप रेखा, सेम्पिल इत्यादि प्रदर्शित किए जायेंगे। एककों को आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्भरण करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता भी दी जायगी।

इन पगों के उठाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलने की आशा है ।

Canteens at Stations on Eastern Railway

2207. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the management of canteen at Danapur, Jhajha and Madhupur stations on the Eastern Railway is in the hands of contractors even now in spite of the rules prescribed for running these canteens departmentally by the Railways ;

(b) whether it is also a fact that electricity connection of these canteens was discontinued years back and the persons who take meals in these canteens have to experience great inconvenience as a result thereof ;

(c) if so, the reasons thereof ; and

(d) the action proposed to be taken by Government for making suitable arrangements for running the said canteens ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The contracts for the Non-vegetarian refreshment rooms at Danapur, Jhajha and Madhupur stations were terminated by the Eastern Railway on account of unsatisfactory service and breach of the terms of the agreement. The contractors, instead of vacating the railway premises, took the matter to the court and the cases are sub judice. No decision, however, had been taken to run the refreshment rooms at these stations departmentally.

(b) Yes, except at Madhupur.

(c) The supply of electricity to the refreshment rooms at Danapur and Jhajha was discontinued due to non-payment of electric dues by the contractors.

(d) At Madhupur, a new contractor had already been functioning, in separate premises allotted for the purpose. Appropriate action in regard to Jhajha and Danapur can however be taken only after the courts have delivered the judgement.

निजी कम्पनियों द्वारा चलायी जाने वाली लाइट रेलवे

2208. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा संचालित लाइट रेलवे में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) कुछ रेलवे कम्पनियों द्वारा इन रेलों को स्थायी अथवा थोड़े समय के लिये बन्द करने के फलस्वरूप कितने कर्मचारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय ने सरकार से इन रेलों को अपने हाथ में लेने का सुझाव दिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) : 4631

(ख) कोई भी 'लाइट रेलवे' बन्द नहीं हुई है। तथापि, मार्टिन बर्न ग्रुप में लाइट रेलवे में हाल में तालाबन्दी हुई थी जिसे सरकार के आदेशों के अनुसार उठा लिया गया (समाप्त) है। कर्मचारी बेरोजगार नहीं हो रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

Land Across Fatwa-Islampur Light Railway Line

2209. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that since the introduction of train service on Fatwa-Islampur Light Railway lines, 15 acres; of land has been lying unused near the said railway line;

(b) if so, whether Railway Administration propose to register the said land for agricultural proposes with a view to make the slogan of grow-more-food campaign a success;

(c) if so, whether a farmer of that area had sent an application to the Railway Board in this regard a year back; and

(d) if so, the reasons for not registering the said land in his name?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) This Railway has only narrow strips of land on either side of track, most of which are covered by Borrow pits. No compact plot of 15 acres of unused land is available.

(b) With a view to encourage "Grow More Food Campaign", railway license small plots of available land to its employees only.

(c) No record of any such application could be traced.

(d) Does not arise.

कोयला खानों के लिये क्षेप्यभरण के लिये रेत

2210 **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों को क्षेप्यभरण के लिये रेत की अपनी आवश्यकता पूरी करने में बड़ी कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या रेत के भण्डारों तथा उपलब्धता तथा क्षेप्यभरण के लिये किसी स्थानापन्न वस्तु का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेत की उपलब्धता और क्षेप्यभरण के लिये इसकी आवश्यकता का पता लगाने के हेतु सरकार ने दो समितियां नियुक्त की हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये समितियां कब अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सरकार के पास इस समय भराई के उद्देश्यों के लिये रेत की किसी गंभीर कमी की सूचना नहीं है।

(ख) रेत की उपलभ्य राशियों और इसकी प्राप्यता के संबंध में सर्वेक्षण किये गये हैं। अनुकल्प भरण सामग्री की गवेषणा के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) उत्पादकता और आधुनिकीकरण विषयक समिति ऐसी कार्यरीतियों को प्रवर्तित करने की सम्भावनाओं का अन्वेषण करती रही है जो रेत पर निर्भरता को कम करे। नदियो पर बनाये गये बांधों का कोयला क्षेत्रों के निकट की रेत की उपलभ्य राशियों पर प्रभावों का निर्धारण करने को प्रश्न एक दूसरी समिति को सौंपा जा रहा है।

(घ) पहली समिति को सौंपी गई समस्याओं का अध्ययन एक धारावाहिक प्रकृति का कार्य है और उसके कुछ पहलुओं पर अन्तरिम रिपोर्ट समय-समय पर मिलती रहेगी। दूसरी समिति की रिपोर्ट में कुछ समय लगेगा।

चौथी योजना के अन्त तक कोयले और इस्पात की आवश्यकता का निर्धारण

2211. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश की कोयले और इस्पात की मांग का अनुमान लगाने का काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह काम पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को चौथी और पांचवीं योजना अवधियों में देश की लोहे और इस्पात की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दिये गये आंकड़ों पर विचार किया जा रहा है। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है परिषद् को इसका मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा गया है।

विदेशों में भारतीय मिशनों में खनिज सहचारी

2212. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में स्थिति भारतीय मिशनों में व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सहचारियों की भांति खनिज सहचारियों को भी नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों में से खनिज सहचारी नियुक्त किये जायेंगे;

(ग) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय केवल अमरीका, रूस, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, जापान और इग्लैंड में ।

(ग) 2.50 लाख रुपये का वार्षिक व्यय होने का अनुमान है ।

(घ) उन अध्ययनों के आधार पर जो कि इन खनिज सहकारियों को विदेशों में करने होंगे, वह खनिज और धातुओं की पूर्ति और मांग, उनके मूल्यों के उतार-चढ़ाव, उनके प्रभावों और स्टाकों के जमा करने की समस्याओं और शुल्क-पद्धति आदि के संबंध में विश्व की प्रवृत्तियों के अनुवर्त्तन में सहायता करेंगे । इस सबसे देश का तकनीकी प्रगति और खनिज अर्थशास्त्र और गवेषणा से संबंधित विषयों के साथ सम्पर्क बना रहेगा । इसके अतिरिक्त, भारत अनुकूल बाजारों में खनिजों के निर्यात के लिये सुअवसरों से लाभ उठा सकता है और अपनी आवश्यकताओं को अनुकूल स्रोतों से कम मूल्यों पर आयात कर सकता है और इसके साथ ही कुछ विकासशील तथा अविकसित देशों में खनिज—विकास विषयक सह-उद्यमों के प्रस्तावों पर, जो भारत के अपने विकास के लिये लाभप्रद हों, भी विचार कर सकता है ।

बीड़ी फैक्टरियों का बन्द होना

2213. **श्री अ० कु० गोपालन :**

श्री सी० के० चक्रपाणि :

श्री प० गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मंगलौर-गनेश भारत ग्रेट दरबार बीड़ी फैक्टरियों के एकक बन्द कर दिये गये हैं;

(ख) क्या इनके बन्द होने के कारणों की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें पुनः चालू कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). केरल राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है । प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिये भूमार्ग

2214. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8275 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिये पाकिस्तान में से भूमार्ग के खोले जाने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) आजकल अफगानिस्तान को भारतीय वस्तुओं के माल के निर्यात के लिये किस मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान को निर्यात के लिये विमानों का प्रयोग करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारत-अफगान व्यापार के लिये पाकिस्तान होकर भूमार्ग को खोलने के लिये पाकिस्तान सरकार को सहमत करने हेतु किये गये सरकार के प्रयत्नों में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है ।

(ख) भारत से अफगानिस्तान को जाने वाला सभी माल इस समय बम्बई-कराची मार्ग से जा रहा है ।

(ग) अफगानिस्तान को रियायती दरों पर वायुयान द्वारा भारतीय माल भेजने के एक सुझाव पर विचार हो रहा है ।

ए०सी०सी० वाइकर्स-वेवकाक फैक्टरी

2215. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ए०सी०सी० वाइकर्स वेवकाक दुर्गापुर कारखाने ने उत्पादन कब आरम्भ किया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): केन्द्र उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियमन, 1951 के अन्तर्गत मेसर्स ए०सी०सी० वाइकर्स वेवकाक दुर्गापुर को निम्नलिखित वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया गया उनकी सूचना के अनुसार नीचे निर्देशित तिथियों को इनका उत्पादन प्रारम्भ हो गया था ।

वस्तु का नाम	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि
1. बायलर और प्रेशर पात्र	मई 1962
2. सीमेंन्ट मिल मशीन	मई 1962
3. सामान्य मशीनें जैसे खनन मशीन, बाल मिल क्रेशर आदि	जनवरी 1968

Abolition of Export duty on Tea

2216. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have received a demand for the abolition of export duty on tea ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir.

(b) Government have announced measures of relief to the tea industry with effect from 1st October, 1968 which include reduction in the export duty on tea. A close watch is being kept on the effect of the reduction in export duty on tea recently given.

Production of Newsprint

2217. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the annual newsprint requirements of the country, the quantity of newsprint out of that which is produced in the country and of that which is imported ;

(b) the amount of foreign exchange being spent each year on the import of newsprint ; and

(c) the programme chalked out and the targets fixed to make the country self-sufficient in the production of newsprint ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). The annual restricted demand for newsprint industry at present is estimated at 1.7 to 2 lakhs tonnes per annum. The present production of newsprint in the country is about 30,000 tonnes per annum and about 1.2 lakhs to 1.3 lakhs tonnes at the cost of Rs. 13 to 15 crores are imported every year. The balance requirements are met by release of white printing paper for this purpose.

(c) It is estimated that the demand for newsprint at the end of fourth plan will go up to 2.6 to 3 lakh tonnes per annum. To increase the indigenous production, the capacity of the existing newsprint Mill in the country is being increased from 30,000 to 75,000 tonnes per annum. Besides, one newsprint mill in public sector and one in private sector, with capacities of 75,000 and 60,000 tonnes per annum respectively, are proposed for establishment during the Fourth Plan period.

Accident near Jhansi

2218. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details regarding the damage caused as a result of train collision with the signal near Jhansi station in October, 1968, and the causes of the accident;

(b) the number of officers and employees arrested by the police in connection with the said accident and the charges framed against them; and

(c) whether the Commissioner of Railway Safety was also travelling by this train and the gist of the report submitted by him regarding the accident ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (c). Presumably the reference is to the accident involving 5 Down Punjab Mail at Jakhaura station on 6-10-1968. In this accident there was no damage to railway property. The Deputy Commissioner of Railway Safety was travelling by this train. According to the provisional finding of the

Commission of Railway Safety the casualties resulted from a signal post ladder fouling the actual moving dimensions. The signal-post ladder had been hit and distorted by a protuding steel billet loaded in a wagon of a Down Goods train which immediately preceded the 5 Down Punjab Mail.

(b) No arrest has so far been made by the police.

Overcrowding in Trains Running on Gwalior-Bhind Line

2219. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of passengers on the Gwalior-Bhind Narrow Gauge line (Central Railway) is so large that it is impossible for them to find any room in the compartments and hundreds of them travel daily on the roof of the compartments ;

(b) the total number of seats in the train running on the Gwalior-Bhind line and the daily average of the passengers during the last six months ;

(c) Whether suggestions to increase the number of the passenger bogies in the said train or to run another train or to run a separate goods and a passenger train in place of the present mixed one have been made ; and

(d) if so, which suggestion Government propose to consider and implement ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) It is true that Third Class compartments on trains on Gwalior-Bhind section run crowded, but not that hundreds of passengers travel daily on roofs of the compartments.

(b) The total number of seats on trains on this section is 1,204. The daily average number of passengers during the six months April to September, 1968, was 2,756. It may be added that this is no measure of overcrowding on these trains because the same seat may be occupied by a number of passengers one after another.

(c) Yes.

(d) The question of augmenting the train services to relieve overcrowding on the section as feasible and justified is under examination.

Manufacture of Railway Engines, Coaches and Wagons

2220. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway engines, passenger coaches and wagons manufactured in the country separately for use on narrow gauge lines and the respective number of those which were imported during the last year ; and

(b) the targets for manufacture of such engines, passenger coaches and wagons fixed for the next year ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

		Narrow Gauge Stock		
(a)		**Manufactured in Railway W/Shops in 1967-68**	**Manufactured in Private Sector in 1967-68**	**Imported during the year 1967-68**
(i)	Railway engines i. e. Locos	Nil	Nil	Nil
(ii)	Passenger coaches	11	Nil	Nil
(iii)	Wagons	Nil	Nil	Nil

		Targets fixed for next year i. e. 1968-69		
(b)		**Railway Workshops**	**Private Sector**	**Proposed to import**
(i)	Railway engines i. e. Locos	Nil	Nil	Nil
(ii)	Passenger coaches	10	Nil	Nil
(iii)	Wagons	15 'NOL' type 15 'NCL' type	Nil	Nil

Ban on Export of Bovine Fat and Hides

2221. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4406 on the 19th March, 1968 and state : .

(a) whether Government propose to ban the export of hides and skins of bovine animals and their products like beef, keeping in view the acute shortage of bullocks, their high prices, acute shortage of milk and its very high prices, shortage of foodgrains and import of large quantities of milk powder etc. ; and

(b) if not, the reasons therefor, besides earnings in foreign exchange ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Export of raw hides and skins of bovine animals and beef is banned ;

(b) Does not arise.

सूडान को चाय का निर्यात

2222. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 के दूसरे सप्ताह में सूडान से 5 सदस्यों वाला एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था तथा उसने विभिन्न चाय निर्यातकर्ताओं से बातचीत की थी;

(ख) क्या उस देश को अधिक चाय का निर्यात करने के लिये कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) यात्रा अध्ययन यात्रा के तौर पर थी । किसी 'समझौते' का प्रस्ताव अथवा उस पर चर्चा नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च दाम वाले सिलिण्डरों का आयात

2223. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में अब तक रेलवे, प्रतिरक्षा, सिविल विभागों, राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा आयात किये गये उच्च दाब वाले सिलिण्डरों का रुपयों में मूल्य तथा संख्या के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). आयातित गैस सिलिन्डरों की विभिन्न कोटियों के आंकड़े पृथक-पृथक नहीं रखे जाते हैं। उक्त अवधि में एल०पी०गैस सिलेंडरों का आयात प्रतिबन्धित कर दिया गया है लेकिन पहले जारी किये गये लाइसेंसों के आधार पर कुछ एल०पी० सिलेंडरों का आयात किया जा सकता है। गैस सिलेंडरों का आयातित मूल्य और मी०टनों में उसकी मात्रा जो प्राप्त है नीचे दी जा रही है :

मात्रा मी० टनों में

मूल्य रुपयों में 000 (अवमूल्यन के उपरांत दर)

विवरण	1965-66		1966-67		1967-68		1968-69 (जुलाई 1968तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य		
कम्प्रैस्ड गैस सिलेंडर								
(क) लोहा या स्पात के	3192	14551	3822	16636	2552	12243	1007	3992
(ख) एल्युमीनियम या एल्यूमीनियम मिश्र धातु के	90	361	54	343	136		3	19

फिल्मों का निर्यात

2224. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6170-घ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों के निर्यात के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो फिल्मों के निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि में इन फिल्मों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है और ये फिल्में किन-किन देशों में दिखाई गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2325/68]

रूस तथा अरब देशों में भारतीय फिल्मों का दिखाया जाना

2225. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6170छ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अरब देशों में भारतीय फिल्मों को दिखाने के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां, 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6170 (छ) के भाग (क) तथा (ग) के उत्तर से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना सम्भव हो गया है । उसी के भाग (ख) से सम्बन्धित सूचना अभी तक एकत्र नहीं हो सकी है क्योंकि दिखाए गये चलचित्रों की संख्या नौ सौ से अधिक है ।

(ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है जिसमें ब्योरे दिये गये हैं ।

विवरण

(क) वर्ष 1962 से 1967 तक तथा वर्ष 1968 के पहले छः महीने में निर्मित कितने चलचित्रों को रूस तथा अरब देशों में दिखाया गया;	900 से अधिक भारतीय चलचित्रों के 2344 प्रिंट दिखाए गये ।
(ख) उन निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं, जिन्होंने उपरोक्त अवधि में ये उपरोक्त देशों में चलचित्र भेजे हैं; और	खेद है कि चलचित्रों की इतनी बड़ी संख्या के निर्माताओं के नाम तथा पते एकत्र करना सम्भव नहीं हो सका है ।
(ग) उन चलचित्रों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उपरोक्त अवधि में उपरोक्त देशों में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई ?	"संगम" तथा "प्यार मोहब्बत" चलचित्रों ने क्रमशः सोवियत संघ तथा अरब देशों में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई ।

कपड़े का स्टाक इकट्ठा होना

2226. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों में कपड़े का बहुत-सा स्टाक इकट्ठा हो गया है और इसमें और वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) वर्ष 1965, 1966, 1967 तथा 1968 में अब तक कितना औसत स्टाक इकट्ठा हो गया है; और

(घ) भविष्य में इन स्टाकों को शीघ्र तथा सरलता से उठवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रलय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । परन्तु अक्तूबर, 1968 के अन्त में मिलों के पास सूती कपड़े के कुल स्टाक के रूप में 265.9 हजार गांठें थीं जिनमें से 120.1 हजार गांठें बिना बिकी थीं और 145.8 हजार गांठें बिकी हुई थीं जिन्हें उठाया नहीं गया था ।

(ग) जानकारी देने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

मिलों के पास महीने के अन्त में सूती कपड़े का औसत स्टाक

(हजार गांठों में)

वर्ष	बिना बिका	बेचा हुआ (बिना उठाया)	कुल
1965	185.9	180.0	366.6
1966	133.9	148.2	282.1
1967	120.2	134.6	254.8
1968 (जन-अक्तू)	122.4	140.4	262.8

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात कारखानों के लिए कोयले की कमी

2227. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि इस्पात कारखाने कोयले की भारी कमी महसूस कर रहे हैं;

(ख) क्या कोयला उद्योग ने सरकार को अभ्यावेदन किया है कि यह कमी मुख्य रूप से रेलवे के असहयोग के कारण उत्पन्न हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है, कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिमास 6,600 माल डिब्बे सप्लाई करने की बजाय रेलवे जून, जुलाई, और सितम्बर, में क्रमशः केवल 1,177, 923 और 143 माल डिब्बे ही सप्लाई कर सकी है; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई बहाल करने के लिये सरकार ने कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अक्तूबर, 1968, के पिछले भाग में कोयले की दैनिक सप्लाई की मात्रा उपभोग की मात्रा से कम पड़ गई जिसके परिणामस्वरूप इस्पात संयंत्रों के कोयले के स्टाकों में ह्रसन हुआ तथापि सप्लाई की स्थिति अब सुधर गई है और इस्पात संयंत्र अब धीरे-धीरे स्टाक जमा कर रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस्पात संयंत्रों के लिये रेल डिब्बों की सप्लाई की दैनिक औसत तालिका 1600 है, जिसकी तुलना में जून में 1314 डिब्बे, जुलाई में 1328 डिब्बे और सितम्बर, 1968 में 1342 डिब्बे वास्तविक रूप से मुहैया किये गये ।

(घ) रेलवे विभाग के संयुक्त निदेशक, परिवहन (कोयला), कलकत्ता, तथा कोयला नियन्त्रक, कोयले का अधिकतम संचलन सुनिश्चित करने के लिये इस्पात संयंत्रों तथा लदाई करने वाले रेलवे विभागों के साथ निकट सम्पर्क रख रहे हैं ।

Training of W. D. M.

2228. **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Dr. Surya Prakash Puri :

Shri Ram Autar Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that illiterate persons are still being sent for the training of Broad Gauge Main Line Diesel Locomotive (W. D. M.—1 and W. D. M.—2 without interviewing them and for the training of W. D. M.—4, persons who have passed High School Examination are being sent ; and

(b) If so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) Does not arise.

स्टेशनों पर विश्रामालयों का किराया

2229. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर विश्रामालयों का किराया किस आधार पर निश्चित किया जाता है; और

(ख) यदि उसका कोई आधार नहीं है, तो किरायों में भारी विषमता को दूर करने की दृष्टि से सरकार का विचार क्या तरीका अपनाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :(क) रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों के प्रभार स्थानीय दशाओं और विश्राम गृहों में दी गई सुविधाओं को ध्यान में रखकर यथोचित स्तर पर निश्चित करने होते हैं ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार

2230. **श्री कृ०मा० कौशिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 21 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 771 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या किसी विशेष क्षेत्र में ऐसे उपायों की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) और (ख). ग्रामीण उद्योगों के विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

Confirmation of Assistant Station Masters in Delhi and Bikaner Divisions.

2231. **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the confirmation of the Assistant Station Masters in Delhi and Bikaner Divisions is pending since 1946 and 1956 respectively and whether same is the position in regard to other Divisions also ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose confirm all the concerned Assistant Station Masters ;

(d) if so, when ;

(e) whether the said employees would be confirmed from the date one year after the date of their appointment ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) to (f) . Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

चौथी पंचवर्षीय योजना में एल्यूमीनियम की आवश्यकता

2232. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में अल्यूमिनियम की कितनी अनुमानित आवश्यकता होगी ;

(ख) अल्यूमीनियम के उत्पादन के लिये कितने कारखानों को लाइसेंस दिये गये तथा उनकी क्षमता क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने कारखानों का प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अलौह-धातुओं विषयक आयोजना दल ने, जिसका गठन चौथी पंचवर्षीय योजना (1973-74) के दौरान अलौह-धातुओं के उत्पादन की आयोजनाएँ/योजनाएं प्रतिपादित करने के लिये किया गया था, चौथी योजना के अन्त पर एल्यूमीनियम की मांग का 3,15,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष (निर्यात के लिये 50,000 मैट्रिक टन सहित) का अनुमान लगाया है । मांग का यह अनुमान अन्तरिम है और इसे अन्तिम रूप, योजना आयोग द्वारा बिजली आदि सहित विभिन्न सम्बन्ध क्षेत्रों के योजना परिव्ययों को निर्धारित कर लेने के पश्चात दिया जायेगा ।

(ख) और (ग). इस समय निम्नलिखित एकक अपने वर्तमान प्रद्रावकों की क्षमता के विस्तार के लिये या/नये प्रद्रावकों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्त है या उनके पास अभिप्राय पत्र हैं :

(क) वर्तमान स्थापित क्षमता

(1) इन्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी		
(क) अलवेंई (केरल)	—	15,850 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष
(ख) हीराकुड (उड़ीसा)	—	20,000 ,, ,, ,,
(2) हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन, रिहन्द (उत्तर प्रदेश)	—	60,000 ,, ,, ,,

(3) मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी
मेट्टूर (मद्रास) — 12,500 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष

(4) एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, आसनसोल
(पश्चिम बंगाल) — 8,700 ,, ,, ,,

(ख) नई/विस्तार योजनाएं

1–सरकारी क्षेत्र

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड

(क) कोयना (महाराष्ट्र) — 50,000 ,, ,, ,,
(ख) कोरबा (मध्य प्रदेश) — 1,00,000 ,, ,, ,,

2—गैर-सरकारी क्षेत्र

(क) इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी
(1) बेलगाम (मैसूर)
नया प्रद्रावक — 30,000 ,, ,, ,,
(2) बेलगांम (मैसूर)
विस्तार — 70,000 ,, ,, ,,

(ख) हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन
रिहन्द (उत्तर प्रदेश) 60,000 ,, ,, ,,

(ग) एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया
आसनसोल (पश्चिम बंगाल)
विस्तार 3,800 ,, ,, ,,

(घ) जे० के० इंडस्ट्रीज
उड़ीसा (नई) 30,000 ,, ,, ,,

उपरोक्त योजनाओं को चौथी योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिये लिया जायेगा, परन्तु इनमें से कुछ को पांचवी योजना में भी ले जाना पड़ सकता है ।

कम्पनी कानून में संशोधन

2233. **श्री सीता राम केसरी :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कानून में संशोधन करने के कोई नवीन प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). श्रीमान जी, 10 मई 1968 को सदन में पुर:स्थापित किये गये कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1968 में प्रस्तावित संशोधनों के अतिरिक्त, इस समय अन्य कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है।

खानों से लौह अयस्क निकालना

2234. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुदुरेमुख में स्थित खनिज भण्डारों से लौह अयस्क निकालने के लिए जापान, अमरीका तथा भारत के बीच कोई क़रार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अमरीका की मैसर्स मारकोना कारपोरेशन और तीन जापानी वाणिज्यिक कम्पनियों (मित्सुई एन्ड कम्पनी लिमिटेड, ओंकुरा ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, और निश्शो-हवाई कम्पनी लिमिटेड, जिन्हें सामूहिक रूप से एम० ओ० एन० कहा जाता है) के सहयोग से कुद्रेमुख लौह-अयस्क निक्षेपों के तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता तथा प्रायोगिक सन्यन्त्र विषयक अध्ययनों का कार्य हाथ में लेने की स्वीकृति दे दी है। कुद्रेमुख लौह-अयस्क निक्षेपों के वाणिज्यिक उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय उपरोक्त अध्ययनों के पूरा हो जाने तथा सरकार को उनके परिणामों के बारे में मालूम हो जाने के पश्चात् लिया जायेगा।

उन अनुबन्धों तथा शर्तों को दिखाने वाला विवरण, जिनके अन्तर्गत यह अध्ययन किये जायेंगे, सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2326/68**]

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का महाप्रबन्धक

2235. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के वर्तमान महाप्रबन्धक के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच विभाग को किस सम्बन्ध में टिप्पणी करने के लिए कहा गया था ; और

(ग) सरकार ने उन्हें इस कारखाने का महाप्रबन्धक नियुक्त करते समय किन बातों को ध्यान में रखा था ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) इस समय दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोई महाप्रबन्धक नहीं है। प्रभारी निदेशक ही महाप्रबन्धक का काम कर रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उनके विरुद्ध किसी प्रतिकूल अभ्युक्ति की सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रभारी निदेशक को उनकी योग्यता, तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक और नेतृत्व के गुणों के आधार पर चुना गया था।

सरकारी कोटे से स्कूटरों का बुक करना

2236. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कोटे से बुक कराये गये विभिन्न किस्म के स्कूटरों के बारे में (किस्म-वार) नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) वर्तमान सूची के कब तक निपट जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विभिन्न श्रेणियों के सरकारी अधिकारियों से लम्ब्रेटा तथा वेस्पा स्कूटरों के आवन्टन हेतु प्राप्त ऐसे आवेदनों की जो कि औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में अनिर्णीत पड़े हैं कुल संख्या निम्न प्रकार है :

लम्ब्रेटा	7,900 संख्या
वेस्पा	15,800 संख्या

(ख) इस हेतु निर्धारित वर्तमान विशेष कोटे से उन सभी अधिकारियों को जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं स्कूटर का आवन्टन आगामी पांच वर्षों में हो जाने की सम्भावना है। चूंकि स्कूटरों का उत्पादन वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा है इसलिये इस विशेष कोटे में भी उसी अनुपात से वृद्धि करना सम्भव होगा और ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची इससे भी कम अवधि में समाप्त की जा सकेगी।

लम्ब्रेटा स्कूटरों का बुक करना

2237. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स अम्बा मोटर्स लिमिटेड, झंडेवाला, नयी दिल्ली, ने लम्ब्रेटा स्कूटरों के लिए अप्रैल, 1967 से आर्डर बुक करना आरम्भ कर दिया था किन्तु अब तक उसने एक भी स्कूटर एलाट नहीं किया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस फर्म को प्रति तिमाही कितना औसत कोटा मिलता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मैसर्स अम्बा मोटर्स, नई दिल्ली ने 1 अप्रैल, 1967 से लम्ब्रेटा स्कूटरों का आर्डर लेना आरम्भ कर दिया है। निर्माताओं से उन्हें औसतन 50 स्कूटर प्रति तिमाही मिल रहे हैं। फिर भी स्कूटर नियंत्रक द्वारा जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार वे उन्हें इन स्कूटरों को दिल्ली के अन्य विक्रेता मैसर्स एलाइड मोटर्स, नई दिल्ली द्वारा 1 अप्रैल, 1967 से पहले बुक किये गये आर्डरों पर देना पड़ रहा है। पुराने आर्डरों के स्कूटरों की सुपुर्दगी कर देने के पश्चात ही वे अपने यहां बुक किये हुए आर्डरों के स्कूटर देना प्रारम्भ करेंगे।

वैस्पा स्कूटरों की कोटि का स्तर

2238. **श्रीमती निर्लेप कौर :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेस्पा स्कूटरों की किस्म का स्तर गिर गया है जबकि स्कूटर का मूल्य बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कोटि का स्तर न गिरने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) जब इस स्कूटर का निर्माण आरम्भ हुआ था उस समय इसका मूल्य कितना था तथा इस समय कितना है ; और

(घ) मूल्य इतने बढ़ जाने के क्या कारण हैं जबकि कोटि का स्तर गिर गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). ग्राहकों से उसके वैस्पा स्कूटरों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जब कभी ऐसी शिकायत प्राप्त होती हैं उन्हें उत्पादकों तक निराकरण की कार्यवाही के लिये पहुंचा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मोटर कार गुण प्रकार जांच समिति द्वारा कारों के गुण प्रकार को सुधारने के लिये की गई सिफारिशों को, जिनमें से अनेक स्कूटरों पर भी प्रयुक्त होती हैं, स्कूटर निर्माताओं को प्रेषित किया जाता है निर्माताओं को और निर्माताओं के द्वारा डीलरों को समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कहा जाता है।

(ग) सन् 1960 और वर्तमान में सरकार द्वारा वैस्पा स्कूटरों का कारखाने से चलते समय स्वीकृत खुदरा मूल्य (उत्पादन कर और अधिभार अतिरिक्त है) निम्नलिखित हैं :

विक्रय मूल्य सन् 1960 में	**वर्तमान विक्रय मूल्य**
1964 रुपये	2402 रुपये

(घ) इस मेक के स्कूटरों के मूल्य में जो समय-समय पर बढ़ोतरी, स्वीकृत की गई हैं उसका कारण सरकारी करों की बढ़ोतरी, टायरों और ट्यूबों की कीमतों की बढ़ोतरी, आयातित पुर्जों के स्थान पर देशी पुर्जों के प्रयोग के कारण कीमत का बढ़ना है ।

दिल्ली में स्कूटरों का बुक करना

2239. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1968 तक दिल्ली में विभिन्न स्कूटर विक्रेताओं के पास विभिन्न किस्म के स्कूटरों के लिये जो बुकिंग की गई उनकी संख्या क्या है ;

(ख) विभिन्न किस्म के स्कूटरों के विभिन्न विक्रेताओं का औसत कोटा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक विक्रेता अनुमानत: कितने समय में बुक किये हुए सब स्कूटर बुक कराने वाले लोगों को दे देता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दिल्ली में विभिन्न विक्रेताओं के पास 31 अक्तूबर तक के स्कूटरों के अनिर्णीत क्रयादेशों की संख्या निम्न प्रकार थी :

लम्ब्रेटा स्कूटर	9,231 संख्या
वेस्पा स्कूटर	30,137 संख्या
फेन्टेबुलस स्कूटर	3 संख्या

(ख) दिल्ली के विक्रेताओं को सामान्य बुकिंग के सम्भरण के लिए वेस्पा स्कूटरों का औसत बिक्री कोटा 670 संख्या प्रति तिमाही है । दिल्ली में लेम्ब्रेटा विक्रेताओं का औसत बिक्री कोटा 183 स्कूटर प्रति तिमाही है । फेन्टेबुल्स स्कूटर के दिल्ली के विक्रेता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरा कोटा दिया जाता है ।

(ग) चालू संभरण दर के आधार पर वेस्पा के अनिर्णीत क्रयादेशों के भुगतान में लगभग 11 से 12 वर्ष लग जायेंगे और लम्ब्रेटा के क्रयादेशों के निपटान में 10 वर्ष लगेंगे । स्कूटरों का उत्पादन वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और स्थिति में सुधार होने की आशा है ।

बिलेटों की सप्लाई

2240. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस्पात पुनर्वेलन मिल (वेस्टर्न इंडिया स्टील कम्पनी-कालीकट) को जो केरल में एक ही है, कच्चे माल (बिलेटों) की कम सप्लाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को अधिक बिलेट सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). इस समय सारे देश में ही बिलेट की कमी है। यह कमी किसी विशेष क्षेत्र में स्थित कारखाने के लिए अनोखी नहीं है। मांग का पुन: मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं और इस मूल्यांकन से यदि यह पता चला कि मांग उपलब्धि से अधिक है तो सभी संगत बातों को जैसे निर्यात की आवश्यकताओं प्रादेशिक असंतुलन और बिलेट से तैयार की जाने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं को ध्यान में रखते हुये साम्यिक वितरण का तरीका निकाला जायेगा।

ओलवक्कोड डिवीजन केरल में कर्मचारियों को स्थायी बनाना

2241. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओलवक्कोड डिवीजन (केरल राज्य) में रेलवे इन्जीनियरी विभाग में कुछ कर्मचारियों को पाँच वर्ष से अधिक सेवा के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा भारत का निर्यात और आयात

2242. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 (15 अक्तूबर, 1968 तक) प्रत्येक देश को वस्तुवार कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया है और उक्त अवधि में आयातित ऊन, ऊन के टाप्स रेशे, स्टेनलैस स्टील, स्टील की तारें, भेड़, बकरी आदि की चर्बी का मूल्य कितना है;

(ख) राज्य व्यापार निगम अथवा किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा कितने प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं का निर्यात और आयात किया गया;

(ग) यह आयात और निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा स्वयं किया गया अथवा किसी कमीशन एजेन्ट के जरिये किया गया;

(घ) कमीशन एजेन्टों के जरिये व्यापार के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस अवधि में उन्हें कमीशन के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ङ) उक्त अवधि में गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा कुल कितने प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया और ऊनी तथा अन्य प्रकार के कपड़े के निर्यात के लिये प्रोत्साहन रूप में उन्हें कुल कितना धन दिया गया; और

(च) आयातित वस्तुओं की खपत और मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (च) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वाणिज्य मंत्रालय में अधिकारियों का तबादला

2243. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अवर सचिव अथवा अन्य उच्च पदों पर ऐसे कितने अधिकारी काम कर रहे हैं जिनका गत पांच वर्षों से तबादला नहीं किया गया है;

(ख) ऐसे अधिकारियों के नाम और पद-नाम क्या हैं और उन्होंने दिल्ली के सचिवालय में किस तारीख को कार्यभार संभाला था;

(ग) क्या उनके मामले में कोई पदोन्नतियां की गई हैं और यदि हां, तो पदोन्नत अधिकारियों के नाम और उनकी पदोन्नति का आधार क्या है;

(घ) यहां सचिवालय में उनके काम करते रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें अथवा आपत्तियां की गई थीं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 18 ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित ब्योरा दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 2327/68]

(ग) वाणिज्य मंत्रालय में तीन अधिकारियों अर्थात् सर्वश्री वी० बी० माईकर, रघुबीर दयाल तथा वी० आर० राव की उपनिदेशक (बाट तथा पैमाना), उप निदेशक (प्रदर्शनी) तथा उप निदेशक (वाणिज्यिक प्रचार) के पदों से क्रमशः निदेशक (बाट तथा पैमाना), संयुक्त निदेशक (प्रदर्शनी) तथा निदेशक (वाणिज्यिक प्रचार) के पदों पर पदोन्नति की गई थीं। सर्वश्री माईकर तथा रघुबीर दयाल को पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग पर एक सदस्य है, सिफारिशों पर की गई थी । श्री वी० आर० राव की पदोन्नति तदर्थ आधार पर की गई थी ।

(घ) 18 अधिकारियों में से 5 वाणिज्य मंत्रालय के स्थायी अधिकारी हैं । उनके मामले में तबादले का प्रश्न नहीं उठता । 7 अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के हैं, जो मुख्यतः सचिवालय में उन पदों पर कार्य करने के लिये होते हैं बाकी अधिकारियों को, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, सार्वजनिक हित में रखा जा रहा है ।

(ङ) जी, नहीं ।

फलों से लदे डिब्बों को तेज चलने वाली रेलगाड़ियों से भेजना

2244. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजयवाड़ा, नागपुर और भुसावल आदि विभिन्न स्टेशनों से दिल्ली को विशेष कोचिंग रेलगाड़ियों से पूरे डिब्बे भरकर भेजे जाने वाले केले, सन्तरे, आम आदि फल यदि सीधी रेलगाड़ियों से भेजे जायें तो क्रमश: 36, 24 और 24 घण्टों में पहुँच सकते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन पार्सलों के माल डिब्बों को प्राय: इटारसी पर काटकर धीमी चलने वाले अन्य रेलगाड़ियों में लगा दिये जाते हैं जिसके कारण माल क्रमश: 5, 6 अथवा 7 दिन के बाद उतारा जा सकता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्राय: अधिकारी मार्ग में विलम्ब होने के कारण माल प्राप्त-कर्ताओं को होने वाली हानि निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो फलों से लदे माल डिब्बों को तेज चलने वाली गाड़ियों से भेजने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ताकि न केवल अधिक समय नहीं लगे बल्कि माल की क्षति भी न हो ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विशेष रेलगाड़ियों के साथ लगे माल के डिब्बे सामान्यत: इटारसी पर नहीं काटे जाते । केवल उन यात्री / पार्सल गाड़ियों से जो इटारसी पर समाप्त हो जाती हैं, डिब्बे काटे जाते हैं और उन्हें उन गाड़ियों में जोड़ा जाता है जो इटारसी से बनकर चलती हैं ।

(ग) जी, नहीं । जब भी माल खराब हो जाता है, तो माल प्राप्त करने वाले की मांग पर हानि का मूल्यांकन किया जाता है ।

(घ) फलों से लदे माल डिब्बों को भेजने के लिये विशेष गाड़ियों को चलाने की व्यवस्था की जा रही है और प्रत्येक डिब्बे को निगरानी की व्यवस्था भी की जायेगी ।

बेलगांव और शाहपुर को मिलाने वाला उपरिपुल

2245. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलगांव की अनेक संस्थाओं तथा लोगों ने बेलगांव और शाहपुर (मैसूर राज्य) को मिलाने वाले एक उपरिपुल बनाये जाने के बारे में उन्हें एक ज्ञापन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान नियमों के अधीन सड़कों पर भारी यातायात वाली फाटकों के स्थान पर उपरिपुल और अधोपुल बनाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता बताते हुए प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य राज्य सरकार का है और साथ ही वह यह भी बताती है कि वह निर्माण पर आने वाली लागत का अपना भाग किस वर्ष तक सड़क प्राधिकरण को देगी । मैसूर राज्य सरकार से इस उपरिपुल को बनाने सम्बन्धी कोई ठोस प्रस्ताव हमें प्राप्त नहीं हुआ है ।

पश्चिम रेलवे के लोको शैड में लोको फोरमैन का पद

2246. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में बड़े लोको शैडों में भी लोको फोरमैन (ग्रेड 1) का कोई पद नहीं है जबकि अन्य रेलों में यह पद है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम रेलवे में डिवीजनल मेनटेनेंस इन्स्पेक्टरों के पद भी नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन पदों के सम्बन्ध में पश्चिम रेलवे को अन्य रेलों के समकक्ष लाने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पश्चिम रेलवे में प्रत्येक बड़े 'लोको शैड' में लोको फोरमैन ग्रेड 1 के पद की व्यवस्था है ।

(ख) से (घ). पश्चिम रेलवे में, मुख्यालय में नियुक्त लोको इन्स्पैक्टर (अनुरक्षण) डिवीजनों में रख रखाव के काम की देख-भाल करते हैं और इसलिये डिवीजनों में लोको मेनटेनेंस इन्स्पैक्टरों के पदों की व्यवस्था नहीं है । तथापि, प्रत्येक डिवीजन में लोको इन्स्पैक्टरों के वर्तमान पदों को लोको इन्स्पैक्टर (अनुरक्षण) के पद में परिवर्तित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

किऊल स्टेशन पर विश्राम-कक्ष

2247. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में किऊल स्टेशन पर क्वार्टर संख्या 75 (ख) में स्थित विश्राम-कक्ष में बिजली के पंखे, मच्छरदानियों तथा चारपाइयों की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारण भारवाही कर्मचारियों को समुचित विश्राम किये बिना अपने काम पर तैनात होना पड़ता है जो कि रेलवे दुर्घटनाओं का एक कारण है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तथा उक्त विश्राम-कक्ष में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पांडू-मालीगांव मुख्यालय कार्यालय

2248. **श्री हेम बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पांडू-मालीगांव मुख्यालय कार्यालय पर निषेधाज्ञा लागू की गई थी तथा रेलवे प्रशासन ने वहां कुछ द्वारों को लोहे की छड़ों से बन्द कर दिया था और इस प्रकार इस कार्यालय की इमारत को एक बन्दीगृह का रूप दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस समय क्या स्थिति है तथा यह कार्यवाही किन विशेष कारणों से की गई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). आसाम मेनटेनेंस आफ पब्लिक आर्डर एक्ट के अधीन जिला मजिस्ट्रेट कामरूप, गोहाटी ने 16 अक्तूबर, 1968 को छः महीने के लिये आदेश जारी किये जिसके अन्तर्गत मालीगांव रेलवे मुख्यालय के अहाते के भीतर जलूस निकालने/पांच अथवा अधिक व्यक्तियों के जमाव पर प्रतिबन्ध लगाया गया और इसी अधिनियम के अधीन उस अहाते के कुछ क्षेत्रों को प्रवेश-निषिद्ध स्थान घोषित किया गया ।

कार्यालय की इमारत को एक बन्दीगृह का रूप नहीं दिया गया था लेकिन इन परिसरों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये दरवाजों की उचित रूप से रक्षा का प्रबन्ध किया गया ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से न खोला जा सके ।

मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई

2249. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई में राशन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). इस वर्ष अभूतपूर्व कम फसल के सन्दर्भ में यह आवश्यक समझा गया है कि तैयार माल के उत्पादन को योजनाबद्ध रूप में कच्चे माल की प्राप्यता तथा घरेलू व विदेशी उपभोग, दोनों के आवश्यकताओं के साथ सम्बद्ध किया जाये । नवम्बर, 1968 के महीने में मिलों में वितरित करने के लिये नियत की गई पटसन की कुल मात्रा को पटसन आयुक्त द्वारा मिलों को, 1 जुलाई, 1967 से 30 जून, 1968 तक की अवधि में पटसन के माल के उनके उत्पादन के अनुपात में, आवंटित किया गया है ।

फिल्म उत्पादकों को कच्ची फिल्मों का आवंटन

2250. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5910 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म उत्पादकों को दिये जाने वाले कच्ची फिल्मों के आवंटन के

बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2328/68]

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्डियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन

2251. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन भारतीय फिल्मों के लिये बाजार ढूंढने में सफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को उनका निर्यात किया जायेगा तथा किन शर्तों पर ;

(ग) क्या कारपोरेशन ने अब तक किसी फिल्म का निर्यात किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने निम्नलिखित देशों को भारतीय फिल्मों का निर्यात किया :

(1) ब्रिटेन
(2) पूर्व अफ्रीका (केनिया, तंजानिया, यूगांडा, इथोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया)
(3) सूडान
(4) पश्चिम अफ्रीका (नाइजीरिया, घाना)
(5) उत्तर अफ्रीका (अल्जीरिया, मोराक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया)
(6) तुर्की
(7) ईरान
(8) मध्य पूर्व के देश (ईराक, सीरिया, लेबनान, जोर्डन आदि)
(9) फारस की खाड़ी के देश
(10) अफगानिस्तान
(11) मारीशस
(12) बर्मा
(13) थाईलैण्ड

(14) सिंगापुर
(15) मलयेशिया
(16) फिजी
(17) वेस्ट इंडीज
(18) श्रीलंका
(19) सं० रा० अमरीका
(20) कनाडा
(21) सोवियत संघ

चित्र सामान्यतः सर्वाधिकार आधार पर बेचे जाते हैं। कुछ मामलों में उन्हें न्यूनतम गारंटी के आधार पर बेचा जाता है। सिंगापुर, मलयेशिया क्षेत्रों के सम्बन्ध में चित्र अब वितरण के आधार पर भी दिये जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) फिल्मों के नाम बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2329/68]

मैसूर और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन

2252. **श्री सिद्दय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1952 से अब तक दक्षिण रेलवे पर मैसूर और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). मैसूर और चामराजनगर के बीच पटरी का वर्तमान स्तर इस लाइन पर वर्तमान यातायात के लिये पर्याप्त है। आवश्यकता पड़ने पर पटरियां बदली जा रही हैं।

त्रिपुरा और कचार के चाय बागान

2253. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आम चाय का उत्पादन करने वाले त्रिपुरा और कचार के चाय बागानों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे बागानों को, जिनके लिये असाधारण सहायता-उपायों की आवश्यकता है; कर से छूट तथा अन्य प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) त्रिपुरा से कलकत्ता को चाय के परिवहन में कठिनाई के अलावा, जिसके लिये वायुयान भाड़े के लिये उपदान

दिया जाता है, सरकार को साधारण चाय का उत्पादन करने वाले त्रिपुरा और कचार के चाय बागानों को हो रही किसी भी कठिनाई का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अप्रयुक्त क्षमता

2254. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965, 1966 और 1967 में कपड़ा, चीनी और मोटर उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता कितनी थी ;

(ख) उपरोक्त तीन वर्षों में सहकारी समितियों के लिये चीनी तथा सूती कपड़े की कितनी क्षमता की मंजूरी दी गयी थी ;

(ग) इन्हीं वर्षों में सरकार द्वारा तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकारी क्षेत्र में नियोजन के लिये कितना धन मंजूर किया गया था और सहकारी अंशधारियों ने कितनी राशि जुटायी थी ; और

(घ) मोटर उद्योग की पूरी क्षमता के उपयोग के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयला खान पट्टी को रद्द करना

2255. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कार्यक्रम के अनुसार कार्य न कर पाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला खनन पट्टी को रद्द करने के बारे में एक वक्तव्य दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की तत्संबंधी स्थिति क्या है ;

(ग) दोनों क्षेत्रों में पृथक-पृथक कितना क्षेत्र पट्टे पर दिया गया और कितने क्षेत्र से कोयला निकाला गया है ; और

(घ) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यक्रम के अनुसार कार्य न कर पाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). इस्पात, खान तथा धातु मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें झरिया कोयला क्षेत्रों, जिनमें मितव्ययतापूर्वक खनन योग्य उपलभ्य राशियों का अधिकतम भाग स्थित है, के मध्य जोन में

कोकिंग कोयले की बहुत अधिक उपलभ्य राशियों पर अधिकार रखने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र को इन उपलभ्य राशियों के उपयोग के लिये पर्याप्त कदम उठाने और बढ़ती मांग की पूर्ति के लिये कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कहा गया था। उन्होंने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को भी, जिनके आधार में बहुत अधिक उपलभ्य राशियों वाली बन्द खानें हैं, अगले सात या आठ वर्षों में आत्म-निर्भर होने तथा कोकिंग कोयले की सप्लाई के लिये बाजारू कोयला खानों पर न निर्भर होने के लिये कहा। पट्टाधारियों द्वारा इन क्षेत्रों का विकास न किये जाने का एक कारण आश्वासित उठान का अभाव भी हो सकता है। परन्तु वर्तमान संकेतों के अनुसार चौथी योजना की अवधि में कोकिंग कोयले की मांग बढ़कर 280 लाख मैट्रिक टन तक चले जाने की संभावना है। सरकारी क्षेत्र द्वारा योजनावधि के अन्त तक 90 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष के कुल उत्पादन के कार्यक्रम बनाये गये हैं और बकाया उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र, जिसे कि वर्तमान वार्षिक उत्पादन स्तर को लगभग और 70 लाख मैट्रिक टन बढ़ाना है, द्वारा किया जाना है।

फलों तथा सब्जियों के निर्यात के लिये निगम

2257. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से ऐसे कारण थे कि विदेश व्यापार संस्था ने फलों तथा सब्जियों के निर्यात के लिये निगम बनाने की सिफारिश कर दी थी ;

(ख) क्या इस संस्था ने अमरीका तथा ब्रिटेन की तुलना में देश में फलों तथा सब्जियों की प्रतिव्यक्ति खपत पर विचार किया है और यदि हां, तो सम्बन्धित आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार की नीति इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की है चाहे उससे देश में उनकी कीमत इतनी अधिक बढ़ जाये कि साधारण व्यक्ति उन्हें खरीद ही न सके ; और

(घ) क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों में इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जांच करने का है जिससे इस शिकायत को परखा जा सके कि देश की जनता खाने पीने से वंचित रखी जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्था द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण में बताया गया था कि यदि उत्पादन और निर्यात सुव्यवस्थित ढंग से संगठित किये जाएं तो फलों और सब्जियों के निर्यात के क्षेत्र में भारत के लिये व्यापक अवसर हैं। सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में दिये गये कारणों में ऐसा केन्द्रीकृत अभिकरण बनाने की आवश्यकता स्पष्टत: प्रकट होती है जो बड़े पैमाने पर बागवानी निर्यातों के जटिल कार्य को संभाल सके। इसलिये सर्वेक्षण में तीन अखिल भारतीय निगम बनाने की सिफारिश की गयी है, एक केलों के निर्यात को बढ़ाने के लिये, दूसरा ताजे फलों तथा सब्जियों के निर्यात को विकसित करने के लिये और तीसरा साबित फल और सब्जियों के माल का अधिकाधिक निर्यात करने के लिये।

(ख) भारत से बागवानी की मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिये सर्वेक्षण में सिफारिशें करते समय भारत में तथा सर्वेक्षण किये गये देशों में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत को ध्यान में रखा गया था। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें सर्वेक्षण किये गये देशों में ताजे फलों और सब्जियों के प्रति व्यक्ति खपत दिखाई गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2330/68]

(ग) तथा (घ). ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात देश में उनके वार्षिक उत्पादन की तुलना में नगण्य है अतः इसका आंतरिक मूल्यों अथवा पूर्ति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

सकरी और पंडौल तथा घोघरडीहा और निर्मली स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन

2258. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सकरी और पंडौल (उगना हाल्ट) तथा घोघरडीहा और निर्मली (पूर्वोत्तर रेलवे) स्टेशनों के बीच रेलवे हाल्ट बनाने का काम आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये हाल्ट कब तक तैयार होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सकरी और पंडौल के बीच एक हाल्ट स्टेशन खोलने का निर्णय किया जा चुका है। लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि हाल्ट का स्थान बदलने के सम्बन्ध में रेल प्रशासन को अभ्यावेदन मिले हैं।

घोघरडीहा और निर्मली के बीच हाल्ट स्टेशन खोलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका। वित्तीय आधार पर या जन-सुविधा के रूप में इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं पाया गया।

बाघों का निर्यात

2259. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अन्य देशों को शेर बेचता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कितने शेरों का निर्यात किया गया तथा किन-किन शेरों का निर्यात किया गया ; और

(ग) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1963-64 से 1967-68 के दौरान शेरों के देशवार निर्यातों की संख्या एवं मूल दर्शाया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2331/68]

उत्पादन प्रदान नीति

2260. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम्य औद्योगीकरण के बारे में सरकार पुरानी 'कल्याण प्रधान' नीति के बदले नई सरकार 'उत्पादन-प्रधान' नीति अपनाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, विशेषकर उत्तर बिहार के औद्योगीकरण की दृष्टि से ; और

(ग) उत्तर बिहार का तुरन्त औद्योगीकरण करने के लिये सरकार का विचार कौन-सी नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2332/68]

पश्चिमी दीनाजपुर को मिलाने वाली रेलवे लाइनें

2261. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिला पश्चिम दीनाजपुर का देश के अन्य भागों के साथ सीधा रेल सम्पर्क स्थापित नहीं है तथा इस जिले के इस समय संचार साधन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि उनसे प्रशासन तथा विकास सम्बन्धी अन्य कार्यों को दक्षपूर्वक चलाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र के लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस जिले को राज्य के अन्य भागों से मिलाने वाली रेलवे लाइनों की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 1954 और फिर 1965 में खेजूरिया-मालदा-इखालाखी-बालूरघाट-हिल रेलवे लाइनों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर बिछाने की सिफारिश की थी ;

(घ) यदि हां, तो उस क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस परियोजना को अगले योजना-कार्यक्रम में शामिल करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलों को इसकी जानकारी नहीं है कि रेल सुविधाओं के अभाव में पश्चिमी दिनाजपुर के विकास में कोई बाधा आ रही है।

(ख) और (ग). जी हां।

(घ) और (ङ). कठिन वित्तीय स्थिति और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी थी, पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इस लाइन के निर्माण पर विचार नहीं किया जा सका। अर्थोपाय की निरन्तर कठिनाई के कारण इस लाइन के निर्माण को चौथी पंचवर्षीय योजना में भी पर्याप्त प्राथमिकता मिलने की सम्भावना नहीं है।

आसाम में औद्योगिक परियोजनाएं

2262. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आसाम में सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन सी औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आसाम की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय देशनांक से कम हो गई थी और यदि हां, तो क्या आसाम में नये उद्योगों का नियतन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है और इस योजना काल में जिन औद्योगिक परियोजनाओं को आसाम में स्थापित किए जाने की सम्भावनाएं हैं; योजना के अन्तिम रूप से निश्चित हो जाने के बाद ही उनके बारे में बताया जा सकेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आसाम की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय सूचकांक से कम हो गई थी। आरम्भ में केन्द्रीय परियोजनाओं के लिये स्थानों का चयन तकनीकी आर्थिक आधार पर किया जाता है अन्य तत्वों पर जैसे प्रति व्यक्ति आय अथवा क्षेत्र के पिछड़े होने आदि पर भी ध्यान रखा जाता है।

Enquiry into the Affairs of British India Corporation

2263. **Shri Ram Avatar Sharma** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the terms of reference of the Enquiry Commission looking into the affairs of the British India Corporation ; and

(b) when the commission is expected to submit its report ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Since it was considered that the affairs of the industrial undertaking, M/s British India Corporation which consisted of the three units, viz. (1) Kanpur Woollen Mills, Kanpur, (2) New Eastern Woollen Mills, Dhariwal and (3) North West Tennery and Shoe Factory (Cooper Allen), were being run in such a manner as ran contrary to the interests

of the Woollen Texitle industry, Leather industry as also the public interests. The Central Government had, therefore, appointed the retired judge of the Patna High Court, Shri Sarjoo Prasad Singh, to look into the circumstances leading to this state of affairs in this undertaking.

(b) The enquiry is expected to be completed in about three months.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

2264. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के बहुसंख्यक समुदाय के लगभग 300 कर्मचारियों से क्वार्टर खाली करवाये जा रहे हैं ताकि उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों को दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कार्यों को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धक द्वारा मुसलमान कर्मचारियों को, जो कि इस समय हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की बस्ती के विभिन्न सेक्टरों के कुछ होस्टलों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं, इधर-उधर फैल कर बसाने के लिये प्रयास किये जा रहें हैं । प्रबन्धक द्वारा इस तरह फैलाकर बसाने तथा विभिन्न प्रकार के उपाय इस उद्देश्य से किये जा रहे हैं जिससे कि बस्ती में रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोग आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से रह सकें; स्थिति के शीघ्र ही सामान्य हो जाने की आशा है ।

Steel Tube Manufacturing Industry

2265. **Shri Ram Avatar Sharma :**

Shri Ram Chandra Veerappa :

Shri R. R. Singh Deo :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that great difficulty is being faced by the Steel Tubes manufacturing industry due to fall in the production of hot rolled strips ; and

(b) if so, steps being taken by Government in order to help this industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a) The Steel Tube Manufacturing Industry has been facing some difficulty in obtain-

ing supplies of hot rolled strips because of—

(i) difficulties in the Durgapur Skelp Mill which have led to drop in production,

(ii) the increase in the export of steel tube, and

(iii) greater utilisation of hot rolled strips by the Rourkela Steel Plants for its own galvanising and electrolytic tinning lines.

(b) In order to aid the Steel Tube Manufacturing Industry, Government have, in consultation with the Industry and the Joint Plant Committee, provided for increased supply of skelp to the various units in the industry by diversion of material from the Rourkela Steel Plant and from the Tata Iron & Steel Co.

बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

2266. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ने जो एक ब्रिटिश कम्पनी है , दिल्ली में अपने शाखा कार्यालय को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपना शाखा कार्यालय बन्द करने के लिये उन्हें आवश्यक अनुमति दे दी है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि कर्मचारियों को वाजिब देय राशि का भुगतान कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसे सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं कि कर्मचारियों की देय राशि का भुगतान करने से पहले वे अपना दिवाला न निकाल सकें?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीनी कारखानों द्वारा कार्य आरम्भ न करना

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : श्रीमान, मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"सरकार द्वारा गन्ने का कम मूल्य निर्धारित किये जाने के कारण देश में 150 से अधिक चीनी के कारखानों द्वारा कार्य आरम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति ।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : केन्द्रीय सरकार चीनी कारखानों द्वारा देय केवल न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। 1968-69 के लिए भी 1967-68 वाला मूल न्यूनतम मूल्य अर्थात् 9.4 प्रतिशत की उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। चीनी कारखानों द्वारा दिया जाने वाला वास्तविक मूल्य गुड़ तथा खंडसारी उत्पादकों द्वारा दिये जाने वाले मूल्य पर निर्भर करता है।

2. प्रत्येक चीनी कारखाना गन्ने की अनुमानित प्राप्यता गन्ने के पकने की अवधि और प्रोत्साहन, यदि कोई हो, के आधार पर गन्ना पेरने का कार्य शुरू करने की तारीख का निश्चय करता है। 25 नवम्बर, 1968 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 205 चीनी कारखानों में से 65 कारखानों ने 1968-69 के सीजन के लिए गन्ना पेरने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था जबकि गत वर्ष उसी तारीख तक 121 कारखानों ने उत्पादन प्रारम्भ किया था। महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल और पांडिचरी में गन्ना पेरने वाले कारखानों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 60 है जबकि गत वर्ष की उसी तारीख को यह संख्या 49 थी।

3. उत्तरी राज्यों मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना पेरने के काम में कुछ देरी हो गयी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर पिराई का काम लगभग नवम्बर के मध्य में शुरू होता है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में लगभग एक पखवाड़ा इससे बाद शुरू होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 4 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कारखाने ने अब तक उत्पादन शुरू किया है जबकि गत वर्ष की उसी तारीख तक 52 कारखानों ने उत्पादन शुरू कर दिया था। बिहार में अब तक किसी कारखाने ने उत्पादन शुरू नहीं किया है।

4. उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य उत्तरी राज्यों में चीनी कारखानों ने उत्पादन शुरू नहीं किया है क्योंकि कारखानों और गन्ना उत्पादकों में इस वर्ष गन्ने के दिये जाने वाले मूल्य के बारे में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। गत वर्ष गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी और बुवाई के समय चल रही सूखे की स्थिति के कारण गन्ने की कुल सप्लाई में कमी हुई थी। इसलिए गुड़ तथा खंडसारी के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा रही थी। खुले बाजार में चलने वाले ऊंचे भावों की प्रत्याशा में और सरकार द्वारा दी गयी अन्य रियायतों से उद्योग गन्ने के ऊंचे दाम देने में समर्थ हुआ। आंशिक विनियन्त्रण की नीति के प्रभाव के कारण गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई है और इस वर्ष गन्ने की कुल पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है। उद्योग को गत वर्ष उत्पादन शुल्क में जो कटौती दी गयी थी इस वर्ष वह नहीं दी जाएगी और सरकार द्वारा ली जाने वाली लेवी की मात्रा में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है। इन तथ्यों के कारण उद्योग गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष खुले बाजार में चीनी के भावों में भारी गिरावट आने की उम्मीद कर रहा है। जो भी स्थिति होती है, लेकिन उत्पादकों को मिलने वाला मूल्य कारखानों की देय क्षमता से कम नहीं होना चाहिये और इस मूल्य को खुले बाजार में अनुचित रूप से कम मूल्य होने की प्रत्याशा में निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।

5. जैसा ऊपर बताया गया है, सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का न्यूनतम मूल्य सैद्धान्तिक मूल्य है और चीनी कारखानों के लिये इस वर्ष न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य देना

सम्भव होना चाहिए।

6. पता चला है कि उद्योग और गन्ना उत्पादकों के बीच बात-चीत चल रही है और निकट भविष्य में कोई समझौता हो सकता है जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मंत्री महोदय ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि लगभग 50 चीनी के मिलों में अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। चीनी मिलों के न चलने से श्रमिकों, गन्ना उत्पादकों, मिलों तथा सरकार के राजस्व को घाटा हो रहा है। चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। गन्ना उत्पादक 7.36 रुपये प्रति क्विन्टल गन्ना मिलों को देने के लिये तैयार नहीं है। मिल मालिक इससे अधिक मूल्य में गन्ना लेने को तैयार थे परन्तु उनकी एक शर्त यह थी कि 40 प्रतिशत चीनी से उन्हें घाटा पूरा करने की अनुमति सरकार दे दे। इसके विपरीत सरकार ने उगाही बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी है। वर्तमान स्थिति में गन्ना मिल निर्धारित मूल्य से अधिक देने को तैयार नहीं हैं। मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि सरकार गन्ने के मूल्य का उचित ढांचा विकसित करने में असमर्थ रही है। क्या सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य 7.36 रुपये से बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रति क्विंटल करेगी ? क्या सरकार चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क को घटायेगी और उगाही पूर्ववत् 60 प्रतिशत ही रखेगी ? क्या सरकार चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और उनकी मशीनों को बदलने के लिये एक कोष स्थापित करेगी, जैसा कि गुण्डू राव समिति ने सिफारिश की थी ? चीनी उद्योग के समक्ष उपस्थित संकट के समाधान के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : सरकार जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है वे नाममात्र के लिये होते हैं। यदि चाहें, तो मिल अधिक मूल्य भी दे सकते हैं। दूसरे यदि स्थायी न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि की गयी तो नियंत्रित चीनी के मूल्यों में भी वृद्धि करनी पड़ेगी।

उत्पादन शुल्क को कम करने सम्बन्धी प्रश्न माननीय सदस्य ने उद्योगपतियों के हित की दृष्टि से रखा है जबकि सरकार गन्ना उत्पादक मिल मालिकों और उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखकर चीनी सम्बन्धी नीति निर्धारित करती है। चीनी मिल मालिकों की कल बैठक हो रही है। मैं आशा करता हूं कि वे गन्ने का उतना मूल्य देने को तैयार हो जायेंगे जितने में उन्हें गन्ना मिल जाये और अगले कुछ दिनों में ही चीनी मिलें चालू हो जायेंगी।

श्री काशी नाथ पाण्डेय (पदरौना) : यद्यपि मंत्री महोदय ने स्थिति का चित्रण बड़े ही सुन्दर ढंग से किया है परन्तु स्थिति वास्तव में नाजुक है। जब गन्ना उत्पादक सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर गन्ना मिलों को दे ही नहीं रहे हैं तो उसका लाभ ही क्या है। गत वर्ष मुक्त चीनी का भाव अधिक होने के कारण मिलों ने अधिक मूल्य में गन्ना खरीद लिया था। परन्तु इस वर्ष मूल्य वे ही हैं और वसूली 70 प्रतिशत हो गई है अर्थात मिलों के पास मुक्त चीनी केवल 30 प्रतिशत ही रहेगी।

मंत्री महोदय ने न तो श्रमिकों के हितों पर ध्यान दिया है और न उपभोक्ताओं के हितों पर क्योंकि मिल मालिकों ने अभी तक श्रमिक काम पर नहीं बुलाये और गांवों में उपभोक्ताओं को चीनी नियंत्रित मूल्य पर नहीं मिल पाती। इन परिस्थितियों में जब तक मूल न्यूनतम मूल्य में वृद्धि न होगी तब तक मिलें चालू न हो सकेंगी। क्या सरकार ने सैद्धान्तिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय मिल मालिकों और उत्पादकों से परामर्श किया था; यदि नहीं, तो क्या उत्पादकों और मिल मालिकों के बीच चल रही बातचीत सफल होगी ?

श्री जगजीवन राम : मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि न्यूनतम मूल्य सैद्धान्तिक रूप से स्थिर किया गया था जिसका आशय यह था कि उत्पादकों को इससे अधिक मूल्य मिले। अतः सरकार ने यह कभी सोचा ही नहीं था कि उत्पादक इस निर्धारित मूल्य पर गन्ना देंगे। कुछ क्षेत्रों में चीनी मिलों ने काम करना शुरू कर दिया और जहां वे नहीं चल पायी है वहां पर चीनी मिलों का खांडसारी से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इसी लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसे क्षेत्रों में मिल मालिक उतना मूल्य देकर गन्ना खरीदें जिससे गुण और खांडसारी के मुकाबले में चीनी मिलों को गन्ना मिल सके। मुझे आशा है कि मिल मालिकों और उत्पादकों में कल होने वाली बैठक में कोई न कोई समाधान निकल आयेगा।

Shri Raghuvir Singh Shastri : (Baghpat) : Sir, cane growers are feeling embarassed with the present state of affairs. Such a move on a part of Government should have completed by September and October, because cane crop comes once in every year, and it is not a matter for one year but it is a permanent feature. Government neither allows cane growers to start their own crushers nor does it ask the mill owners to run their sugar mills. May I know the reasons why Government hesitates in appointing a standing committee consisting of the representatives of cane-growers, mill-owners and cane cooperative Federation, which can decide in a round table conference the issues related to this industry in September and October every year ? Secondly, why does the Government not want to allow the cane-growers, who have their own tractors or power connections to run their crushers in view of the fact that only 5 out of 71 sugar factories have started working by now ? I would also like to know whether it is a fact that Government is not putting pressure on the mill owners because of the mid-term elections in U. P. and Congress leaders are raising election fund from this big industry.

Shri Jag Jivan Ram : The question of constituting a permanent body of the representatives of the cane-growers, crushers factory owners and consumers (not mentioned by hon. Member) can be given due consideration but it will be for future. Now it is the question for the present year. As far as the gur is concerned, no restriction will be put on it this year also as it was the case last year.

As far as the utilisation of power sanctioned for pumping sets for running crushers is concerned, it is for the State Governments to decide it. It is a fact that under the existing rules cane-growers cannot be allowed to do so. I will talk about this matter with the State Governments of Bihar and Uttar Pradesh. Moreover, I assure that cane growers will get more prices for sugar cane than the national price fixed for it.

Shri Bal Govind Verma (Kheri) : I think the mill owners are taking undue advantage of the helplessness of the cane growers on account of lack of unity in them. May I know the reasons why they are not prepared to purchase sugar cane at the rate of Rs. 13.40 when the rates of sugar this year too are touching the same height as last year ; and what are the steps Government propose to save the cane growers from being exploited by the mill owners and to device such a formula (under which profit earned in sugar industry is distributed among the mill owners, workers and cane-growners ? I would also like to know cost of production on sugar itemwise.

Shri Jag Jiwan Ram : I will advise the Hon. Member to see Sen Commission Report available in House Library in order to know the cost of production of sugar item-wise. As regards his other question I would like to repeat what I said earlier that sugar factories can give higher prices of sugar cane than the minimum national prices which the Government have fixed.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : कल श्री जार्ज फरनेन्डीज ने श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और मैंने कहा था कि मैं इस बारे में गृह मंत्री से एक वक्तव्य देने के बारे में कहूंगा । आज श्री लिमये उपस्थित हैं और कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहते हैं । अत: मैं उन्हें अनुमति देता हूं ।

Shri Madhu Limaye : Thank God that Hon. Home Minister has not been able to suspend the Supreme Court and I am present here (**Interruption**). I was put behind the bars for 15 days.

Our Constitution has provided certain rights under Article 105 (1), (2), (3) to the Members of the House and its committees.

When these rights and privileges are infringed it is contempt of the entire House. It is not as a member of opposition that I am raising this point, but as an ordinary member of this House, I am raising it. I quote from page 120 and 121 of May's Parliamentary Practice. It clearly says "it is a contempt to cause or effect the arrest, save on criminal charge, of a member of the House of commons during a session of Parliament or during the forty days preceeding or the forty days following a session."

Mr. Speaker, Sir, two questions of privileges and two that of defamation emerge from this. One is that that without any criminal charge, arrest was made. The second question is in regard to the intimation to Speaker by Magistrate of arrest, detention etc. of member.

In this regard Rule 229 refers to this. In this it is obligatory to intimate the reasons of arrest alongwith section of the law under which arrest has been made.

I am referring to this with a deep sense of anguish and sorrow that I was arrested on 6th November, 1968. It was just 5 days before the commencement of this session. It was notified in bulletin Part 2 on 8th November, 1968. The information was sent by collector. It is wrong. The committing magistrate should have intimated. In this way Rule 229 was violated and wrong information was sent. Actually S.D.O. Incharge, Monghyr should have intimated. Thirdly they should have intimated to you the name of jails, I was lodged. It was only the Superintendent of Central Jail, Bhagalpur, who sent the correct information and it was notified in bulletin on 11th November, 1968.

Thus this question was raised here many a time. You asked the Home Minister to make a statement of facts. After 8 days of the commencement of session a small statement was made by him. In this three wrong facts were expressed. Firstly he said that the arrest was under section 151. It is wrong. My arrest was made by a Police officer. I was not indulging in any cognizible offence. There was no charge against me under section 117 and I was arrested under section 151. It is perhaps for the first time after the enforcement of constitution that this has been done. All this is happening in a Congress Government. It is a unique question. I do not want to take up this party lines. I wish them also to do like that. If you propose that we should await the Supreme Court's verdicts, I am prepared for that. My proposals are as follows :—

"That in exercise of the powers given to the Speaker under Rule 227 the Hon. Speaker should ask the Committee of Privileges, that after taking into consideration all the facts and records of the case of the arrest and detention of Shri Madhu Limaye in Bihar, it should give its findings on the following issues :"

"(1) whether sections 151, 107 and 117 (3), under which Shri Madhu Limaye was arrested and remanded, relate to any criminal charge or criminal offence referred to in Rule 229."

मैं नहीं चाहता कि आप मेरी राय मानें बल्कि आप अपने विवेक से करें ।

"(2) Whether the arrest and subsequent remands of Shri Madhu Limaye amounted to a breach of the Members' immunity from arrest 40 days before the beginning of the Session.

"(3) Whether his arrest and remands by the G. R. P. S. in-charge, Kiul, Bihar, and S. D. O. incharge and S. D. O., Sadar Monghyr, Bihar, constitute a breach of privilege and contempt of the House.

"(4) Whether the Collector, who was not the committing Magistrate in this case, was required to send any intimation to the Speaker, whether he sent any wrong information to the House and was guilty of contempt.

"(5) Whether S. D. O. in-charge and S. D. O., Sadar Monghyr....

यह आफिसर है अध्यक्ष महोदय । एक को सेकेण्ड आफिसर कहते हैं और एक को फर्स्ट आफिसर कहते हैं । इसलिये गलतफहमी न हो ।

"(5) Whether S. D. O. in-charge and S. D. O., Sadar Monghyr committed contempt by not sending intimation to the Speaker as required by rule 229.

"(6) Whether it is not the duty of the Home Minister to ascertain the truth or otherwise of the information relating to Members' arrest and detention, **especially** when the arrest...."

I want to underline the word 'especially'

"....**especially** when the arrest and detentions take place in Union Territories and States which are under President's rule, and whether, in cases of **prima facie** breach of privilege or illegality, he should not intervene to secure Members' release or whether he should be allowed to act merely as a Postman.

"(7) Whether the Home Minister has in this case conveyed any wrong information to the House and has been guilty of contempt.

"The Committee should also make recommendations with regard to penal action, if any.

"The Committee may also make suggestions in respect of charges in relation to sending of intimation of arrest, etc., if necessary...."

कमेटी जब सोचेगी कि क्या निर्णय करना है,. उस मीटिंग में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन चूंकि मेरे से संबंधित सारा मामला है इसलिए जब एविडेंस ली जायगी मैं बैठा रहूंगा, कोई गलत बात होगी तो सिर्फ चेयरमैन से कहूंगा । इतने से मुझे संतोष हो जायेगा ।

"The Committee should make its report by 15th March, 1969.

"Shri Madhu Limaye be allowed to attend those meetings of the Committee which are devoted to the taking of evidence so that he can point out to the Chairman if and when false evidence was given to the Committee."

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मामला है । लेकिन जैसा कि श्री मधु लिमये ने स्वयं बताया है, कि मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और उन्हें स्वत: वहां हाजिर होना है मैं समझता हूं और मुझे यकीन है कि गृह-कार्य मंत्री तथा सभा के नेता भी इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए । मैं इसे इसलिए महत्व दूंगा कि यह मामला किसी दल विशेष अथवा प्रतिपक्ष से सम्बन्धित नहीं है । इस देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें बनेंगी इसलिए हमें इसे नीति विषय मानकर इस पर विचार करना चाहिए । हमें इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और न कि उसे कोई संकीर्ण राजनैतिक रंग देकर, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के बाद हम उस पर विचार करेंगे ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 24 मिनट (म० प०) तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till twenty-four minutes past Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजकर 24 मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty-four minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

सभा-पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

पटसन (लाइसेंस देना तथा नियन्त्रण) संशोधन आदेश

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पटसन (लाइसेन्स देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3893 में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 2312/68]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1968-69 रेलवे
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS 1968-69 RAILWAYS

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं वर्ष 1968–69 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

भारतीय रलवे (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविधिक संकल्प–अस्वीकृत
RESOLUTION Re: INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE— NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री जार्ज फरनेन्डीज द्वारा 25 नवम्बर, 1968 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर और आगे विचार करेगी—

"यह सभा भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 10) का जो राष्ट्रपति द्वारा 14 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक
INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : सभा श्री चे० मु० पुनाचा द्वारा 25 नवम्बर, 1968 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर भी और आगे विचार करेगी—

"कि भारतीय रेलवे विधेयक, 1890 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री स० कुण्डू (बालासौर): मैं प्रस्तुत विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक देखने में दोष रहित लगता है किन्तु छिपे तौर पर तथा अप्रत्यक्ष रूप से वह वर्षों के संघर्ष के बाद प्राप्त कार्मिक संघों के अधिकारों का हनन करता है और उन्हें हमेशा के लिए कुचल डालेगा। इससे मध्यस्थ निर्णय के अधिकारों तथा हड़ताल करने के अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रस्तुत वियेयक एक काला विधेयक तथा जन-विरोधी विधान है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत विधेयक कम्बिनेश एक्ट का ही प्रतिरूप है जो वर्ष 1800 में इंगलैंड में पारित किया गया था और जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी थीं और जिसे अन्ततोगत्वा वर्ष 1820 में रद्द करना पड़ा था।

सामूहिक सौदेबाजी (कलैक्टिव बार्गेनिंग) सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे कार्मिक संघ-कार्यकर्ताओं ने संगठित संघर्ष से प्राप्त किया है जो अनिवार्यतः हड़ताल करने का अधिकार देता है। जब कोई हड़ताल करेगा तो वह काम छोड़ेगा; लेकिन जब वह काम छोड़ेगा तो उसके ऊपर भी श्री चे० मु० पुनाचा की तलवार, जो प्रस्तुत विधेयक है, लटकेगी। इसलिये इसे मैं कर्मचारी, विरोधी तथा जन-विरोधी विधेयक कहता हूं।

प्रस्तुत विधेयक हड़ताल से पूर्व जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है। अध्यादेश जारी करने अथवा प्रस्तुत विधेयक लाने का कारण तथा उद्देश्य आवश्यकता-आधारित न्यूनतम मजूरी की जन-मांग को कुचलना है। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया है कि यदि कर्मचारी हड़ताल अथवा अशान्ति पैदा करेंगे, तो जनतन्त्र खतरे में पड़ जायगा। लेकिन मैं कहता हूं जनतंत्र के लिए खतरा तब पैदा होता है जबकि लोगों को मूल न्यूनतम सुविधाएं नहीं दी जातीं। आज की स्वतन्त्रता में लोग देश में भूखों मर रहे हैं और उन्हें अर्थात् श्रमिकों तथा किसानों को अपनी हालत सुधारने के लिए अपने आपको संगठित करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है।

इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य सम्मेलनों द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित मांग को रेलवे कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से फिर से उठाया गया, इस मांग के पीछे समान समाज स्थापित करने, कुंठित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दल-दल से उबरने का एक महान उद्देश्य निहित था।

यदि सरकार वास्तव में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है तो रेलवे मंत्रालय तथा सरकार ने कर्मचारियों के इस आन्दोलन का स्वागत करना चाहिए था और उनकी आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजूरी की मांग को मान लेना चाहिए था।

जे० सी० एम० बनाने के सिद्धान्त तथा जे० सी० एम० का सरकार ने मखौल किया है। यह व्यवस्था इसलिए कायम की गई थी ताकि हड़ताल मनमौजी ढंग से न होने पाये और जिन

प्रश्नों पर मतभेद हो उनका इस व्यवस्था के माध्यम से निपटारा किया जाय। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की लम्बे समय से पड़ी मांगों को शीतागार में डाल दिया है और उन्हें बिल-कुल दबाये बैठी है। जे० सी० एम० के उपबन्धों के अनुसार जब मध्यस्थ निर्णय की मांग की गई, तो उसे ठुकरा दिया गया। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के पास सांकेतिक हड़ताल के अलावा और चारा ही क्या था? लेकिन सरकार इससे बौखला उठी और डर भी गई। रेलों का कारोबार यदि 24 घण्टे बन्द ही रह जाता, या उसमें विलम्ब ही हो जाता तो आसमान नहीं गिर जाता।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कार्मिक संघों के इस प्रजातांत्रिक आन्दोलन को इस प्रकार कुचल रही है। यह एक अजीब बात है कि जबकि श्रमिकों के प्रति पूंजीवादी सरकारों के रवैये में भी तबदीली आई है, यह तथा कथित लोकतंत्रात्मक समाजवादी सरकार श्रमिकों के अधिकारों को कम करने की बात सोच रही है।

गत वर्ष तथा इस वर्ष जापान में मजूरी में 13 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि की गई है तथा इसमें सबसे रोचक बात यह है कि इस अवधि में कपड़े, खाद्य पदार्थ तथा दवाइयों आदि अत्यावश्यक वस्तुओं के खर्च में 1·5 प्रतिशत की कमी हुई है।

अतः यह स्पष्ट है कि आधुनिक पूंजीवादी देश भी इस मत से सहमत होते जा रहे कि जब तक श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जायेगा, तब तक उत्पादन में वृद्धि होना सम्भव नहीं है। परन्तु यह अद्भुत बात है कि हमारी तथाकथित लोकतंत्रात्मक सरकार श्रमिकों के वर्तमान अधिकारों को भी कम करने पर तुली हुई है।

मैं आपका ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के ऐशियाई प्रादेशिक सम्मेलन में पारित संकल्प की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्धों की स्थापना के लिये कर्मचारियों तथा श्रमिकों के सुदृढ़, स्वतंत्र, जिम्मेदार तथा प्रजातांत्रिक संगठनों का विकास करना परम आवश्यक है। सरकार ने इस संकल्प को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है, परन्तु उसे क्रियान्वित करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है।

किसी माननीय सदस्य ने महात्मा गांधी का उल्लेख किया था। मैं इस सभा का ध्यान उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो महात्मा गांधी से सम्बन्धित है। बात वर्ष 1917 की है। अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मजदूर हड़ताल पर थे। वे अपनी मजूरी में वृद्धि कराना चाहते थे। प्रबन्धक पहले तो वृद्धि करने को राजी हो गये थे, परन्तु बाद में मुकर गये थे। उस समय गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी और कहा था कि जब तक श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि नहीं होगी, वह भोजन नहीं करेंगे और कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने श्रमिकों को अपनी मांगों के लिये लड़ते हुये मर जाने की सलाह दी थी।

अब मैं इस विधेयक के उपबन्ध के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस विधेयक की धारा 100 क और 100 ख में जो उपबन्ध किये गये हैं, वे पहले ही विभिन्न विधियों में उपबन्धित

हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया है धारा 47 के अन्तर्गत रेलवे को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है तथा उसे मनमानी शक्तियां दी गई हैं। यदि कोई रेलवे कर्मचारी अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही करता है, तो उसे निलम्बित किया जा सकता है अथवा बर्खास्त किया जा सकता है। यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी तथा उन्होंने भी इसमें परिवर्तन नहीं किये थे, परन्तु यह तथा कथित प्रजातांत्रिक समाजवादी सरकार एक ऐसा कानून बना रही है, जो विदेशी सरकार द्वारा भी नहीं बनाया गया था।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this Bill has been brought forward by the Railway Minister to amend the Indian Railways Act, 1890. Now we have to see as to why Government deemed it necessary to amend the said Act. It has been provided in Section 100 of the Railways Act, 1890 that in case a railway servant is in a state of intoxication while on duty, he is liable to be punished. So this section is applicable to Railway employees only and as such no action can be taken against others who are not railway employees, when they obstruct in the running of trains. Hence the necessity of adding clause 100A and 100B has been felt, so that train service may be maintained properly without any interference. It is well-known to all of us that at present our main problem is the maintenance of law and order in the country. It is also our prime concern that our train services are maintained efficiently and without any hinderance and that is why in order to ensure the efficient running of trains this Bill has been brought forward by the Government.

Some Hon. Members have talked about union activities and marxism. I want to tell them that I am also an office bearer of Commercial Clerks Association, Guards Association and Assistant Station Masters Association and am well acquainted with the problems of these employees. I want to tell my friends that our Trade Union movement should be peaceful and on proper lines within the perview of law. We can not and should not launch our Trade Union movements in a Naxalbari way and hence maintenance of law and order is the first prerequisite.

It has been said that this amendment is unnecessary and unwanted one. After all Government have certain responsibilities. So Government should be given sufficient powers. So that they may discharge their responsibilities properly.

The cases of those temporary employees who have been suspended should be considered sympathetically. Government have imposed a restriction on those employees who have been reappointed to observe their conduct for three years. I want to say that their conduct should be observed for one year only and in case they improve their conduct there should be no restriction on them. The cases of those permanent employees who came out of their offices after marking their attendance in the attendance registers should also be considered sympathetically. I do not think that there is any need to take any action against them.

Shri Satya Narain Singh (Varanasi): Mr. Deputy Speaker, Sir, I oppose the bill presented by the Railway Minister and support the motion moved by Shri George Fernandes. I want to say that the demands of Government employees have been subject of discussion in this House since many days and before 19th September, the day on which strike was observed we used to think that Government will consider the demands of their own employees very sympathetically,

but it is now clear to us that they have tried to supress the genuine and just demands of Government servants by terrorising them and promulgating an ordinance. Now they have brought forward this bill to terrorise and supress the workers. I want to warn the Government that permanent peace cannot be established by supression and exploitation. This problem can only be solved if Government considers their demands sympathetically. If you want to maintain law and order in the country that can only be maintained if the just demands of the people are acceded to. I am of the opinion that the passage of this bill will result in hatred between the Government and its organs i.e. Government employees. If Government think that they will be able to run the administration by passing this black bill and giving it a permanent form and terrorising the employees, then they are very wrong in their thinking. The whole country is with the Government servants and we will oppose this bill tooth and nail. The Government have seen that the issue of the ordinance has resulted in no fruitful result. Even then they are continuing to follow the policy of supression and trying to give this black bill a permanent form. By doing so they are depriving the Government servants of their fundamental rights guaranteed to them by the constitution and thus closing all the doors for peaceful settlement. The right of collective bargaining is being snatched away from them. If this bill is passed then there will be no democratic way open to them to place their demands before Government and thus they will be compelled to adopt another way. Then Government will accuse that they are indulging in unlawful and subversive activities. The Government himself is compelling them to adopt unconstitutional methods by snatching away their constitutional rights. I think it will be a blot in the history that the Central Government compelled the entire employees and workers to adopt a way, which they did not like. I want to warn the Government that they can not stay for long on the strength of this black bill. The strength of the public is unlimited and they are not going to tolerate it. It is evident from the fact that Government is not inclined to change their mind, despite our so many appeals that they are engulfed in a crisis. Their policy have brought economic crisis to the country, which has taken the shape of a political crisis. The Government finds no way to save itself from the crisis, except enacting this black measure and terrorising the employees. I think it would have been better for the Government to call a meeting of the leaders of all political parties and public organisations to find a solution and solve this matter by negotiation. It is the duty of the Government to satisfy the workers that they believe in negotiation and want to solve the problems by peaceful means. But Government is adopting another method, which is dangerous, not only to them, but to the entire nation. I want to say that this black bill if passed, will result in more dissatisfaction and hatred. The gulf between the Government and their employees will be widened and one day it will take an explosive form. So I request the Government to with draw this Bill.

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : मैं नहीं जानता कि इस विधेयक के ऊपर इतनी उत्तेजना क्यों है, रेलवे एक व्यापारिक संस्था है जिसका अस्तित्व रेलगाड़ियों के चलने पर ही है । अगर रेलवे कर्मचारी बीच में ही या नियत स्थान से पूर्व रेलगाड़ी को खड़ी कर देते हैं तो यात्रियों की सुरक्षा का कौन जिम्मेदार होगा । आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का मैं समर्थन करता हूँ परन्तु रेलवे अधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वे यात्रियों को उनके नियत स्थान पर पहुँचायें । अगर बीच में ही गाड़ी रुकने के कारण यात्रियों को परेशानी होती है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ? अगर रेलवे कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन

दिया जाये तो यात्रियों को ही अतिरिक्त किराया तथा भाड़ा के रूप में यह भार सहना पड़ेगा, परन्तु अगर इस प्रकार की मामूली सेवा दी जाती रही तो क्या वे अधिक किराया तथा भाड़ा देने के लिये तैयार होंगे ? अतएव रेलों को उचित रूप से चलाने के लिये रेलवे कर्मचारियों पर कुछ रोक लगानी चाहिये ।

अगर कोई रेलवे कर्मचारी बीच में ही अपना काम छोड़ देता है तो उससे होने वाली हानि का कौन जिम्मेवार होगा, भारत में हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं । हम मजदूर वर्ग की तानाशाही पर विश्वास नहीं रखते । अवश्य ही वह देश का एक अभिन्न भाग है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह अपनी मनमानी से कार्य करे, अगर आप लोग अपने आपको ही सब कुछ समझते हों तो इससे कोई उद्देश्य हल नहीं होगा, आप लोगों ने जो स्थिति पैदा की है उससे कर्मचारियों को ही नुकसान होगा, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उन्हें वास्तविकता समझाई जाये ।

रेलवे के बारे में बहुत-सी शिकायतें आती रहती हैं । हर रोज रेलों के देरी होने की बात होती है, कभी-कभी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं तो इन सबके लिये कौन जिम्मेवार है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इसके लिये रेलवे बोर्ड उत्तरदायी है ।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या इसके लिये रेलवे कर्मचारी जिम्मेवार है अथवा रेलवे बोर्ड ? हमें अपने दोषों को नहीं छिपाना चाहिये । और सत्य को स्वीकार करना चाहिये । इसके लिये वे लोग जिम्मेवार हैं जो आज रेलों को चला रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिये ।

इसके अलावा उपद्रवों के दौरान रेलवे को बहुत हानि पहुँचाई जाती है । मैं इसके लिये किसी दल का नाम नहीं बताऊँगा । अभी हाल में पदरौना में भाषा विवाद के दौरान दंगाइयों ने एक रेलगाड़ी रोककर उसके दो डिब्बों को जला डाला ।

रेलवे सेवा आचरण संहिता नियम बाहरी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते, अतएव यह विधेयक लाया गया है, मैं नहीं समझता कि इस पर इतनी उत्तेजना क्यों है । अगर आप लोग चाहते हैं कि रेलगाड़ियों को बीच में न रोका जाये और इसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय तो इस विधेयक को लाने में क्या हानि है ।

मैं इस बात को समझता हूँ कि प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को कम पारिश्रमिक मिलता है और इसको बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि महँगाई प्रत्येक को प्रभावित कर रही है, वे बढ़ती हुई महँगाई से असंतुष्ट हैं, उनको अधिक मजदूरी मांगने का अधिकार है, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि कई दूसरे कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनको वेतन रेलवे कर्मचारियों से बहुत कम मिलता है, मैं रेलवे कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों से अलग श्रेणी में गिनता हूँ क्योंकि उनकी कार्य की प्रकृति भिन्न है । परन्तु फिर भी मजदूरी को एक सीमा के भीतर ही बढ़ाया जा सकता है । उस

सीमा के बाहर जाने से स्वभावत: इसका भार देश के आम जनता पर पड़ेगा। यह धन कहां से लाया जायेगा ? इस समस्या पर सोचने के पूर्व हमें तथ्यों का अध्ययन करना चाहिये। अतएव मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Deven Sen (Asansol) : I oppose this Bill. Because the rights of workers are being taken away from them.

The Railways were started in 1853 at the time of British Government. We are going to amend the law enacted by the British Government. I have seen the Railways acts of other countries. There is no provision as such even in the Railway acts of England. Of course there is a provision for punishment to those who destroy the Railway property but there is nothing like picketing and squatting. The British Government did not interfere in the rights of trade unions. The capitalism spread in India through Railways. The expansion of Catton industry, Jute industry took place after the advent of the Railways. The Railways earned considerable profit by way of fare and freight. Inspite of this they did not think of banning the picketing and squatting. To-day a crisis is spreading inside the capitalism. It cannot be stopped unless the Socialism is replaced. There is no crisis in Socialist countries. Things like this happen only in Capitalist countries. The cause of closure of Cotton mills and other mills is the decrease in real wages. The monopolists of this country think that the remedy of this Capitalist crisis is to usurp the rights of workers. The Home Minister, Railway Minister and the Finance Minister have taken steps in this direction by introducing different Bills. They think that the only remedy to avoid the crisis is retrenchment, automation. Is it practicable to introduce automation in this country ? These are the things for England, Germany, America where there is no problem of population explosion. You are all ruining the cause of workers through automation, closure, retrenchment and also by introducing such a bill. As such I oppose this bill.

विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, यह विधेयक यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वालों की भलाई की रक्षा करने के लिए है।

अब हम यह देखेंगे कि इस विधेयक के उपबन्ध क्या हैं, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, विरोधी पक्ष के मित्र के अनुसार अगर ड्राइवर रास्ते में ही अपने कर्तव्य से अलग हो जाता है और इस प्रकार यात्री ऐसे स्थान में छोड़ दिये जाते हैं जहां कोई सुविधाएं नहीं हैं तो उसको इस कार्य के लिए पदम विभूषण देना चाहिए, यही वे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यात्रियों के हितों की रक्षा की जा सके।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : क्या वे ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां कि किसी ड्राइवर ने रेलगाड़ी रास्ते में इस प्रकार छोड़ी हो, ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री धीरेश्वर कलिता : श्री महाजन इस विधेयक के अभिप्राय के बारे में बोल रहे थे। इस विधेयक का अभिप्राय इस प्रकार है कि 14 सितम्बर को एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके अनुसरण में सरकार ने हजारों व्यक्ति गिरफ्तार किये थे। अब सरकार उस अध्यादेश को कानून का रूप देना चाहती है। यद्यपि सरकार कहती है वह 19 सितम्बर को गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों के मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी, तथापि वह इस विधेयक के द्वारा उन्हें दण्ड देना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री विक्रम चन्द महाजन : माननीय सदस्यों का कहना है कि यह विधेयक कर्मचारियों को दंड देने के लिये पारित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि दोषी व्यक्तियों को दंड देने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कुछ व्यक्ति रेलगाड़ी को किसी निर्जन स्थान पर रोक दें तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही न की जाय ? क्या उन्हें गिरफ्तार करने के लिये किसी मजिस्ट्रेट के, जो वहां से काफी दूर रहता है, वारंट की आवश्यकता है ? निस्संदेह ऐसे व्यक्तियों को तुरंत दण्ड देने की व्यवस्था होनी ही चाहिए।

इस विधेयक में सिगनल में गड़बड़ पैदा करने वाले कर्मचारियों को दण्ड देने का उपबन्ध सराहनीय है। सिगनल पर ही रेलगाड़ियों का सुरक्षित आना-जाना निर्भर करता है। सिगनल में खराबी से दुर्घटनाएं होंगी जिससे लाखों व्यक्तियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इस विधेयक का विरोध करने वाले कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि राज्यों में कानून और व्यवस्था कायम करने का काम राज्यों का है अतः तोड़-फोड़ करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये किसी केन्द्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की ओर दिलाना चाहता हूं, उसमें स्पष्ट रूप से अनुबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामलों में कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह पूर्णतः न्यायसंगत कानून बनाया जा रहा है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Deputy Speaker, the Bill to replace the ordinance promulgated by the President to ban the token strike on 19th September, 1968 deserves support. As an Independent Member I hold the view that the strike was politically motivated although it was denied by all the political parties. There is no doubt that such strikes can paralise the country and disrupt its economy and progress. It is, therefore, necessary to ban these strikes. At the same time it is not proper for the Government to resort to lathi charges and firings in order to maintain law and order in the country. The trade union leaders should also trust in Government and they should use this weapon as a last resort to solve the problems

of employees. They should make efforts to settle the disputes with Government amicably. The Government should also try their best to redress the genuine grievances and accept their justified demands. I have tabled an amendment to clause 2 for deleting the words "any other person". I would not like to go into details about it at this stage. It is necessary to devise some negotiating machinary before taking steps to ban strikes by the employees.

श्री जी० मो० विस्वास : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या अपना भाषण देते समय कोई माननीय सदस्य किसी अन्य सदस्य को अपनी बात मनवाने के लिये बाध्य कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कही गई है ।

श्री शिंकरे : मुझे इस पर आपत्ति है । माननीय सदस्य को अपने शब्द वापिस लेने चाहिए ।

Shri Prem Chand Verma : Shri Biswas should not have used such words.

Shri Om Prakash Tyagi : I fully agree with Shri Verma. No Hon. Member has a right to pass such remarks. I request Shri Biswas to withdraw his words.

श्री रणधीर सिंह : यह विशेषाधिकार भंग का मामला हो सकता है । माननीय सदस्य को किसी अन्य माननीय सदस्य के लिये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये था ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपने दल की ओर से यह कह सकता हूं कि श्री विस्वास का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था । जब श्री शिंकरे भाषण दे रहे थे, कुछ माननीय सदस्य बार-बार बीच में बोल कर उन पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहे थे किन्तु ऐसा हो नहीं सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहना उचित नहीं कि माननीय सदस्य से अपनी बात कहलवाने का प्रयत्न किया जा रहा था । माननीय सदस्य स्वयं अपने विचार व्यक्त कर रहे थे ।

Shri Shinkre : While concluding my speech I would like to say that there are certain people who do not know what they are saying and what effect it will have, therefore they should be pardoned.

श्री मधु लिमये : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : क्या उसका इस विधेयक से सम्बन्ध है ।

Shri S. M. Joshi : I beg to submit that he may be allowed to speak for few minutes.

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order under Rule 79 (1) which says. "If notice of an amendment to a clause or schedule of the Bill has not been given one day in advance before the Bill is to be considered any Member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved". I was released from the jail only yesterday and I have just not given the notices of amendment and therefore request the Hon. Member not to object to the moving of these amendments. These may be circulated tomorrow.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट नहीं कर सके और निर्धारित अवधि के अन्दर संशोधन नहीं दे सके । मैं चाहता हूं कि माननीय

सदस्य को अवसर मिलना चाहिए किन्तु कठिनाई यह है कि मंत्री महोदय तथा श्री जार्ज फरनेन्डीज के उत्तरों के बाद हमें तुरन्त इस विधेयक पर खंडवार विचार करना है। इसमें कठिनाई परिचालन की है।

श्री स० मो० बनर्जी : पहले भी ऐसे उदाहरण हैं कि अन्तिम समय तक प्रस्तुत किये गये संशोधन पर विचार करने की अनुमति दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी को कोई आपत्ति न हो तो माननीय सदस्य को अवसर दिया जा सकता है। मेरा सदस्यों से निवेदन है कि वे आपत्ति न करें। मैं माननीय सदस्य का संशोधन पढ़ दूंगा। माननीय सदस्य जेल में रहने के कारण संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सके। अत: मैं उन्हें संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचार ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक के मूल विषय के बारे में न बोलकर उसकी सीमा के बाहर चले गये हैं जिससे उसका वास्तविक पहलू ही रह गया है। इस विधेयक में मुख्य बात यह कि रेलगाड़ियों के निर्बाध संचालन के लिये जनता तथा रेलवे कर्मचारियों के कुछ कार्यों का नियमन करना आवश्यक है।

यहां पर यह कहा गया है कि 19 सितम्बर को हड़ताल की धमकी के कारण सरकार ने अध्यादेश जारी किया था और अब इस विधेयक द्वारा रेलवे कर्मचारियों को सामूहिक रूप से अपनी मांगें रखने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। एक प्रकार मैं माननीय सदस्यों के विचारों की सराहना करता हूं किन्तु यह नहीं भुलाया जा सकता कि सरकार को यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात भी उठाई है कि इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने का कोई उल्लेख उस समय नहीं किया था जबकि अगस्त में संसद का सत्र चल रहा था। सत्र समाप्त होने के बाद ही सरकार ने यह कदम उठाया। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों की मांगों पर इस सभा में चर्चा हुई थी। सरकार ने बातचीत से समझौता करने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। गृह मंत्री इस सम्बन्ध में सभा में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। सरकार ने बातचीत के लिये अपने दरवाजे सदैव खुले रखे थे।

3 सितम्बर को सरकार को 19 सितम्बर के दिन हड़ताल करने का नोटिस दिया गया था, इस सबके पीछे राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने का उद्देश्य था। मैं इस बात को अनेक प्रमाणों से साबित कर सकता हूं। केन्द्रीय कार्य परिषद के संयुक्त सचिव श्री पीटर अल्वारेस, जो अखिल भारतीय रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, द्वारा दिये गये वक्तव्य में कहा गया था कि 19 सितम्बर को प्रात: 6 बजे से रेलवे कर्मचारी अपना कार्य छोड़ देंगे। काम छोड़ना एक बात है किन्तु चलती हुई गाड़ियों से चालकों का काम छोड़ कर चला जाना एक गंभीर बात है। मेरे

पास एक प्रकाशन है जिसमें यह कहा गया है कि "सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।" इस प्रकाशन में आगे कहा गया है कि "सरकारी सम्पति पर अधिकार कर लो।" इस प्रकार की बातें सरकार के लिये कही जा रही थीं।

श्री स० मो० बनर्जी : नियम 376 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सभा के सामने अध्यादेश तथा भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक के निरनुमोदन का प्रस्ताव हैं। मंत्री महोदय ने एक प्रकाशन विशेष से वे उद्धरण लिये हैं जिनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मंत्री महोदय को प्रक्रिया के अनुसार पूरा प्रकाशन सभा पटल पर रखना चाहिए। यह कोई गोपनीय प्रकाशन नहीं है। अतः रेलवे मंत्री महोदय को यह प्रकाशन सभा पटल पर रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अधिकार है कि वह सम्बंधित भाग ही पढ़ कर सुनाएं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री पीटर अल्वारेस अपने पर लगाये गये आक्षेपों का उत्तर देने के लिए सभा में उपस्थित नहीं हैं क्योंकि वह अब इस सभा के सदस्य ही नहीं हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि पूरा प्रकाशन सभा पटल पर रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि केवल सम्बन्धित अंश को पढ़ कर सुनाना मंत्री महोदय के अधिकार में है, तथापि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस प्रकाशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाये।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं पूरे तथ्य सभा के सामने रखने का प्रयत्न कर रहा था किन्तु व्यवधान के कारण ऐसा नहीं कर पाया हूँ यह श्री अल्वारेस का वक्तव्य है जो कि इस प्रकाशन में छपा है। इसमें कहा गया है कि " 19 सितम्बर को कार्यालय मत जाओ " 'सरकारी सम्पत्ति पर अधिकार कर लो '। मैं इस प्रकाशन को सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2335/68]

अब मैं शनिवार 19 अक्तूबर के 'इण्डियन मानीटर' में प्रकाशित वक्तव्य का कुछ अंश देता हूं जो इस प्रकार है "रेलवे कर्मचारियों को बताया जाये कि उनमें देश का कामकाज ठप्प करने की क्षमता भी है तथा उसका उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेकर चलाने की भी क्षमता है। मैं इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 2335/68] केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से इस प्रकार का विद्रोह करने के लिये कहा जा रहा है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी स्वयं इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह सब राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिये किया जाता है।

3 सितम्बर तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी और 3 सितम्बर को हमें हड़ताल का नोटिस दिया गया था। उसके बाद स्थिति बिगड़ती ही गई। सरकार के काम में विघ्न पैदा करने के लिये बन्दों और हड़तालों का आयोजन किया जाता रहा है। स्थिति जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उसे संभालना ही कठिन हो जाता है और अग्निकांड, लूट, गुन्डागर्दी आदि की घटनाएं होती हैं। जब स्थिति काबू से बाहर हो जाती है तब सरकार से प्रायः यह पूछा जाता है कि उसने समय रहते ही स्थिति पर नियंत्रण क्यों नहीं किया था। इन सभी बातों पर विचार करके सरकार ने इस अध्यादेश के माध्यम से कार्यवाही की थी। अध्यादेश का जारी किया जाना आवश्यक हो गया था और जनता ने अध्यादेश का स्वागत किया। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में विद्रोह को सहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सरकार जनता की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होती है यदि सरकार ने ऐसा कार्य न किया होता तो उस पर राष्ट्र की रक्षा करने में असफल रहने का आरोप लगाया जाता। उचित समय पर उचित कार्यवाही की जा चुकी है। अब हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम उस कार्यवाही को नियमित कानून का रूप दे दें।

मेरे कुछ मित्रों ने गांधी जी के सत्याग्रह का भी जिक्र किया है उनसे मेरा यह निवेदन है कि गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था, वे परिस्थितियाँ आज की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न थीं। उस समय हमारे हाथ में कोई भी सरकार नहीं थी, हमें सरकार को बदलने का अधिकार नहीं था। यही नहीं, अवज्ञा आन्दोलन को भी गांधी जी ने, उसमें अहिंसा का पुट आते ही तत्काल बन्द करवा दिया था। उस समय 'सत्य आग्रह' पर बल दिया जाता था केवल 'आग्रह' पर नहीं। आज हमारी प्रजातंत्रात्मक सरकार है; लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और सरकार को मताधिकार के बल पर निर्वाचन के माध्यम से बदला जा सकता है। उस समय ये सब साधन हमारे पास नहीं थे। यही दोनों परिस्थितियों में अन्तर है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी ने ठीक ही कहा कि कुछ मामलों में कई कई वर्षों तक राहत नहीं मिलती। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि सरकार ने रेलवे प्रशासन में डिवीजन, जोन, और बोर्ड के स्तर पर समझौता करने वाली समितियां बनायी हुई हैं। हमने श्रमिक संघों को मान्यता भी दे रखी है। मार्च 1967 से मार्च 1968 तक जोन स्तर समझौता समिति की 963 बैठक हुईं जिनमें 18754 मामलों पर विचार किया गया जिनमें से 16006 मामलों में समझौता कराया गया। बोर्ड स्तर की समिति की छः बैठकें हुईं और 138 मामलों पर विचार किया गया उनमें से 111 मामलों पर समझौता हुआ। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम श्रमिकों की समस्याओं और आवश्यकताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं और ऐसा भविष्य में भी करते रहेंगे। प्रतिपक्ष वालों को यह नहीं सोचना चाहिये कि श्रमिकों के हितों पर केवल वे ही ध्यान देते हैं। मैं वैयक्तिक रूप से इस बात में रुचि लेता हूं कि श्रमिकों की शिकायतों को दूर किया जाये और हम यथा सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि श्रमिकों की सभी मांगों के

सम्बन्ध में समझौता हो जाये । जिन आठ मांगों पर समझौता न हो सका था उन्हें न्यायधिकरण को सौंप दिया गया है ।

प्रस्तुत विधेयक के बारे में श्री भण्डारे और काशीनाथ पान्डेय ने विस्तार से चर्चा की है । विधेयक में केवल यह व्यवस्था की गई है कि रेलगाड़ियों को चलाने वाले कर्मचारियों को अपने काम के स्थान पर रहना होगा और वे गाड़ी को कहीं भी छोड़ नहीं सकेंगे । यह भी कहा गया है कि यदि चालक को 14 घन्टे से अधिक लगातार गाड़ी चलाने के लिये कहा जाता रहेगा तो वह बेचारा क्या करेगा ? इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि 14 घन्टे का समय अधिक से अधिक है और बारह घन्टे के काम के बाद वह राहत के लिये निवेदन नियमों के अनुसार कर सकता है । ऐक्सप्रेस गाड़ियों, डाक गाड़ियों पर और जहाँ दुहरी लाइन है उन पर तो चालक आदि को निश्चित स्टेशनों तक ही गाड़ी चलानी पड़ती है अतः उन्हें तो 14 घन्टे से अधिक काम करना ही नहीं पड़ता । केवल 20 प्रतिशत मामलों में ऐसी स्थिति आती है जहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों में कर्मचारियों को 14 घन्टे से अधिक काम करना पड़ता है । सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे एक सप्ताह में केवल 54 घन्टे ही काम लिया जाता है । समय के घन्टों के बारे में नियम निर्धारित हैं । यह कहना बिल्कुल गलत है कि इस कानून के आधार पर हम रेलवे कर्मचारियों को तंग करेंगे या उनका शोषण करेंगे । ऐसा न हुआ है और न होगा ।

आजकल ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जिसमें कर्मचारी अपनी माँगों को पूरा कराने या अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिये बंद, हड़तालों या धरनों का मार्ग अपनाते हैं । इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने और यात्रियों को दिक्कत से बचाने के लिये यह विधेयक लाया गया है । इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो गाड़ियों के चलने में बाधा डालेगा, दंडनीय होगा और यदि कोई रेलवे कर्मचारी ऐसा काम करेगा तो वह भी दंडित होगा । यह सब यात्रियों के हित के लिये ही किया गया है । इस हड़ताल में केवल 5 प्रतिशत कर्मचारियों ने भाग लिया था और 95 प्रतिशत कर्मचारी सरकार के साथ थे ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I am very sorry that the Motion moved by me has not been accepted by the Government and my appeal, that the advice to the President for revoking the said Ordinance under article 133 (2) (ख) has also been turned down by Hon. Minister. I think that after the 1967 General Elections this Government is taking such undemocratic steps as to retain power in its hands by hook or by crook. The measures like Unlawful Activities Bill, 36 (a) and (d) of the Social Control on Banks Bill. Industrial Security Force Bill and this Bill go to prove it.

The Minister preached us about civil disobedience and uncivil disobedience. He said that there is no place for 'Satyagraha' in democracy because in it people have got right to vote the Government out after every five year. But I would like to say that at that time Congress Government in power mobilizes all propaganda machinery—newspapers, radio and over all money—to mislead the people in favour of Congress. This is the way of democracy here. Moreover, Gandhiji said as early as 1920 that he had come to the conclusion that Satyagraha was valid

at all times as means of getting a wrong undone. The Ministers who make themselves irremovable in democratic countries somehow or other, they will have to be removed by offering stubborn civil resistance.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : श्रीमान् मेरा यह सुझाव है कि गांधी जी के नाम को इस प्रकार किसी भी ओर से चर्चा में न घसीटा जाये। उनके दर्शन में अनेक बातें आती हैं जिनका पालन न कानून तोड़ने वाले कर रहे हैं और न यह सरकार ही।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

Shri George Fernandes : Shri Bhandare and Shrimati Tarkeshwari Sinha have attacked on the right strike of the labour. This is the Fundamental Right of the workers which has been recognized by International Labour Organization and India is one of the members of I. L. O. In its 87th and 95th conventions the I. L. O. has given its sanction to the Right of Organization and Right of Collective Bargaining. But in India this Government want to infringe upon that right. Hon. Members should first understand the difficulties of railway employees and then try to solve their problems.

If the railway employees realise their strength and unite, they can paralyse all the activities in the country but why should they do so when they can move the entire country. But I am sorry the railway employees have not realised this fact. While referring to an article of mine the Railway Minister commented:

"No Government worth its salt will tolerate this assault on democracy."

Can you call it democracy to pass black legislation here on the basis of majority in the House while in fact 62 per cent of the people have voted against the present Government ? Is it a democratic country where press, radio and other media of publicity are controlled by one section ? I again request the Hon. Minister to withdraw this Ordinance and the Bill.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री जार्ज फरनेंडीज का संविधिक संकल्प मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 19; विपक्ष में 87
Ayes 19; Noes 87

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक को 1 फरवरी, 1969 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक को 15 फरवरी, 1969 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 86; विपक्ष में 18
Ayes 86; Noes 18

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 10 और 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जार्ज फरनेंडीज : मैं अपने संशोधन संख्या 15, 16, 17 और 21 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिकरे (पंजिम) : मैं अपने सशोधन संख्या 20 और 22 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 30 और 34 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 31, 32 और 36 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपने संशोधन संख्या 64 और 65 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुण्डू : इस ओर के माननीय सदस्यों ने जिनमें मैं भी शामिल हूं यह आशंका व्यक्त की थी कि इस विधेयक द्वारा कर्मचारियों का हड़ताल करने का अधिकार छीना जा रहा हैं । माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा था कि यह विधेयक केवल समाज विरोधी तत्वों के लिये है । यदि विधेयक का यही उद्देश्य है तो उन्हें मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

यह अध्यादेश ऐसे समय पर लाया गया था जब रेलवे या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल करने का नोटिस दिया था। मैंने पहले कहा है कि यह विधेयक असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करता है।

यदि सरकार का इरादा कार्मिक संघों की गतिविधियों पर रोक लगाने का नहीं है तो सरकार को मेरा संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यदि किन्हीं स्टेशनों के बीच गाड़ी रोक दी जाती है तो उससे 5 करोड़ यात्रियों पर प्रभाव पड़ेगा। रेल गाड़ियों के बन्द होने से 2 करोड़ रुपये की आय की हानि होती है। यही नहीं देश का समूचा आर्थिक जीवन ही ठप्प हो जाता है। प्रश्न यह है कि क्या जनता इतनी अधिक हानि को दृष्टि में रखते हुए कर्मचारियों के साथ सहानुभूति दिखाएगी। इसलिये मैं यह मूर्खतापूर्ण रवैया नहीं अपना सकता कि रेल कर्मचारी को कहीं भी गाड़ी रोकने का अधिकार है चाहे हड़ताल के दौरान या किसी अन्य कारण से।

ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के दमनकारी कानून की आवश्यकता है। मेरे संशोधन का उद्देश्य कानून को पूर्ण बनाना है। इसलिये इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

मूंगफली का उत्पादन कम हो जाने और उसके मूल्य गिर जाने के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: FALL IN PRODUCTION AND PRICES OF GROUNDNUTS

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : किसान के शोषण के लिये सरकार जिम्मेदार है। सरकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से सोयाबीन तेल और विदेशी मुद्रा में भुगतान करके रूस से सूरज मुखी तेल आयात कर रही है। 1964-65 में 10,357 मीट्रिक टन सोयाबीन तेल आयात किया गया; 1965-66 में 47,993 मीट्रिक टन और 1966-67 में 31,275 मीट्रिक टन और 1967-68 में 1, 12, 163 मीट्रिक टन सोयाबीन का तेल अमरीका से आयात किया गया। इस समय अमरीका से 82,000 मीट्रिक टन तेल आयात करने का क्रयादेश लम्बित पड़ा है।

सरकार ने तर्क दिया है कि वह यह आयात मूल्यों को स्थिर करने के लिये कर रही है और चूंकि देश में मूंगफली का उत्पादन कम हो गया है। एक तरफ तो सरकार उत्पादन में कमी के बहाने अमरीका से सोयाबीन का तेल आयात कर रही है और दूसरी ओर सरकार मूंगफली के बीज का निर्यात कर रही है। जब हम अप्रैल, 1968 से अगस्त 1968 के बीच 8, 183 मीट्रिक टन मूंगफली निर्यात कर सकी है तो सोयाबीन के तेल का आयात करना कैसे न्यायोचित है? यदि वह उसका आयात करती है तो यह केवल कृषकों को तबाह करने तथा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिये है। यदि ऐसा ही किया जाता रहा तो कृषक मूंगफली की बजाय अन्य फसल

उगाने लगेंगे । इस तरह से हम सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के मामले में विदेशों पर निर्भर हो जायेंगे। क्या सरकार की नीति यही है ?

यदि सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो उसे सोयाबीन के तेल का आयात बन्द कर देना चाहिये और कृषकों को देश में मूंगफली तथा अन्य तिलहन पैदा करने के लिये कुछ और प्रोत्साहन देने चाहियें । यदि सरकार 82,000 मीट्रिक टन सोयाबीन के तेल का आयात नहीं करेगी तो मूल्य स्थिर हो जायेंगे ।

सरकार को 1968 के मूल्यों की तुलना 1964 के मूल्यों से नहीं करनी चाहिये । 1964 में तेल के मूल्य कम थे । जब प्रत्येक वस्तु के मूल्य बढ़ गये हैं तो तिलहन के मूल्य भी बढ़े हैं । इसलिये सरकार को उचित नीति अपनानी चाहिये और कृषकों को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में मूंगफली की फसल काटी जायेगी । सरकार राज्य व्यापार निगम से ऐसे समय में वनस्पति कारखानों को सोयाबीन का तेल देने के लिये कह रही है । इसका परिणाम यह होगा कि कृषकों को व्यापारियों को कम दामों पर मूंगफली बेचनी पड़ेगी । क्या सरकार व्यापारियों तथा मिल-मालिकों को फायदा पहुंचाना चाहती है ? यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें ये आयात बन्द कर देने चाहिये जिससे कि कृषकों को अधिक तिलहन पैदा करने के लिये प्रोत्साहन मिल सके ।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : तिलहनों तथा अनाज में केवल मूंगफली के बारे में ही उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को अधिक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । इस मामले में मूल्यों में कमी या वृद्धि ही मुख्य समस्या नहीं है । मुख्य समस्या मूंगफली के मूल्यों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव है । 1960-61 के मूल्यों की तुलना में 1967-68 में चावल के मूल्य लगभग दुगुने हो गये हैं । इस अवधि में गेहूं के मूल्यों में भी उतनी ही वृद्धि हुई है । परन्तु मूंगफली के मामले में उतनी वृद्धि नहीं हुई है ।

[**श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

अगस्त, 1968 में एक समय मूंगफली का मूल्य सूचकांक 178 हो गया था और फिर उसी मास में गिर कर 134 हो गया । इतने अधिक उतार-चढ़ाव से किसान कठिनाई में पड़ जाते हैं । मूंगफली अधिकतर मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात में उगाई जाती है । भारत में मूंगफली के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक उत्पादन गुजरात में होता है । केवल गुजरात में ही 80 प्रतिशत मूंगफली का उत्पादन होता है और वह भी सौराष्ट्र क्षेत्र में केन्द्रित है, जिसमें 3-4 जिले ही हैं । वहां पर सारी फसल मूंगफली की ही होती है । कोई और वस्तु बोई ही नहीं जाती है । यदि मूल्यों में 25 से 30 प्रतिशत तक उतार-चढ़ाव हो, तो किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी आय इस पर ही निर्भर करती है । मूल्यों को स्थिर किया जाना चाहिये । निर्यात और आयात नीति में कोई समन्वय नहीं है । पी० एल० 480 के अन्तर्गत सोयाबीन का आयात

किया जा रहा है क्योंकि सरकार को यह ऋण पर अथवा रुपये के भुगतान पर अथवा मुफ्त में मिल रहा है। इस बात को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है कि देश में इसकी आवश्यकता है या नहीं। मूंगफली का निर्यात करते समय किसी भी बात को ध्यान में नहीं रखा गया है, जैसे क्या इस देश में इस वस्तु की आवश्यकता है या नहीं अथवा क्या देश में इसके मूल्य सामान्य स्तर से बहुत कम हैं अथवा क्या शीघ्र ही देश में इसका अभाव तो नहीं हो जायेगा।

खाद्यानों के लिये तो जोन व्यवस्था है परन्तु मूंगफली के लिये नहीं है। गुजरात में मूंगफली के तेल की वसूली की जाती है, जब फसल तैयार होकर बाजार में आती है, तो अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है जिससे मूल्य गिर जाते हैं, फसल समाप्त होने के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर में मूल्य 30 से 50 प्रतिशत तक ही नहीं कभी-कभी दुगने भी हो जाते हैं। मूल्यों में इस उतार-चढ़ाव से सरकार और व्यापारियों को लाभ होता है और किसान को नुकसान होता है। यदि सरकार आवश्यकता के समय के लिये रक्षित भण्डार बनाना चाहती है, तो उसके लिये एकीकृत योजना होनी चाहिये। वसूली का सहारा न लेकर सरकार को समर्थन मूल्य देकर बाजार में मूंगफली का तेल खरीदना चाहिये। यदि इसके साथ-साथ आयात और निर्यात नीति का भी एकीकरण किया जाता है, तो मूल्यों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव को रोका जा सकता है और मूंगफली उत्पादकों की आय अनाज पैदा करने वाले किसानों के समकक्ष हो जायेगी। उपभोक्ताओं को भी कमी वाले जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों में कठिनाई नहीं होगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि अमरीका से सोयाबीन का आयात केवल इस कारण कि वह पी० एल० 480 के अन्तर्गत निःशुल्क प्राप्त होता है, नहीं किया जाना चाहिये। निर्यात भी देश की आवश्यकता पूरी करने के बाद ही किया जाना चाहिये। कमी वाले महीनों में रक्षित भण्डार से मण्डी में माल भेजा जाना चाहिये। रक्षित भण्डार की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिये ताकि उत्पादन में कमी होने की स्थिति का सामना किया जा सके। इस नीति से किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ होगा और किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री म० सुदर्शनम (नरसारावपेट) : सभापति महोदय, मूंगफली हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भोज्य पदार्थ, खाद और चारे के रूप में अत्यन्त उपयोगी है। दुर्भाग्य से इस पर राज्य स्तर पर बहुत अधिक कर लगाये जाते हैं। देश में उत्पादित मूंगफली पर बिक्री पर कर ही 15 से 20 प्रतिशत तक है। इसके उप-उत्पाद खली के निर्यात से काफी आय हो सकती है परन्तु इस पर लगभग 125 रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क है, करों के इस भार के कारण किसान को बहुत कम मूल्य मिल पाता है। किसान के लिये उचित मूल्य अत्यावश्यक हैं और सरकार को इस पर करों के भार के बारे में जांच करनी चाहिये।

मूंगफली की तीन फसलें होती हैं। ठीक प्रकार के बीज और खाद की सप्लाई से उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है और किसान की आय भी। किसान को उचित मूल्य मिलना अत्यन्त

आवश्यक है ताकि वह इस वस्तु को पैदा करता रहे । राज्य सरकारों द्वारा लगाये करों के अत्यधिक भार को कम करके अन्य खाद्यान्नों की फसलों के बराबर लाया जाना चाहिये जैसे कि चावल आदि । चावल तथा अन्य वस्तुओं की तरह मूंगफली पर एक ही स्तर पर कर लगाये जाने चाहिये । अपनी फसल को मण्डी में ले जाने के लिये किसान को परिवहन की पर्याप्त सुविधायें मिलनी चाहिये । भाण्डागार सुविधाओं के सम्बन्ध में मूंगफली को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि किसान भाण्डागार प्रमाण-पत्र दिखाकर बैंकों से ऋण ले सकें और उचित मूल्य मिलने पर अपनी फसल बेच सकें ।

श्री नायडू ने बीज के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की । मैं उनसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि इससे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इसके स्थान पर काफी कम मूल्य पर तेल आयात किया जा सकता है । हमें इसके निर्यात को वास्तव में प्रोत्साहन देना चाहिये । मैं वायदा बाजार आयोग से अनुरोध करूंगा कि मूंगफली के तेल और तिलहन में वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दे ताकि किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके । खली पर निर्यात शुल्क कम किया जाना चाहिये । मैं सोयाबीन के तेल पर पूर्ण प्रतिबन्ध के पक्ष में नहीं हूँ । परन्तु इसका आयात केवल उस समय किया जाना चाहिये जबकि मूंगफली का मूल्य अधिक हो ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Mr. Chairman, ground-nut has assumed great importance these days. The food specialists have expressed the opinion that groundnut has got sufficient quantity of protein. Most of our requirement of ghee is met by Vanaspati, which is prepared from groundnut. The import of soyabean oil by Government at a low cost or free of cost has adversely affected the Vanaspati industry. It results in sudden price fluctuation as already pointed out by my friend Shri Amin. Then, the withdrawal of credit facilities to traders by banks against oilseeds has been a blow to the Vanaspati manufacturing units. I feel that the policy of importing soyabean oil is not proper.

However, I do not agree with the view to ban exports of groundnut. I think that the production of groundnut can be increased manifold. If the farmers get remunerative price, adequate storage facilities are made available and the wide price fluctuation is arrested, it will go a long way to tone up our economy. The shortage of Dalda will also be overcome.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, Sir, my Hon. friend Shri Naidu has raised a very basic issue to-day. It is not a question of groundnut growers but the question of treatment meted out to the farmers, who constitute 80 per cent of the population and feed the entire nation inspite of undergoing severe hardships and all sorts of strains themselves. They are being given step motherly treatment when Shri Jagjivan Ram, Shri Shinde, Dr. Ram Subhag Singh and 80 per cent of the M.Ps. belong to the farmer's community.

The agriculturists are supplied power at double the rates than that of industries. Then, the farmers have to obtain credit at 15 to 20 per cent interest whereas industrialists get loans at 3 to 4 per cent interest. The soyabean oil is imported at a time when the local crop comes into the market which result in a slump in the prices immediately. The farmer does not get remunerative price for his produce.

Farmer is the most hard hit. Whatever he produces whether it is groundnut, cotton, sugarcane or anything else he never gets its due price, and whatever he wants to purchase viz. cement, improved seeds, tractor or fartilizers, he cannot purchase them because their prices are prohibitive. Farmer is thus crushed. His produce does not fetch him adequate price and the articles which are essential for him, are made available to him at a very high cost.

Besides, more than 80 per cent of the Government legislations are against the farmers. They are heavily taxed. The small farmers are burdened with the maximum taxes. Government's incentives and protections are only for the big agriculturists and not for ordinary farmers. These poor people are exploited for votes only. One Hon. friend has advocated that the 18 lakhs of labourers should rule the country. How can you overlook 45 crores of farmers of the country ? This cannot be allowed to happen.

Farmers should be provided with a reasonable price for his produce. No import should be made during the season.

I support the motion.

Shri S. M. Joshi (Poona): This motion has given us an opportunity to throw some light on the Government's economic policy. The Hon. member is mistaken if he says that the farmer has been ignored throughout. Since Independence, much has been done through our plans. I need not go into those details.

My Hon. friend has rightly pointed out that the majority of our farmers have no source of income of their own. They have to depend only on their land and the Government reduces the prices of their produce. On the other hand big capitalists are given protection and prices of their produce are never brought down, only farmers are the sufferers. Government starts various industries with the help of money earned in lieu of the goods imported ; and these industries result in great imbalance. Until this imbalance is removed and the poor people are looked after properly, you cannot achieve the goal of peace. The legislation might create a revolt or whatever you may call it.

We are not against any party. We are against those policies only which crush the poor and favour the capitalist. Your policies care for the big industrialists only and not for the poor. If you want to bring peace and satisfaction, among the people you will have to bring big changes in your policies. Failure in doing it will surely result in a revolt against you. Still there is time for you to change your outlook and policies.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : I belong to Saurashtra—Gujarat area and regret to say that although that area produces ground-nut as much as one third of the total country-wide production; the Government's policy, being neither production oriented nor consumer-oriented, is deadly against the interest of the cultivators. It is not only in the case of soya-bean where Government does mistakes. In fact, you declare your import policy only when the crops are ready here in the country. This causes a great down fall in the prices which results in great loss to the cultivators and the consumers too are also not benefitted. Virtually it benefits only the factory owners because when the Government declares about import the prices here fall down and the factory owners get the things purchased at a low price. Then after these things

have reached the factories the Government declares the export policy. This raises the prices of that very item. So only the factory owners are benefitted both ways, and not either the cultivator or the consumer. So this ground-nut policy is creating nothing but a mess of the situation. The production centres are very much dissatisfied owing to this policy. We do not want that ground-nut should not go outside Gujarat. We are always against these food zones. But this policy of yours have angered the whole farmer community.

As regards vegetable oils the factory owners have made a very handsome profit far more than what they could make during last 10 years. The Food Corporation is fully responsible for it.

Saurashtra, the biggest centre of groundnut in the country is suffering from drought on one side and short fall in crop on the other. And above all you have declared the policy of importing Soya-bean. The farmers are, therefore, suffering a great loss. We want that there should be no export of ground-nut, but if at all it is to be done, it should be done at such a time as may not hurt the interests of the farmers. Government should declare a clear policy in this regard. Besides that the quantum of the import and export should also be made known.

Our policies should not benefit the factory owners only. They should benefit all. They should be arranged in such a way that the farmers do not suffer.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I congratulate Shri Naidu for bringing this motion in this House.

People in U. P. had been trying to cultivate ground-nut in maximum quantum but they were discouraged when they found that the Government was going to import Soya-bean in the country. Since this will bring a big downfall in the prices of ground-nut, would you explain why it is essential to import Soya-bean in the country ?

I would therefore insist that the prices should not be allowed to go down, and the interests of the farmers should be looked after. If the import harms the farmers, it should be stopped.

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : मुझे प्रसन्नता है कि आज सदन में एक इतने महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का समय आया है क्योंकि भारत में मूंगफली की पैदावार बहुत है और यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तिलहन है ।

दुर्भाग्य से सरकार ने इस फसल को प्रोत्साहन नहीं दिया है जिसे देश के हजारों किसान पैदा करते हैं । खाने के तेलों तथा सामान्य रूप से खाने के लिये भी यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है । पिछले दो वर्षों में इसकी कीमत 50 प्रतिशत से अधिक कम हो गई है । फिर भी कृषि मूल्य आयोग ने इसे अवलम्ब नहीं दिया है । यह आयोग तो केवल बड़े उद्योग पतियों के ही लाभ की बात सोचता है । हमने इसका महत्व ही नहीं जाना है ।

दूसरे, सरकारी नीतियों ने स्थिति को और भी खराब किया है जिससे कि किसानों को भारी हानि उठानी पड़ी है ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस व्यापारिक फसल को मूल्यों के बारे में सहारा दे। दूसरे सरकार को सोयाबीन तेल तथा सूरजमुखी फूल के तेल पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

श्री अनन्त राव पाटिल (अहमद नगर) : अधिक न बोलते हुये, मूंगफली के मूल्यों की गिरावट के बारे में मैं दो-तीन कारण मंत्री महोदय की जानकारी के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

इस वर्ष, मूल्यों और उत्पादन में कमी केवल आन्ध्र में ही नहीं प्रत्युत मैसूर, महाराष्ट्र तथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाले गुजरात में भी आई है। इसका पहला कारण तो प्रकृति का प्रकोप है। कहीं तो महीनों वर्षा नहीं हुई और कहीं भारी बाढ़ आ गई। इससे तो उत्पादन में कमी आई। दूसरा कारण है सोयाबीन का आयात। जब फसल तैयार होती है तो फिर बेचने की समस्या होती है। यहां वाणिज्य मंत्रालय से झगड़ा पैदा होता है। कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय में यथोचित समन्वय नहीं है। कृषि मंत्रालय किसानों को अधिकाधिक उत्पादन करने को कहता है परन्तु वाणिज्य मंत्रालय इस बात पर विचार नहीं रखता।

अब के वर्ष उत्पादन में कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि की आशा थी परन्तु अग्रिम बाजार तथा मिल मालिकों आदि के घपले के कारण यह सम्भव न हुआ। मूंगफली नित्य के उपयोग की वस्तु है। हर व्यक्ति इसे उपयोग में लाता है। परन्तु यदि कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय अपने मध्य ठीक समन्वय पैदा करके बिक्री का उचित प्रबन्ध करें तो यह समस्या हल हो सकती है।

हमारी नीतियों का आधार किसान और उपभोक्ता होने चाहियें न कि मिल मालिक अथवा बीच के दलाल लोग। दूसरे आयात करते समय हम अपने उत्पाद का विचार नहीं रखते। हमें स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना चाहिये। इससे हमारी आर्थिक उन्नति होगी।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सदन में इस महत्वपूर्ण फसल के बारे में विचार करने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं श्री नायडू का धन्यवाद करता हूं।

मूंगफली देश का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। लाखों किसानों की जीविका इस पर आश्रित है। मेरा मंत्रालय इस फसल के महत्व को खूब अनुभव करता है क्योंकि यह पदार्थ केवल उत्पादकों के लिये ही नहीं बल्कि सारे समुदाय के लिये लाभकारी है। निर्यात की दृष्टि से भी यह बड़ा महत्वपूर्ण पदार्थ है।

यहां सरकारी नीतियों पर माननीय सदस्यों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं तथा कई एक लाभप्रद सुझाव भी दिये हैं। परन्तु उनमें से काफी बातें असंगत भी रही हैं। उनमें आज की स्थिति के अनुसार अनुभव नहीं मालूम पड़ता।

मूंगफली की फसल का सबसे बड़ा सहारा वर्षा है। इसके केवल तीन प्रतिशत भाग की ही सिंचाई होती है। और दुर्भाग्य से मानसून के प्रकोप अथवा देश में उसके कु-विभाजन के कारण इस फसल को हानि हुई है।

यह कठिनाई वर्ष 1965-66 से आरम्भ हुई। वर्ष 1964-65 में तो यह फसल बड़ी अच्छी हुई थी। परन्तु इसके बाद उत्पादन घटता गया। वर्ष 1967-68 से पूर्व का मूल्य स्तर भी अपेक्षणीय नहीं था। और मैं अनुभव करता हूं कि किसानों को उचित मूल्य मिलने चाहिये अन्यथा इस उत्पाद में हमें सफलता नहीं मिलेगी। मैं यह मानता हूं, परन्तु साथ ही यह भी चाहूंगा कि वस्तुओं के मूल्य इतने ऊंचे भी न जायें कि उपभोक्ता उन्हें खरीद ही नहीं सकें।

मूंगफली से हमें खाने के तेल मिलते हैं। पिछले तीन वर्षों में खाने के तेल के मूल्य इतने ऊंचे गये हैं कि देश के उपभोक्ताओं में असन्तोष फैल गया है। इसीलिये पिछले कुछ वर्षों में हमने सोयाबीन का आयात किया। यदि हम ऐसा न करते तो खाने के तेलों के दाम और ऊपर जाते और यह बहुत बुरा होता। अतः सरकार ने थोड़ी सी मात्रा में सोयाबीन का आयात करके ठीक ही किया था।

कच्चे खाद्य-तेलों के अतिरिक्त देश में वनस्पति का भी उत्पादन होता है तथा इस सम्बन्ध में भी मूल्यों के बारे में उत्पन्न कठिनाइयों से माननीय सदस्य परिचित हैं। आयात किया हुआ सोयाबीन कच्चे रूप में यहां उपयोग में नहीं लाया जाता अतः यह सीधा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता यह केवल वनस्पति कारखानों को दिया जाता है और वे लोग उचित मूल्य दर पर वनस्पति उपलब्ध कराते हैं। मैं समझता हूं कि सोयाबीन के आयात द्वारा ही हम वनस्पति के मूल्यों को स्थिर कर पाये हैं। हमने सोयाबीन का बहुत ही कम मात्रा में आयात किया है और यह देश की कुल खपत का केवल तीन प्रतिशत है। और मैं यह भी मानता हूं कि हमें आयात पर अधिक आश्रित नहीं रहना चाहिए। और हमारा प्रयत्न भी यही है। परन्तु कई बार कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और कभी-कभी हमें आयात भी करना पड़ता है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने मूंगफली के दामों में भारी उतार-चढ़ाव का जिक्र किया है। इस कारण तो सरकार भी चिन्तित है। मैंने इस बारे में विचार किया था और पाया कि काफी समय से यह बात हमारी अर्थव्यवस्था का एक अंग बनी हुई है। ज्योंही फसल का समय आता है मूल्य गिर जाते हैं और ऋतु समाप्त होने पर दाम फिर चढ़ जाते हैं। और यह बात मूंगफली के अतिरिक्त अनेक कृषि उत्पादों के साथ होती है। हां यह मैं मानता हूं कि मूंगफली के बारे में समस्या अधिक बड़ी है। इस बारे में मूल्यों को सहायता प्रदान करने के लिये हम विचार कर रहे हैं। अधिक उत्पादन के समय अतिरिक्त माल को खरीदने और कमी के समय भण्डारों से बाजार में बेचने के लिये उचित व्यवस्था करने के बारे में उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे। इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इसके लिये कृषि सचिव की अध्यक्षता में

एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी गई है। इस समिति में अनेक मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व भी है।

अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहूंगा। मूंगफली की प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम है। भारत में यह उत्पादन 5.6 क्विंटल प्रति हैक्टेअर है। हमारा उत्पादन दुनिया में सबसे कम है अतः हमारे लिये किसानों के लिए यथेष्ट आर्थिक व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। हमारा अधिकाधिक ध्यान उत्पादन बढ़ाने की ओर होना चाहिए। इसके लिये आधुनिक बीजों, उपकरणों और तकनीक आदि की आवश्यकता है। इस बारे में सरकार कई उपाय कर रही है। अधिक उत्पादन बिना किसान को यथेष्ट लाभ नहीं हो सकता।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर अपने मूल्यवान सुझाव दिये।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 नवम्बर, 1968/6 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 27, 1968/ Agrahayana, 6, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—1-3-69—600